खण्ड-171, अंक-5
गुरूवार, 6 वैशाख, शक संवत् 1878
(26 अप्रैल, 1956 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 171 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय			पृष्ठ-संख्या
यू० पी० पंचायत राज नियमों में कृत संशोधन (मेज पर रखे गये)	..		३७१-३७२
उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर विधेयक, १९५६ (पुरःस्थापित किया गया)	..		३७२
उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५६ (विचार जारी)	.		३७२-४०३
लोक लेखा समिति के निर्वाचन के संबंध में सूचना	..	..	४०३
उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५६ (विचार जारी)			४०३-४०९
सत्थियां	..	.. .. ..	४१०-४१८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, २६ अप्रैल, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा मंडप लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३१५)

अक्षयव सिंह, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अमरेश चन्द्र पांडेय, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करणसिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छन्नन गुरू, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवपांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रांवत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री

केदालाल चौधरी, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम, श्री (हरदोई)
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणवर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन, शुक्ल श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदास, श्री
नारायण दीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)
बलदेवसिंह, श्री (बनारस)
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलबीरसिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री

मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महाबीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महाबीरसिंह, श्री
मिहीलाल, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहन सिंह, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसादसिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
बासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री

विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
वीरसेन, श्री
वीरेंद्रपति यादव, श्री
वीरेंद्र वर्मा, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
ब्रजभूषण मिश्र, श्री
ब्रजरानी मिश्र, श्रीमती
ब्रजवासीलाल, श्री
ब्रजविहारी मिश्र, श्री
ब्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह,श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवपूजनराय, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेंद्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यवली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरगोबिन्द सिंह, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

वृहस्पतिवार, २६ अप्रैल, १९५६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

पुलिस अत्याचार के सम्बन्ध में टाइम्स आफ इण्डिया में समाचार

**१--श्री बेचनराम गुप्त (जिला बनारस)--क्या सरकार का ध्यान तारीख ६ जनवरी, १९५६ ई० के "टाइम्स आफ इंडिया" (The Times of India) में प्रकाशित उस

समाचार की ओर गया है जिसका शीर्षक है 'No excesses by Police on Villagesr' और उक्त लेख में वर्णित जांच की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है ?

पुलिस उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)---जी हां ।

श्री बेचनराम गुप्त---क्या सरकार कृपा करके ज्यादतियों की शिकायत बतायेगी ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---इसकी चर्चा तो एक बार सदन में हो चुकी है। शिकायत इस किस्म की थी कि कुछ औरतों के साथ छेड़-छाड़ की गई थी और कुछ लोगों के साथ मारपीट की गई थी।

श्री बेचनराम गुप्त---इसमें सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---दो मर्तबा जांच हुई।

श्री बेचनराम गुप्त---क्या सरकार कृपा करके जांच की रिपोर्ट पर प्रकाश डालेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---औरतों के साथ ज्यादती करने का तो कोई प्रमाण मिला नहीं लेकिन काफी जांच करने के बाद यह जरूर मालूम हुआ कि कुछ लोगों के साथ मारपीट की कार्यवाही हुई और इसके लिये जो अफसर जिम्मेदार थे सब इन्सपेक्टर, पुलिस के दूसरे आदमी, उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी सदन की जानकारी के लिये बताने की कृपा करेंगे कि इस रिपोर्ट के अन्दर क्या कहा गया था जो समाचार पत्र में निकली थी ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि वह प्रश्न सामने नहीं है। उसका रिफरेंस उन्होंने दे दिया कि पत्र में छपा। लेकिन क्योंकि ज्यादतियों के बारे में पूछना चाहते थे माननीय सदस्य इसलिये यह प्रश्न मंजूर किया गया। तो उसी सीमा के अन्दर आप प्रश्न पूछें।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)---क्या सरकार बतायेगी कि जांच दो दफा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जो मानसिंह वगैरह के खिलाफ कार्यवाही करने के आपरेशंस हो रहे थे उनके इंचार्ज डी० आई० जी० थे। उसकी एक बार उन्होंने जांच की क्योंकि शिकायत खास तौर से उनके मातहतों के बाबत थी और उस वक्त जांच में उनको शिकायतों में कोई खास असलियत नहीं मिली। लेकिन फिर कुछ लोगों ने और इस सदन के एक माननीय सदस्य ने मेरा ध्यान इस ओर आकृष्ट किया कि जांच और होनी चाहिये। और इसके बाद इंसपेक्टर जनरल आफ पुलिस खुद वहां गये उन्होंने जांच की। उस वक्त जो आपरेशंस की गरमा गरमी थी वह खत्म हो चुकी थी। इसलिये उस ठंडे वातावरण में और आसानी के साथ जांच करना संभव था। इसीलिये दोबारा जांच की गई।

श्री भगवान सहाय---(जिला शाहजहांपुर) क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जो दो बड़े अफसरों ने जांच की उनकी जांच में कोई कनट्रेडिक्शन है या दोनों के परिणाम एक ही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैंने अभी बताया कि पहले डी० आई० जी० ने की। फिर आई० जी० ने की जिसमें कुछ शिकायतें मिली जिसकी वजह से कार्यवाही हो रही है अफसरों के खिलाफ।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच किसी मैजिस्ट्रेट या जज से कराने पर विचार करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--आई० जी० की जांच और उनकी रिपोर्ट के बाद किसी दूसरी जांच की जरूरत नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन अफसरों के खिलाफ उनकी शिकायत सही पायी गई उनके खिलाफ कब से विभागीय कार्यवाही हो रही है और वह कब तक समाप्त हो जायगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह तो मैंने बतला दिया कि विभागीय कार्यवाही हो रही है; कब तक समाप्त होगी, यह मैं इस समय नहीं कह सकता।

श्रीमती लक्ष्मी देवी (जिला हरदोई)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो औरतों पर जुल्म हुये वह जांच में गलत पाये गये तो यह जांच किसके द्वारा कराई गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैंने बतला दिया कि दो मर्तबा जांच हुई। एक मर्तबा डी० आई० जी० ने की, एक मर्तबा आई० जी० ने की और हर चीज की जांच की गई।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों की शिकायत थी कि स्त्रियों पर बलात्कार इत्यादि किये गये, क्या उन औरतों से भी आई० जी० ने बयान लिया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां। रिपोर्ट है कि उनसे बात पूछी गई।

तारांकित प्रश्न

कानपुर के थाना अनवरगंज की पुलिस द्वारा कथित अत्याचार से रत्तू की मृत्यु

*१--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के अनवरगंज थाने की पुलिस ने रत्तू नामक व्यक्ति को जनवरी सन् १९५६ के १ व २ तारीख को थाने में लाकर बुरी तरह से मार कर छोड़ दिया और वह अपने घर से अस्पताल जाते ही मर गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत--रत्तू अस्पताल में अवश्य मर गया परन्तु पुलिस के मारने की बात सही नहीं पाई गई।

*२--श्री रामसुन्दर पांडेय--यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त कांड के संबंध में उनकी जानकारी क्या है, तथा अब तक इस विषय पर कौनसी कार्यवाही की गई है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--इस विषय में मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच हुई। उसकी लाश की डाक्टर द्वारा Post-mortem परीक्षा भी की गई। ऐसा अनुमान है कि उसकी मृत्यु निमोनिया के कारण हुई।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि रत्तू थाने में पहली और दूसरी जनवरी को ले आया गया था ?

श्री जगनप्रसाद रावत--मेरी सूचना यह है कि रत्तू को पुलिस थाने में नहीं ले जाया गया।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रत्तू अस्पताल में किस तारीख को भरती किया गया और किस तारीख को उसकी मृत्यु हुई ?

श्री जगनप्रसाद रावत---३१ तारीख को अस्पताल में भरती हुआ और उसी दिन वह मर गया।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि डाक्टरी परीक्षा के बाद मैजिस्ट्रेट से इन्क्वायरी कराने की क्या आवश्यकता थी ?

श्री जगनप्रसाद रावत---डाक्टरी परीक्षा तो केवल मृत्यु के कारण के संबंध में या मृतक की शारीरिक अवस्था के संबंध में ही होती है और बाकी जो आक्षेप थे जो कुछ लोगों ने किये थे इसलिये मैजिस्ट्रेट की जांच की भी आवश्यकता पड़ी।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों ने आक्षेप किया था कि रत्तू पुलिस के मारने से मरा है क्या उन लोगों से भी मैजिस्ट्रेट ने बयान लिया ?

श्री जगनप्रसाद रावत---उनमें से हर एक को पूरा मौका दिया गया कि जो शहादत वह पेश करना चाहें, पेश करें।

मंत्रियों की कारों पर व्यय

*३---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् ५१ से दिसम्बर सन् ५५ तक प्रदेशीय सरकार के मंत्रियों के लिये कितनी कारें खरीदी गई हैं तथा १ अप्रैल सन् ५१ से सितम्बर सन् ५५ तक मरम्मत पैट्रोल आदि पर कितना-कितना रुपया अलग-अलग मदों में उन कारों पर व्यय हुआ है ?

वित्त मन्त्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)---प्रदेशीय सरकार के मंत्रियों के लिये सन् ५१ से दिसम्बर सन् ५५ तक १६ कारें खरीदी गई हैं और उन कारों पर जब तक ये मंत्रियों के पास रहीं १ अप्रैल सन् ५१ से सितम्बर सन् ५५ तक मरम्मत पर ६१,०१८ रु० ६ आ० ४ पाई और पेट्रोल आदि पर ६१,१७३ रु० ४ आ० २ पा० खर्च हुये हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर सन् ५१ और दिसम्बर ५५ के बीच में जो कारें खरीदी गयी थीं उनमें कितनी मौजूद रहीं और कितनी बिक गयीं ?

श्री धर्मसिंह---कुछ तो उसमें स्टाफ कारें हो गयी थीं, उसके बाद का निश्चित पता नहीं है कि कितनी बेंच दी गयी।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन कारों की मरम्मत करायी गयी, वह क्या सरकारी वर्कशाप में हुई या अन्य स्थानों में ?

श्री धर्मसिंह---जी सरकारी वर्कशाप में हुई।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह---वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब मंत्रियों की संख्या १६ से कम है तो यह कैसे हुआ कि १६ कारें मंत्रियों के लिये खरीदी गयीं ?

श्री अध्यक्ष---यह मूल प्रश्न से पैदा नहीं होता।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह---उत्तर में दिया गया है कि १६ कारें खरीदी गयीं। मैं नाम नहीं चाहता हूं। इसको रिकंसाइल कर दें कि १६ कारें कैसे खरीदी गयीं ?

श्री अध्यक्ष---वह तो ठीक है, लेकिन वह इससे संबंधित नहीं है। फिर भी अगर वित्तमंत्री जानकारी देना चाहें तो दे सकते हैं।

वित मन्त्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--१९ तो पांच सालों में खरीदी गयीं। उसमें कितनी खरीदी ही गयीं और बेची भी गयीं। तो उसको ११-१२ मिनिस्टरों की तादाद से क्या जोड़ना।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पेट्रोल इत्यादि पर जो ९१,१७३ रु० ४ आने २ पाई खर्च हुआ है तो उसमें जब मंत्री सरकारी कामों के अलावा जब और कामों में जाते हैं वह भी सम्मिलित है ?

श्री धर्मसिंह--उन कारों से कोई और काम नहीं लिया जाता और न कोई काम मिनिस्टर करते ही हैं।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इसमें वह पेट्रोल का खर्चा भी शामिल है जब मंत्रिगण अपनी पार्टीज की मीटिंग अटेंड करने जाते है ?

कृषि मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)--नहीं, वह नहीं शामिल है।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि जब वह पार्टी की मीटिंग अटेंड करने जाते हैं उस समय पेट्रोल का खर्चा कहां से दिया जाता है ?

श्री अध्यक्ष--यह तो आप माननीय मंत्री जी को पत्र लिख कर मालूम करें, इससे पैदा नहीं होता।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या यह सही नहीं है कि माननीय मंत्रिगण जब अपने निजी काम में जाते हैं तो सरकारी कार का इस्तेमाल करते हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--हां हां, जब वाकई निजी काम में जाते हैं तो जरूर करते हैं।

आजमगढ में ट्रक-रिक्शा दुर्घटना

*४--श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतायेगी कि ३ और ४ जनवरी १९५६ की रात में आजमगढ़ शहर में ट्रक-रिक्शा भिड़न्त में ३ व्यक्तियों को तत्काल मृत्यु हो गई ?

श्री जगनप्रसाद रावत--२ व्यक्तियों की मृत्यु हुई, एक की तत्काल और दूसरे की अस्पताल में।

*५--श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)--यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि वे व्यक्ति कौन थे ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

(१) श्री अहमद जान, निवासी मोहल्ला चेरा, पुलिस स्टेशन कोतवाली, जिला अलीगढ़, जो एक साबुन की कम्पनी के एजेन्ट थे।

(२) श्री गोपाल, निवासी बृन्दाबन, जिला मथुरा, जो आजमगढ़ के सिविल अस्पताल के मेडिकल आफिसर डा० के० एल० शाह के यहां नौकर थे।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिस ट्रक से उनकी मृत्यु हुई है उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई और क्या मरे हुए लोगों के वारिसों को कोई मुआवजा दिलाने की व्यवस्था की गई है ?

नोट--तारांकित प्रश्न ४-५ श्री जोरावर वर्मा ने पूछे।

श्री जगनप्रसाद रावत—जिस ट्रक के द्वारा मृत्यु हुई उसके ड्राइवर का चालान हो रहा है और मुकदमा चल रहा है लेकिन जो मर गए है उनको सरकार कोई सहायता नहीं देती। लेकिन मोटर का जो थर्ड पार्टी इन्श्योरेन्स होता है उससे कुछ मुआवजा मरने वालों के वारिसों को दिया जाता है या अगर मुलाजिम को सजा होती है और उस पर जुरमाना होता है तो उसका भी कुछ अंश उन को दिया जाता है जो इस तरह की घटना के शिकार होते हैं।

देवरिया निवासी कम्युनिस्ट बन्दी श्री केशव प्रसाद का सीतापुर जेल में इलाज

*६—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—क्या सरकार को विदित है कि सीतापुर जेल में बिहार प्रांत निवासी बृद्ध कम्युनिस्ट बन्दी श्री केशव प्रसाद लकवे की बीमारी से पीड़ित हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें अन्यत्र भेज कर उनकी समुचित चिकित्सा की व्यवस्था करने पर विचार कर रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—केशव प्रसाद बन्दी जिला जेल, सीतापुर, लकवे से पीड़ित हैं। उनका इलाज जेल अस्पताल में हो रहा है और उनकी अवस्था में काफी सुधार है। चिकित्सा के लिये उनको अन्यत्र भेजने का प्रश्न नहीं उठता; वह बिहार नहीं बल्कि देवरिया के निवासी हैं।

*७-९—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—[१५ मई, १९५६ के लिये प्रश्न ६१-६३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

जलेसर, हाथरस और मेंडू के लिये बिजली की मांग

*१०—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या विद्युत मन्त्री इस वर्ष में कितने २,००० से बड़ी आबादी के कस्बों में नई बिजली चालू करा देने की योजना बना रहे हैं?

श्री धर्मसिंह—४० नगरों को जिनकी जन संख्या २००० से अधिक है इस वर्ष १९५६-५७ में बिजली देने का प्रयत्न किया जा रहा है।

*११—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६ में कस्बा जलेसर, हाथरस, जंकशन मेंड़ू (हाथरस) कस्बे में बिजली पहुंच सकेगी? यदि नहीं, तो क्या कठिनाई है?

श्री धर्मसिंह—नहीं क्योंकि, जलेसर, हाथरस, जंकशन, मेंडू हमारे विद्युत पूर्ति केन्द्रो से काफी दूर हैं।

*१२—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जमीन के अन्दर होकर ले जाने की योजना कब तक कार्यान्वित हो सकेगी और इस पर कितना व्यय होने का अनुमान है?

श्री धर्मसिंह—ऐसी कोई निश्चित योजना नहीं है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जलेसर के बीच विद्युत संबंधी छोटे-छोटे उद्योगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है? यदि हां, तो सरकार इस मार्ग से बिजली कब तक भेजने का विचार रखती है?

श्री धर्मसिंह—१९५८-५९ तक भेजने का विचार है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—हाथरस जंक्शन हाथरस से ५ मील दूर है और मांडू जिसकी आबादी ३,००० है वह तीन मील है और बिजली का केन्द्र वहां से बहुत दूर नहीं है, तो क्या सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी कि वहां बिजली पहुंचाई जाय?

श्री धर्मसिंह—जो जलेसर, हाथरस जंकशन और मेडू इत्यादि है वह वहां से १७ मील, ६ मील, और ४ मील हैं। इस बात की कोशिश की गई कि वहां बिजली पहुंचाई जाय लेकिन प्रैक्टीकली और टेक्नीकली वह संभव नहीं है।

बस्ती जिला ट्रेजरी में गबन

*१३—श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जिला (treasury) में कोई गबन का मामला चल रहा है ?

श्री धर्मसिंह—जी हां।

*१४—श्री रामलखन मिश्र—यदि हाँ, तो वह गबन कितने रुपयों का है, और किस सन् के बाबत है ?

श्री धर्मसिंह—अब तक जो जांच हुई है उसके अनुसार ३,१९,५३८ रु० ८ आ० के मूल्य के स्टाम्पों के गबन का पता चला है यह रकम मार्च, १९४९ से नवम्बर १९५४ तक की बाबत है।

श्री रामलखन मिश्र—क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि प्रत्येक मास की पहली तारीख को जिलाधीश खजाने का निरीक्षण करते हैं ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप पूरा सवाल पूछ लें एक-एक टुकड़े करके मत पूछें।

श्री रामलखन मिश्र—क्या आदरणीय मन्त्री जी इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि सन ४९ से लेकर सन ५४ तक कितने जिलाधीशों ने खजाने का निरीक्षण किया ?

श्री धर्मसिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रामलखन मिश्र—क्या माननीय मन्त्री जी इस पर प्रकाश डालेंगे कि इस गबन का रहस्योद्घाटन सर्वप्रथम कैसे हुआ ?

श्री धर्मसिंह—इस गबन का पता तब लगा जब ट्रेजरी आफिसर जो आज कल वहां पर हैं वे अचानक चेकिंग करने के लिये गये।

श्री रामलखन मिश्र—क्या आदरणीय मन्त्री को यह ज्ञात है कि गवर्नमेंट ट्रेजरर के ऐजेन्ट ने जब आत्महत्या का निष्फल प्रयास किया उस सम्बन्ध में गबन का सूत्रपात ज्ञात हुआ था ?

श्री धर्मसिंह—इस तरह की सरकार की कोई इत्तिला नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या वित्त मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो लोग गबन से सम्बन्धित हैं उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री धर्मसिंह—वे गिरफ्तार किये गये थे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो जिलाधीशों ने मुआयना किया था उसमें इस गबन के सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं थी ?

श्री धर्मसिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि १९४९ से १९५५ तक एक ही ट्रेजरी आफिसर रहा या इस बीच में बदलते रहे ?

श्री धर्मसिंह—वह तो बदलते रहे होंगे। यह तो जो ट्रेजरी आफिसर वहां गये थे उनके द्वारा यह पकड़ा गया।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करगे कि वे कौन से शख्स हैं और कितने हैं जो गिरफ्तार किये गये हैं ?

श्री धर्मसिंह---इस वक्त तक एक ही हैं और एक ही गिरफ्तार किये गये हैं।

श्री रामकुमार शास्त्री---ये किस ओहदे पर है और उनका क्या नाम है ?

श्री धर्मसिंह---ये एक्स-आफिशिओ स्टाम्प वेंडर है और उनका नाम श्री ब्रज भूषण अग्रवाल है।

श्री व्रजबिहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह मामला अभी एन्क्वारी स्टेज पर है या अदालत के सुपुर्द हो गया है ?

श्री धर्मसिंह---अभी तक इसमें तहकीकात हो रही है।

कोआपरेटिव आडीटर्स को नवीन वेतन-क्रम न मिलना

*१५---श्री रामसुन्दर वर्मा (जिला देवरिया)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कोआपरेटिव आडीटर्स को १२०-२५० का वेतन-क्रम अब तक क्यों नहीं दिया जा सका, जब कि इसे सन् ५१ में ही वित्त विभाग ने स्वीकार कर लिया था और सन् १९५२ से ही केन आडीटर्स को जो लगभग उसी योग्यता एवं उसी प्रकार के कार्य से संबंधित हैं वह वेतन-क्रम दे दिया गया ?

श्री धर्मसिंह---पब्लिक सर्विस कमीशन की राय से सरकार ने यह निश्चय किया है कि कोआपरेटिव आडिट आर्गनाइजेशन (संगठन) के आडिटर संशोधित वेतन पायेंगे अगर उन्होंने वह इम्तिहान पास किया होगा जिसका पास करना नियम की रू से आवश्यक होगा। जहां तक केन आडिटरों का संबंध है उनके हालात मुख्तलिफ या कार्य करने की दशा भिन्न होने के कारण ऐसी कोई शर्त लगाना आवश्यक नहीं समझा गया।

*१६---श्री रामसुभग वर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५४ से नियुक्त कोआपरेटिव आडीटर्स को १२०-२५० का वेतन-क्रम करने और उसी काम को करने वाले पुराने आडीटर्स को ७५-१२० का वेतन-क्रम देने का आदेश सरकार ने किस आधार पर दिया है ?

श्री धर्मसिंह---सरकार ने पब्लिक सर्विस कमीशन की राय से यह निश्चय किया है कि जिन आडिटरों ने पब्लिक सर्विस कमीशन के मुकाबिले का इम्तिहान या जांच का इम्तिहान जो मुकर्रर किया है पास किया हो केवल उन्हीं को १२०-२५० का वेतन मिले।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि जिस समय वित्त विभाग ने यह स्केल स्वीकार किया उस समय पब्लिक सर्विस कमीशन से राय नहीं ली गई थी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---इसके जवाब में ही लिखा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन की राय से किया।

श्री जोरावर वर्मा---क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कहां तक के वेतन के लिये वह पब्लिक सर्विस कमीशन से राय लिया करते हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---वैसे कायदे की रू से तो दो सै रूपये से ऊपर के लिये है मगर कभी-कभी उससे नीचे के मुताल्लिक भी जब जरूरी समझती है गवर्नमेंट तो उनसे मशिवरा करती है।

उन्नाव जिले में सुमेरपुर तथा बीघापूर के लिए बिजली की मांग

*१७--श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)--क्या यह सही है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रायः दो सौ देहाती रकबों को बिजली दी जायगी ? यदि हां, तो इनमें उन्नाव जिलान्तर्गत सुमेरपुर राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड और बीघापुर शेडों (ब्लाक) के भी कोई रकबे सम्मिलित हैं ?

श्री धर्मसिंह--जी हां, परन्तु सुमेरपुर राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड और बीघापुर सी० पी० ब्लाक इसमें सम्मिलित नहीं है क्योंकि उन्नाव जिले के इस भाग में न तो बिजली की लाइनें है और न शक्ति सुलभ है ।

*१८--श्री देवदत्त मिश्र--क्या सरकार उक्त योजना के अन्तर्गत देहाती रकबों को बिजली तकसीम करते समय सुमेरपुर, बीघापुर और भगवन्तनगर, जो एक बहुत बड़ी मन्डी और टाउन एरिया भी है, को बिजली देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री धर्मसिंह--इन जगहों को बिजली देना सम्भव नहीं है क्योंकि यह स्थान निकटतम पूर्ति केन्द्र से ३० मील की दूरी पर स्थित है ।

श्री देवदत्त मिश्र--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन २०० देहाती रकबों को जहां बिजली दी जा रही है वहां लाइनें पहले से ही बनी हुई है या इस उद्देश्य के लिये अब बनाई जा रही है ?

श्री धर्मसिंह--जहां पर आवश्यकता पड़ती है कम से कम खर्च में अगर हम वहां बिजली दे सकते हैं तो लाइन बनाने की आवश्यकता पड़ती है और वह बनाते हैं ।

श्री देवदत्त मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि बीघापुर निकटतम पूर्ति केन्द्र से केवल १८ मील है ?

श्री धर्मसिंह--जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं, ठीक हो सकता है, लेकिन १८ मील में भी काफी खर्चा पड़ता है इसलिये सम्भव नहीं है ।

श्री देवदत्त मिश्र--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि निकटतम पूर्ति केन्द्र से कितनी दूर तक के रकबों को बिजली दी जा रही है ?

श्री धर्मसिंह--जो लिस्ट बन रही है जिसमें २०० टाउन्स को बिजली देने की व्यवस्था की जा रही है उसमें बहुत से सिद्धान्त हैं जैसे कम से कम खर्च में अधिक से अधिक टाउन्स को कितनी जल्दी से जल्दी बिजली दे सकते हैं । ये सब बातें हैं उसमें ।

श्री देवदत्त मिश्र--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन २०० कस्बों को बिजली देने की योजना है उनमें कम से कम दूर का स्थान कौन सा है ?

श्री धर्मसिंह--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है । इस समय तो मेरे पास सूचना है नहीं ।

बिजली विभाग के अधिकारी श्री नसीरुद्दीन पर विदेश ट्रेनिंग के बाद पाकिस्तान में रुकने का आरोप

*१९--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)--क्या यह सत्य है कि बिजली विभाग के एक अधिकारी जो विदेश ट्रेनिंग के लिये गये थे वह ट्रेनिंग की अवधि समाप्त होने पर विभाग में वापिस नहीं आये और पाकिस्तान में रुक गये ? यदि हां, तो सरकार उनको विभाग में वापिस बुलाने का कोई प्रबन्ध कर रही है ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं ।

*२०—**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस अधिकारी की विदेशी ट्रेनिंग पर राज्य सरकार का कितना रुपया खर्च हुआ है ?

श्री धर्मसिंह—प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार को कुछ समय पूर्व ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि श्री नसीरुद्दीन नामक अधिकारी जो बिजली की ट्रेनिंग के लिये विदेश गये थे वे प्रदेश आते समय पाकिस्तान में रुक गये थे ?

श्री धर्मसिंह—यह बात गलत है । वे विदेश ट्रेनिंग लेने अवश्य गये थे । लेकिन वहां से वापस भी आ गये ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको विदेश की ट्रेनिंग के सिलसिले में कितना खर्च देना पड़ा है ?

श्री धर्मसिंह—बात यह है कि सरकार ने तो उनको भेजा नहीं था । वे तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में डेमोन्सट्रेटर थे और यूनिवर्सिटी ने ही उनको भेजा था । सरकार से उन्होंने कुछ सहायता की प्रार्थना की थी तो सरकार ने उनको छात्रवृत्ति दी थी; और कुछ नहीं ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—जब सरकार को यह सूचना प्राप्त हुई उसके बाद सरकार ने उनको यहां बुलाने के लिये कोई प्रयत्न किया और यदि किया तो क्या ?

श्री अध्यक्ष—यह सवाल उठता नहीं है । उन्होंने इन्कार किया है कि वे पाकिस्तान में रुक गये थे ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विदेश से ट्रेनिंग लेकर लौटने के बाद इस वक्त वे कहां पर काम कर रहे हैं ?

श्री धर्मसिंह—इस वक्त वे मध्य प्रदेश में कार्य कर रहे हैं ।

श्री परमेश्वरनाथ सप्रू का भ्रष्टाचार विरोधी समिति, फैजाबाद से त्यागपत्र

*२१—**श्री रामनारायण त्रिपाठी** (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि फैजाबाद की एन्टी करप्शन कमेटी के कुछ सदस्यों ने विरोध स्वरूप त्याग-पत्र दे दिया है ?

*२२—यदि हां, तो किन-किन ने और किन किन कारणों से ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, श्री परमेश्वर नाथ सप्रू ने जिला भ्रष्टाचार-विरोधी समिति, फैजाबाद, की सदस्यता से इसलिए त्यागपत्र दे दिया कि उन्हें समिति की साधारण सदस्यता स्वीकार नहीं थी ।

परगना हाकिमों को तहसीलों के हेडक्वार्टर में रखने पर विचार

*२३—**श्री खयालीराम** (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मुरादाबाद जिले में किन-किन तहसीलों के हाकिम परगनाओं को तहसीलों के हेडक्वार्टरों पर रहने के आदेश दे दिये गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसे कोई आदेश अभी नहीं दिये गये हैं ।

नोट—तारांकित प्रश्न २१–२२ श्री मदनमोहन उपाध्याय ने पूछे ।

श्री खयालीराम--क्या सरकार जनहित की दृष्टि से कोई ऐसा आदेश देने का विचार रखती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, पिछले एक, डेढ़ महीने के भीतर यह सवाल कोई १५, २० मर्तबे आ चुका है और हर मर्तबा मैंने यह जवाब दिया कि अभी इस पर गौर हो रहा है। इस मर्तबा भी मेरा यही जवाब है।

इलाहाबाद जिले में वारदातें

*२४--**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद के नागरिकों की ओर से १-७-५५ तथा २४-९-५५ को छपी हुई नोटिस पुलिस जुल्म के विरुद्ध पुलिस के उपमन्त्री के पास आई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री जगनप्रसाद रावत--जी नहीं।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*२५--**श्री कल्याणचन्द मोहिले**--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद जिला और नगर में २ जनवरी, १९५५ से ५ फरवरी, १९५६ तक कितने कत्ल, डाके तथा चोरी के मुकदमें दर्ज किये गये उसमें से कितने मुकदमें चालान किये गये ?

श्री जगनप्रसाद रावत--मांगी हुई सूचना संलग्न विवरण पत्र में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४१० पर)

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो डकैती हुई उसमें कितनी रपट लिखी गईं और कितना माल बरामद हुआ ?

श्री जगनप्रसाद रावत--डकैती की शहर में केवल एक रिपोर्ट हुई और जिले में दस रिपोर्ट्स हुईं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--श्रीमन्, मैंने यह पूछा था कि कितना धन डकैती में बरामद हुआ।

श्री जगनप्रसाद रावत--इसकी तफसील मेरे पास नहीं है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगर में जो डकैती हुई वह किस मुहल्ले में हुई और कितना धन गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत--इन सब डकैतियों की तफसील इस समय मेरे पास नहीं है

*२६--**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य** (जिला जौनपुर)--[२४ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

रिवाल्वर व पिस्तौल के लाइसेंन्सों के लिए जिलाधीश बिजनौर की कमिश्नर रुहेलखंड को सिफारिश

*२७--**श्री रतनलाल जैन** (जिला बिजनौर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बिजनौर जिले में नवम्बर, १९५५ से १५ मार्च, १९५६ तक कितने प्रार्थना-पत्रों पर रिवाल्वर व पिस्तौल के लाइसेंस की सिफारिश जिलाधीश बिजनौर ने कमिश्नर रुहेलखंड को की ?

श्री जगनप्रसाद रावत--७ नवम्बर, १९५५ से मार्च, १९५६ तक रिवाल्वर व पिस्तौल के लिये ६ प्रार्थना-पत्रों पर जिलाधीश ने कमिश्नर से सिफारिश की।

*२८—श्री रतनलाल जैन—रूहेलखंड के कमिश्नर ने जिलाधीश की सिफारिश-शुदा उपर्युक्त लैसेंस के प्रार्थना-पत्रों में कितने प्रार्थियों को लाइसेंस दिया और कितने प्रार्थियों की प्रार्थना को अस्वीकार किया ?

श्री जगनप्रसाद रावत—उपरोक्त ६ प्रार्थना-पत्रों में से कमिश्नर ने २ को मंजूर किया तथा शेष ४ को नामंजूर।

श्री रतनलाल जैन—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन चार लाइसेंसों की जिलाधीश ने सिफारिश की थी और कमिश्नर ने अस्वीकृत कर दिया उसका क्या कारण था ?

श्री जगनप्रसाद रावत—कमिश्नर की राय में पिस्तौल रखना आवश्यक नहीं था।

श्री रतनलाल जैन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रिवाल्वर और पिस्तौल के लाइसेन्स के लिये किन बातों की आवश्यकता है और सरकार की नीति इस सम्बन्ध में क्या है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, जहां तक हथियारों की बात है, राज्य सरकार गवर्नमेंट आफ इंडिया के एजेन्ट की हैसियत से काम करती है और गवर्नमेंट आफ इंडिया का आदेश यह है कि जब तक यह साबित न हो जाय कि उसको जरूरत है और उसको ऐसा काम करना पड़ता है कि लाइसेंस दिया जाय तब तक न दिया जाय। इस आदेश के अनुसार हमें काम करना पड़ता है।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐसी एप्लीकेशन के रिजेक्ट होने के बाद उसकी अपील गवर्नमेंट में हो सकती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—साधारणतया अपील से कोई फायदा नहीं है; यों तो लोग अपील करते हैं और हम देख लेते हैं कि कोई खास वजह समझ में आये।

श्री शिवनाथ काटजू—क्या प्रान्तीय सरकार केन्द्रीय सरकार को सुझाव देने की सोच रही है कि प्रत्येक नागरिक को शस्त्र रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिये इसलिये सब को लाइसेंस मिलना चाहिये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बंदूकों का लाइसेंस बहुत उदारता के साथ दे रहे हैं; इसमें कोई रोकथाम नहीं है।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या मंत्री जी बिजनौर जिले में जंगल होने की वजह से और सुल्ताना की वजह से इस कंडीशन को ढीला करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह बड़ा गम्भीर प्रश्न उपस्थित किया गया है, मैं इस पर गौर करूंगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन दो को यह लाइसेंस दिया गया उनमें से जैन लोग कितने थे ?

(प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री शिवनाथ काटजू—क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कोई आदमी अपने साथ राइफल या गन लेकर चल नहीं सकता और शस्त्र केवल रिवाल्वर ही हो सकता है, केन्द्रीय सरकार को कहेगी कि उसको रखने का लोगों को वह अधिकार दे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रादेशिक सरकार ने लोगों को रक्षा का इतना अच्छा प्रबन्ध कर दिया है कि किसी को रिवाल्वर या हथियार लेकर चलने की जरूरत नहीं है।

महिला पुलिस विभाग कायम करने का सुझाव

*२९—श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पुलिस विभाग की तरफ से महिलाओं के बीच कार्य करने के लिये महिला पुलिस विभाग कायम किया गया है या किया जाने वाला है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी नहीं।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पुरुषों के बाद महिलाओं को भी पुलिस विभाग में काम करने का अवसर देने पर क्या सरकार विचार कर रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इस समय तो विचार नहीं है।

असिस्टेंट जेलर्स का स्मृति-पत्र

*३०—श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि डिप्टी जेलर व असिस्टेंट जेलर दोनों की ड्यूटी एक ही है पर पद अलग-अलग क्यों हैं ?

कारावास उपमन्त्री (श्री मुजफ्फरहसन)—साधारणतया डिप्टी जेलर और असिस्टेंट जेलर दोनों के कार्य भिन्न-भिन्न हैं। डिप्टी जेलर मुख्यतः एक्जीक्यूटिव (executive) कार्य करते हैं और असिस्टेंट जेलर अधिकतर क्लेरिकल (clerical) कार्य करते हैं, किन्तु इसके साथ-साथ वे कुछ साधारण एक्जीक्यूटिव (executive) कार्य भी करते हैं।

*३१—श्री गजेन्द्र सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि प्रदेश के असिस्टेंट जेलर्स ने अपनी मांगों का कोई स्मृतिपत्र सरकार के पास भेजा है ?

श्री मुजफ्फरहसन—जी हां।

*३२-३३—श्री बाबूलाल कुसुमेश (जिला बाराबंकी)—[२४ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

श्री अर्जुन प्रसाद, एस० डी० ओ० कानपुर, के विरुद्ध कथित प्रदर्शन

*३४—श्री रामआसरे वर्मा (जिला बाराबंकी)—क्या श्री अर्जुन प्रसाद, एस० डी० ओ० कानपुर, के विरुद्ध अपने हल्के का दौरा न करने, मौके पर जाकर जांच न करने के सम्बन्ध में सरकार को सूचना प्राप्त हुई है और २५ फरवरी को असन्तोष के फलस्वरूप तहसील के सामने प्रदर्शन भी हुआ था ? यदि हां, तो आज तक सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसी कोई शिकायत सरकार को नहीं मिली है। २५ फरवरी को जो तहसील के सामने सभा हुई थी उसमें एस० डी० ओ० के विरुद्ध कोई मांग नहीं की गई। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री रामआसरे वर्मा—अगर कोई शिकायत नहीं पहुंची है तो क्या मैं आशा करूं कि माननीय मंत्री जी इसको शिकायत समझ कर जांच करायेंगे कि असल में वहां क्या बात है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—शिकायत कुछ और ब्योरेवार होनी चाहिये तो आसानी होगी जांच करने में।

नोट—तारांकित प्रश्न ३०-३१ श्री जगन्नाथ मल्ल ने पूछे।

राज्य की कोआपरेटिव डेयरीज

*३५--श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस प्रदेश में कुल कितनी कोआपरेटिव डेयरीज हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---इस प्रदेश में कुल ७ (सात) कोआपरेटिव डेयरीज कार्य कर रही हैं और उसके अलावा मुरादाबाद और देहरादून डेयरीज इसी वर्ष रजिस्टर्ड की गई हैं।

*३६-३७---श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)---[२४ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

देवरिया जिले में वन विभाग के कर्मचारियों का वेतन

*३८---श्री रामसुभग वर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला देवरिया में कितनी जमींनें जमींदारी उन्मूलन के बाद फारेस्ट विभाग में आ गई हैं और वह कहां-कहां और कितनी जमींन है ?

वन उपमन्त्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)---एक सूची मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४११ पर)

*३९---श्री रामसुभग वर्मा---सरकार ने उन जमीनों की देख-रेख के लिये कितने कर्मचारी रखे हैं और कहां-कहां ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---सरकार ने इन जमींनों की देखरेख के लिये ३ फारेस्ट गार्ड तथा एक डिप्टी रेंजर नियुक्त किये हैं।

डिप्टी रेंजर का मुख्यालय (Head Quarter) कसिया है तथा ३ फारेस्ट गार्डों के मुख्यालय (१) पडरौना (२) कसिया (३) मदनपुर है।

*४०---श्री रामसुभग वर्मा--- सरकार यह बतायेगी कि उन कर्मचारियों का वेतन-क्रम क्या है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---इन कर्मचारियों के वेतन-क्रम निम्नलिखित है :---

(१) डिप्टी रेंजर---७५---५---१२० रु०

(२) फारेस्ट गार्ड---२५---१---४० रु०

श्री रामसुभग वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सूची में दिये हुए एरिया में से कितना जंगल है और कितना परती है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---साफतौर से तो नहीं कहा जा सकता कि कितना क्या है, मगर यह जमींदारों के जंगल आये हैं और अमूमन कटी हुई हालत में है और अच्छी हालत के जंगल नहीं है।

श्री जगन्नाथ मल्ल---क्या यह सही है कि इन जंगलों का बहुत सा भाग बड़े लोगों ने जोत रखा है और वह उसको खाली करने को तैयार नहीं हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---इसकी कोई इत्तला मेरे पास नहीं है।

*४१-४२---श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)---[१० मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

आजमगढ़ जिले में सहकारी संघ के भट्ठों की जांच

*४३—श्री उमाशंकर (अनुपस्थित)—क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में कितने सहकारी संघ के ईंट के भट्ठों की जांच की गई है ?

सहकारिता उपमन्त्री (श्री मंगला प्रसाद)—साल १९५३-५४ में ३९ भट्ठे सहकारी संघ आजमगढ़ द्वारा चलाये गये, इस वर्ष के सब भट्ठों के हिसाब की जांच हो चुकी है। साल १९५४-५५ में कुल ६२ भट्ठे चले और अब तक १० भट्ठों की जांच हो चुकी है। शेष भट्ठों की जांच (आडिट) ३० जून, १९५६ तक समाप्त हो जाने की आशा है।

सैदपुर, जिला गाजीपुर, के मछुओं के मछलियां छीने जाने के संबंध में प्रार्थना-पत्र

*४४—श्री देवराम (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सैदपुर (गाजीपुर) के मछुओं ने ३-१-५६ को मुख्य मंत्री, राजस्व मंत्री एवं गाजीपुर और बनारस के जिलाधीश तथा पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट के पास इस आशय के आवेदन-पत्र दिये हैं कि गंगा नदी से पकड़ी हुई उनकी मछलियां बनारस तथा गाजीपुर के कुछ गांवों के लोग जबरदस्ती छीन लेते हैं ? यदि हां, तो उनकी जान व माल की रक्षा का क्या प्रबन्ध किया गया है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां, पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट बनारस तथा जिलाधीश एवं पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट गाजीपुर के कार्यालय में उक्त आशय के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे। जांच करने पर ज्ञात हुआ कि मछुवे गंगापार बनारस जिले में मछली मारने जाते थे और एक आध बार कुछ ग्रामीण व्यक्तियों ने उन्हें परेशान किया और उनकी मछलियां छीन लीं। किन्तु विश्वस्त साक्ष्य न मिलने के कारण कानूनी कार्यवाही न की जा सकी। उपद्रवकारियों को चेतावनी दे दी गई और संबंधित हल्कों की पुलिस को सतर्क कर दिया गया कि पुनः ऐसा घटना न होने पावे। उसके बाद से इस विषय में कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है।

श्री देवराम—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अभी तक नदी के किनारे के गांवों के लोगों की मछली लोग पकड़ लेते हैं और उन्होंने अपना काम बन्द कर दिया है जिसके कारण विकट समस्या उत्पन्न हो गयी है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जैसा कि मैंने निवेदन किया, इस समय कोई ऐसी शिकायत नहीं है, लेकिन यदि माननीय सदस्य जो शिकायत वह कह रहे हैं उनको मेरे पास भेज देंगे तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि यह शिकायतें दूर हों।

श्री देवराम—क्या माननीय मंत्री जी गाजीपुर और बनारस की पुलिस को आदेश देंगे कि छापा मार कर ऐसे व्यक्तियों को पकड़े और उन पर उचित कार्यवाही करे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—यदि पुलिस को समय पर सूचना मिलेगी तो ऐसा भी हो सकेगा।

रानीखेत में पुलिस दुर्व्यवहार के विरुद्ध हड़ताल

*४५—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि रानीखेत में दिसम्बर, १९५५ के अन्तिम सप्ताह में स्थानीय पुलिस के दुर्व्यवहार के विरोधस्वरूप सम्पूर्ण शहर में आम हड़ताल रखी ?

नोट—तारांकित प्रश्न ४३ श्री रामसुन्दर पांडेय ने तथा ४५-४६ श्री मदन मोहन उपाध्याय ने पूछे।

श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां, हड़ताल दफा ४५७ के कथित अभियुक्त की गिरफ्तारी के विरुद्ध की गई थी।

***४६—श्री नारायणदत्त तिवारी** (अनुपस्थित)—अगर हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त घटना की जांच आदि के बाद सरकार ने क्या-क्या अनुशासनात्मक तथा अन्य कार्यवाही की है?

श्री जगनप्रसाद रावत—इस अभियोग का निर्णय न्यायालय द्वारा फरवरी के अन्तिम सप्ताह में हो चुका है। सम्बन्धित पुलिस अधिकारी के विरुद्ध अब जांच हो रही है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस पुलिस अधिकारी के खिलाफ कौन जांच कर रहा है?

श्री जगन प्रसाद रावत—विभाग द्वारा जांच हो रही है।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्धित पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोर्ट से कोई फैसला हुआ है?

श्री जगनप्रसाद रावत—सम्बन्धित पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोर्ट से कोई फैसला नहीं हुआ। उसके खिलाफ कोई मुकदमा भी कोर्ट में नहीं चलाया गया।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो फैसला अदालत से हुआ उसमें कोई एडवर्स रिमार्क वहां के थानेदार के खिलाफ भी किया गया है?

श्री जगनप्रसाद रावत—उसमें अभियुक्त को बरी किया गया और उसमें इस तरह का आक्षेप है कि एक निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की गई। तो यह कुछ विरोध में ही जाता है।

***४७-४९—श्री व्रजभूषण मिश्र** (जिला मिर्जापुर)—[२४ मई, १९५६ के लिए स्थगित किये गये।]

कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद, के नलकूपों के लिए बिजली की व्यवस्था

***५०—श्री सुल्तान आलम खां** (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जो नये जलकूप कायमगंज जिला फर्रुखाबाद में तैयार हुये हैं उन्हें बिजली कब और कहां से मिलेगी?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—तहसील कायम गंज जिला फर्रुखाबद में जो नये नलकूप बनने हैं उनमें से कुछ को बिजली मिल चुकी है और बाकी को निबकरोरी डिजेल स्टेशन से सितम्बर १९५६ तक बिजली मिलने की आशा है।

विधायक निवास में स्थानाभाव

***५१—श्री जोरावर वर्मा**—क्या सरकार बतायेगी कि दिसम्बर, सन् १९५५ तक कितने ऐसे विधायक हैं जो (double seated suites) में रहते रहे हैं और जिन्होंने अभी तक किराया अदा नहीं किया?

श्री धर्म सिंह—दिसम्बर, १९५५ के अन्त तक कुल ४८ सदस्य विधायक निवासों के बड़े कक्षों में अकेले ही रहे जिन्होंने अभी तक किराया अदा नहीं किया है।

*५२—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार बतायेगी कि अभी कुछ ऐसे विधायक हैं जिनके रहने की व्यवस्था सरकार नहीं कर सकी है ? यदि हां, तो कितने और क्यों ?

श्री धर्म सिंह—२४ विधायक इस समय ऐसे हैं जिनके रहने की समुचित व्यवस्था नहीं हो सकी है। इसका कारण एक तो यह है कि कुछ बड़े कमरों में अभी तक दो-दो सदस्यों को रखना सम्भव नहीं हो सका है और दूसरा यह कि होटलों में जो स्थान उपलब्ध हो सका वह उन्हें पसन्द नहीं है।

*५३—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार बतायेगी कि जिन विधायकों के निवास की व्यवस्था वह नहीं कर सकी है उन्हें कुछ कम्पेंसेशन (Compensation) देने का विचार वह कर रही है ताकि वे अपने रहने की व्यवस्था अन्यत्र कर सकें ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्म सिंह—यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन ४८ सदस्यों ने किराया अदा नहीं किया है उनसे किराया मांगा गया है ? यदि हां, तो किस आधार पर डेली बेसिस पर या एनुअल बेसिस पर ?

श्री धर्म सिंह—उनसे किराया अवश्य मांगा गया लेकिन बाद में सरकार ने यह निश्चय किया, वैसे शुरुआत में वह अकेले रहते थे तो उन पर ४ रुपये रोजाना के हिसाब से था लेकिन बाद में उसको आधा कर दिया यानी एनुएल बेसिस पर उनसे किराया मांगने की व्यवस्था की गयी है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि क्या कोई ऐसा नियम है कि जिसके द्वारा सरकार विधायकों की पे से इसको काट सकती है ?

श्री धर्मसिंह—पहले उनसे प्रार्थना की जाती है कि वह स्वयं दे और जब वह लिखित सूचना दे देते हैं तो उनकी पे से अवश्य काट लिया जाता है।

श्री कन्हैयालाल बाल्मीकि (जिला हरदोई)—क्या सरकार के पास इस प्रकार की शिकायत आयी है कि स्टेट आफिसर द्वारा किसी विधायक की सैलरी से ९० रुपया बगैर उसके नाम कमरा अलाट किये काट लिया गया ?

श्री धर्मसिंह—ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी है। यदि माननीय सदस्य इसको नोटिस में लायेंगे तो अवश्य कार्यवाही की जायेगी।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि २४ विधायक जिनका अभी तक रहने का ठिकाना नहीं है उन के लिए किन-किन होटलों में उन्होंने रहने की व्यवस्था की है ?

श्री धर्मसिंह—इनके लिए बर्लिंगटन होटल में व्यवस्था कर रखी है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि विधायकों की सुविधा के लिये रोयल होटल में और कमरे वह खाली कराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री धर्म सिंह—इस वक्त इस तरह का प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—क्या यह सही है कि बर्लिंगटन होटल में भी जिन लोगों को सरकार ने आदेश दे दिये हैं उनको भी कमरे नहीं मिल रहे हैं ?

श्री धर्मसिंह—ऐसी बात नहीं है। यदि इस तरह की चीज होगी तो उस पर कार्यवाही की जायगी।

श्री बलदेव सिंह---मुझे स्वयं आदेश मिला था। मैं स्वयं वहां गया लेकिन मुझे जवाब मिला कि वहां पर स्थान नहीं है।

श्री अध्यक्ष---यह तो केवल सूचना हो गयी प्रश्न नहीं है।

श्री बलदेव सिंह---क्या सरकार इसकी जांच करायेगी?

श्री धर्म सिंह---यदि आप लिख कर देंगे तो इसकी जांच करा ली जायगी।

श्री अध्यक्ष---यह स्वयं गुजरी हुयी बात है उस पर सरकार का इरादा पूछा गया और इसमें नोटिस की आवश्यकता नहीं है।

श्री धर्म सिंह---जी, इसकी जांच करा ली जायगी।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह प्रश्न कब तक विचाराधीन रहेगा और क्या जिन लोगों की व्यवस्था नहीं है उनके लिये कोई तात्कालिक प्रबंध किया जायगा?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---विचाराधीन बहुत दिनों तक रहेगा। जितनी कमी है वह साल ब साल पूरी की जाती रहेगी। आप जानते हैं कि इस साल बजट में इसके लिये कुछ रुपया रक्खा गया है।

बरेली जिले में थाना बाराहदरी की पुलिस के हाथों कथित हत्या

*५४---श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बरेली थाना बाराहदरी में गत मास पुलिस के मार के कारण किसी नवयुवक की मृत्यु हो गयी?

श्री जगन प्रसाद रावत---गत मास में कोई ऐसी घटना नहीं हुयी।

*५५---श्री धर्म दत्तवैद्य---क्या सरकार कृपा कर सूचना देगी कि इस नवयुवक की पोस्टमार्टम की क्या रिपोर्ट है?

*५६---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री जगन प्रसाद रावत---प्रश्न नहीं उठते।

श्री धर्म दत्त वैद्य---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि २५ फरवरी को बाराहदरी थाने में पुलिस द्वारा जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया था उसकी मृत्यु उसी दिन रात को हो जाने का क्या कारण है।

श्री जगनप्रसाद रावत---फरवरी महीने में किसी घटना की सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री धर्मदत्त वैद्य---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि २९ फरवरी को बरेली सर्किट हाउस में उस व्यक्ति के अभिभावक उनसे मिले थे और उन्होंने पुलिस की शिकायत उनसे की थी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मुझे तारीख तो याद नहीं है लेकिन इतना मुझे जरूर याद है कि मुझसे कुछ लोगों ने इस किस्म की शिकायत की थी।

श्री धर्मदत्त वैद्य---उस शिकायत पर क्या कार्यवाही की गयी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---शिकायत की कार्यवाही का जो नतीजा निकला उसके उत्तर में बताया गया कि शिकायत की पुष्टि नहीं हुयी।

श्री धर्मदत्त वैद्य—क्या यह सत्य है कि उस व्यक्ति की मृत्यु पुलिस थाने में हुयी थी लेकिन रात को दो बजे के बाद उसको अस्पताल में भेजा गया ?

श्री जगन प्रसाद रावत—माननीय सदस्य मुझे उसका नाम बता दें जिस व्यक्ति के सम्बन्ध में उनका इशारा है। फिर चाहे वह घटना फरवरी की हो अथवा मार्च की उसका पता लगा लिया जायगा।

श्री धर्मदत्त वैद्य—२९ फरवरी को जब माननीय मंत्री जी हरद्वार से लौटे थे तब यह मामला उनके सामने रक्खा गया था।

श्री अध्यक्ष—यह तो केवल सूचना हुयी।

जालौन जिले के ग्राम बहराई निवासी श्री महताब सिंह की रहस्यपूर्ण मृत्यु

*५७—**श्री बसन्त लाल** (जिला जालौन)—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि जिला व परगना जालौन थाना राम पुरा ग्राम बहराई में ता० १३-२-५६ को किसी व्यक्ति की रहस्यमय ढंग से हत्या कर दी गयी है ? अगर हां, तो क्या सरकार तत्संबंधित विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री जगन प्रसाद रावत—जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री बसन्त लाल—क्या सरकार को ज्ञात है कि फरवरी के प्रथम सप्ताह में इस व्यक्ति ने रात के १२ बजे तक नाच देखा। देखने के बाद जब लौटा तो उसकी लाश मकान के बाहर पायी गयी ?

श्री जगन प्रसाद रावत—यह सही है कि महताब सिंह की मृत्यु हुयी और उनके रिश्तेदारों ने उनकी लाश को जला दिया लेकिन उनकी हत्या के सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं की गयी ?

श्री बसन्त लाल—क्या सरकार को यह भी मालूम है कि कुछ व्यक्तियों ने जुर्म को छिपाने की खातिर यह कह कर कि उसकी हत्या प्रेत ने की है पुलिस को बिना इत्तला किये लाश को जला दिया।]

श्री अध्यक्ष—यह आप केवल सूचना दे रहे हैं। यह सवाल ही नहीं है।

श्री बसन्त लाल—क्या सरकार इस प्रश्न को इत्तला समझ कर दुबारा जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री जगन प्रसाद रावत—यदि माननीय सदस्य या कोई दूसरे सज्जन इस सम्बन्ध में कोई ऐसे प्रमाण देंगे जिससे इसका पता लगाया जा सके तो अवश्य ही इसकी जांच कराई जा सकेगी।

*५८-६०—**श्री तुलाराम रावत** (जिला इटावा)—[१७ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

हमीरपुर जिले में कत्लों की संख्या

*६१—**श्री तेज प्रताप सिंह** (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हमीरपुर जिले में सन् १९५४-५५ व १९५६ में कुल कितने कत्ल हुये हैं ?

*६२—क्या सरकार बतायेगी कि इन कत्लों के कितने मामलों में अभियुक्त सजायाब हुये ?

नोट—तारांकित प्रश्न ६१-६२ श्री जोरावर वर्मा ने पूछे।

श्री जगन प्रसाद रावत—मांगी गयी सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी हुयी है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४१२ पर)

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मत्री जी बतलायेंगे कि सन् ५४ की डकैतियों से संबंधित जो अभी ८ व्यक्ति फरार हैं ये अभियुक्त डकैतियां डाल रहे हैं और वहां की जनता बहुत ही आंतकित है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—यह संभव है कि जो व्यक्ति फरार हैं वे डाका डाल रहे हों ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सन् ५६ की मार्च तक ११ कत्ल हो चुके हैं और इन कत्लों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है तो इसकी रोकथाम के लिये कुछ तात्कालिक उपचार माननीय मंत्री कर रहे हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत—जो भी संभव उपाय है वह किया जा रहा है । माननीय सदस्य भी कुछ सुझाव देंगे तो उन पर भी अमल करने की कोशिश करेंगे ।

मुजफ्फरनगर जिले को अधिक बिजली देने का आश्वासन

*६३—**श्री बलवन्त सिंह** (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार ने जिला मुजफ्फर नगर में बिजली वितरण करने के लिये यह तय कर लिया है कि कहां-कहां सब-स्टेशन तथा लाइनें लगायी जायेंगी जिससे जिले की जनता उससे लाभ उठाने के लिये सरकार के पास अर्जियां भेज सके ?

श्री धर्म सिंह—जिला मुजफ्फरनगर में बिजली पहिले से ही उपलब्ध है । और जनता से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर कनेक्शन दिये जाते हैं । जब तक कोई निश्चित मांग मालूम न हो तब तक सरकार विद्युत वितरक लाइनें तथा सब स्टेशन नहीं बनाती ।

*६४—**श्री बलवन्त सिंह**—सरकार जिला मुजफ्फरनगर की कितनी आबादी तक के गांव तथा कस्बों को बिजली देना चाहती है ?

श्री धर्म सिंह—साधारणतया ५,००० और उससे अधिक आबादी वाले कस्बों और गांवों को बिजली दी जाती है ।

श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि क्या गंगा ग्रिड से मुजफ्फरनगर को बिजली देने का कोटा मुकर्रर किया गया है ?

श्री धर्म सिंह—कोटा तो कोई मुकर्रर नहीं किया है लेकिन प्रार्थना पत्रों के अनुसार बिजली देने का प्रबंध किया जायगा ।

श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकारको यह मालूम है कि मुजफ्फरनगर जिले में कई मील लंबा चौड़ा ऐसा इलाका है जहां आबपाशी नहीं होती ? क्या उनके लिये बिजली की लाइन लगाने का प्रबंध किया जा रहा है ?

श्री धर्म सिंह—जी हां किया है और जहां तक हो सकता है इस बात की कोशिश की जा रही है ?

*६५—**श्री बलवन्त सिंह**—[२४ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

कायमगंज तहसील के कुछ गांवों के लिए बिजली की मांग

*६६—**श्री सुल्तान आलम खां** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया यह बतलायेगी कि तहसील कायमगंज (फर्रुखाबाद) के मौजा पितौरा, रायपुर, सिकन्दरपुर और कैम्पिल में बिजली कब मिल सकेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जिला फर्रुखाबाद तहसील काथमगंज के पितौरा, रायपुर, सिकन्दरपुर और कैम्पिल कस्बों के विद्युतन के लिये अभी तक कोई निश्चय नहीं किया गया है ।

सुरहा नहर को बिजली देने का आश्वासन

*६७—**श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह** (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सुरहा नहर को कब तक बिजली मिल जाने की आशा है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता मगर कोशिश है कि जल्द मिल जाय ।

*६८—**श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह** (अनुपस्थित)—क्या सरकार को मालूम है कि बलिया जिले के बांसडीह टाउन एरिया को निकट भविष्य में बिजली मिलने की सुविधा प्राप्त होने जा रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं ।

फूलपुर टाउन एरिया, जिला आजमगढ़ को बिजली देने का आयोजन

*६९—**श्री रामवचन यादव** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला आजमगढ़ के फूलपुर टाउन एरिया में बिजली कब तक लग जायेगी ?

श्री धर्म सिंह—यह इरादा है कि फूलपुर में जितनी जल्द हो सके बिजली लगा दी जाय । समय निश्चित कर देना मुश्किल है ।

श्री रामवचन यादव—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि फूलपुर में बिजली लगाने का काम किस स्टेज पर है ?

श्री धर्म सिंह—इसकी सर्वे हो रही है और ३३ केबिल लाइन आजमगढ़ से फूलपुर तक लगाने की व्यवस्था की जा रही है ।

*७०-७१—**श्री तेजा सिंह** (जिला मेरठ)—[३ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

डिप्टी कलेक्टर और जुडीशियल आफिसरों के स्थायीकरण के नियम

*७२—**श्री सहदेव सिंह** (जिला एटा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि डिप्टी कलेक्टर और जुडीशियल आफीसरों के स्थायीकरण के क्या नियम हैं ? राज्य में इस समय कितने अधिकारी ऐसे हैं जिनको ५ वर्ष से अधिक कार्य करते हो गये हैं किन्तु अभी तक स्थायी नहीं हुये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जिन डिप्टी कलेक्टरों की नियुक्ति सीधे (direct) होती है उनको दो वर्ष के परीक्षण काल पर रक्खा जाता है तथा जिनकी नियुक्ति प्रमोशन (promotion) द्वारा होती है उनको एक वर्ष के परीक्षण काल पर रक्खा जाता है । परीक्षण काल की अवधि में सब अफसरों को एक वैभागिक परीक्षा पास करनी होती है इस परीक्षा को सम्पूर्णतया पास कर लेने पर यदि कमिश्नर यह रिपोर्ट करते हैं कि वह स्थायीकरण के लिये उपयुक्त है और उनकी सत्य निष्ठता प्रमाणित है तो उनको स्थायी कर दिया जाता है ।

जुडिशियल अफसरों के पद कुछ वर्ष पूर्व तक अस्थायी थे। सन् १९५१ में लगभग १८० ऐसे अस्थायी पदों में से ६० पद स्थायी किये गये। इसी प्रकार १ अप्रैल, १९५५ से ६० और पद स्थायी किये गये। अस्थायी जुडीशियल अफसरों का इन १२० पदों पर स्थायीकरण पब्लिक सर्विस कमीशन (Public Service Commission) की स्वीकृति से किया गया है।

प्रश्न के दूसरे भाग में पूछी गयी सूचना एकत्रित की जा रही है। एकत्रित हो जाने पर सदस्य महोदय को दे दी जायगी।

भ्रष्टाचार निरोधक समितियों द्वारा प्रारम्भिक जांच कार्य के लिए सुझाव

*७३--श्री सहदेव सिंह (अनुपस्थित)--भ्रष्टाचार निरोध के लिये नियुक्त अधिकारियों को क्या सरकार पुलिस कप्तान के अधिकार से हटाकर सीधे अपनी देख-रेख में रखने के औचित्य पर विचार कर रही है और क्या सरकार भ्रष्टाचार निरोधक समितियों को प्रारंभिक जाँच करने के अधिकार देने पर विचार करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं, ऐसा कोई प्रश्न सरकार के विचारार्धीन नहीं है।

अलीगढ़ जिले में घटित वारदातें

*७४--श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले में १९५२-५३ तथा १९५३-५४ में कत्ल और डकैतियों की कितनी घटनायें हुयीं और उनमें से कितने कत्ल और कितनी डकैडियों का पता अब तक नहीं मिल सका ?

श्री जगनप्रसाद रावत--मांगी गई सूचना संलग्न विवरण-पत्र में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४१३)

*७५--श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ--क्या गृह मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि तहसील हाथरस क्षेत्र में १०७/११७ जाब्ता फौजदारी कितने लोगों पर चल रही है ? और गत वर्ष में कितने लोगों को इन दफाओं में सजायें हुई थीं।

श्री जगन प्रसाद रावत--६२ व्यक्तियों पर दफा १०७/११७ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत कार्यवाही हो रही है। गत वर्ष ७१ व्यक्तियों से इन दफाओं के मातहत जमानत-मुचलका लिया गया।

बिक्री-कर से बचने के लिए कल्पित नामों से दूकानें खोलना

*७६--श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ--क्या वित्त मंत्री को यह ज्ञात है कि जिन लोगों पर बिक्री कर का लाखों रुपया बकाया है वे भिन्न-भिन्न नामों से कितनी ही फर्म चला रहे हैं और सरकार को बड़ी हानि हो रही है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री धर्म सिंह--कानूनी तौर से एक व्यक्ति विभिन्न नामों से एक से अधिक फर्म चला सकता है, इसके फलस्वरूप यह आवश्यक नहीं है कि सरकार को बिक्री कर से राजस्व की हानि हो। परन्तु यह सच है कि कुछ व्यापारी बिक्री कर से बचने के लिये फर्जी नामों से कारोबार करते हैं। कर वंचन के ऐसे मामलों को रोकने के लिए बिक्री कर अधिकारियों द्वारा पर्याप्त कार्यवाहियां की गयी हैं। इन कार्यवाहियों में रेलवे तथा सड़क परिवहन अधिकारियों से वास्तव में माल पाने वालों के नामों के सम्बन्ध में पूछताछ करना और छिपे हुए गोदामों आदि पर छापा मारना शामिल है। एक राज्य से दूसरे राज्य को माल भेजे जाने के सम्बन्ध में सूचना का आदान-प्रदान करने के लिये अन्य राज्यों से पारस्परिक प्रबन्ध भी किये गये हैं।

सहकारिता अधिनियम में संशोधन का विचार

*७७--श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वह निकट भविष्य में ही सहकारिता अधिनियम को संशोधन के लिये सदन के सामने प्रस्तुत करने वाले हैं ?

श्री मंगला प्रसाद--सहकारिता अधिनियम को संशोधन के लिये सदन के सामने निकट भविष्य में प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ।

श्री महीलाल--क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि यह निकट भविष्य की अवधि सामान्य निर्वाचन से पहले पूरी हो जायगी या नहीं ?

श्री मंगला प्रसाद--उस की सब कार्यवाही जो हमें करनी थी वह तो हम कर चुके हैं वह अब ला डिपार्टमेंट में है, जैसे ही वहां से आ जायगा उसे पेश किया जायगा । वहां काम बहुत है, हो सकता है कि कुछ देर हो जाय लेकिन आशा है कि निर्वाचन से पहले हम उस को ला सकें ।

अतारांकित प्रश्न

आगरा जिले में दफा १०९ के अन्तर्गत गिरफ्तारियां

१--श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९५५-५६ में आगरा जिले में कितने व्यक्तियों को जुर्म दफा १०९ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया और उनमें से कितने मामलों में चालान किया गया तथा कितने मामलों में सजा दी गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--१९५५ में ५५० तथा ३१ मार्च, १९५६ तक १०३ व्यक्यिों को जुर्म दफा १०९ जाबता फौजदारी के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया तथा उन सबका चालान किया गया जिनमें क्रमशः ४१८ तथा ६१ व्यक्तियों को अब तक सजा हुई है ।

२-३--श्री उमाशंकर--[१० मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

जौनपुर जिले में कान्सटेबिलों की भर्ती

४--श्री परमेश्वरी दयाल (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५५ ई० व जनवरी, १९५६ ई० में जिला जौनपुर में कुल कितने कितने कान्सटेबिल चुने गये और उसमें प्रत्येक साल कितने-कितने हरिजन उम्मीदवार लिये गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जिला जौनपुर पुलिस में सन् १९५५ में १ सिपाही तथा जनवरी सन् १९५६ ई० में ९ सिपाही भर्ती किये गये । इनमें कोई भी हरिजन सिपाही नहीं चुना जा सका ।

---

२२ मार्च, १९५६ के तारांकित प्रश्न ४३ से सम्बद्ध एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

श्री अध्यक्ष--अब माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तरों की दुरुस्तगी प्रस्तुत करेंगे ।

पुलिस उपमन्त्री (श्री जगन प्रसाद रावत)--एक करेक्शन है । २२ मार्च, १९५६ को विधान सभा में प्रश्न संख्या ४३ के सम्बन्ध में श्री गंगा प्रसाद सिंह जी ने निम्नलिखित प्रश्न पूछा था--

"क्या यह सही है कि जब ये साधू गिरफ्तार हुए तो उनके पास

कुछ बच्चों की खोपड़ी और जीवित बच्चे भी पाये गये ?" उसका उत्तर मैंने "जी हां" दिया था। यह उत्तर वास्तविकता को प्रकट नहीं करता । मेरा अभिप्राय यह था कि वहां केवल कुछ खोपड़ियां पाई गई थीं। मेरी प्रार्थना है कि उस दिन की कार्यवाही में उत्तर में संशोधन कर दिया जाय।

प्रश्न संख्या २३ से सम्बद्ध अनुपूरक प्रश्न के संबंध में आपत्ति

*महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)---अध्यक्ष महोदय, आज के प्रश्न संख्या २३ के उत्तर में माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि इस प्रकार का प्रश्न कई दफा आ चुका है और वे इसका उत्तर सदैव यह देते रहे "यह विचाराधीन है"। आश्वासन समिति के कार्य के समय में भी यही उत्तर दिया गया। मैं माननीय मुख्य मंत्री से यह कहना चाहता हूं कि हालांकि यह उत्तर यहां स्वीकार हो सकता है लेकिन वहां पर भी इसी प्रकार के उत्तर दिये जा रहे हैं। समय समय पर "विचाराधीन है" ऐसा उत्तर देना कहां तक ठीक है ।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आश्वासन समिति में जब ऐसा उत्तर आवे तो कृपा करके आप मेरा ध्यान उस ओर आकर्षित करें । प्रश्नों के वक्त में यह बात उठाई नहीं जा सकती ।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह---वह प्रश्न आज उठा और बेधड़क माननीय मंत्री जी ने कह दिया "विचाराधीन है" जैसा कि वे सदैव कहा करते हैं। इसलिये मैंने यह समझा कि यह उचित अवसर होगा कि आपका ध्यान इस ओर दिलाऊं।

श्री अध्यक्ष---अच्छी बात है ।

बी० एम० बी० एस० के विद्यार्थियों द्वारा सत्याग्रह से उत्पन्न परिस्थिति पर विचारार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---एक कामरोको प्रस्ताव श्री राम आसरे वर्मा जी ने दिया है । ६ जून से लखनऊ मेडिकल कालेज के बी० एम० बी० एस० के विद्यार्थी माननीय स्वास्थ्य मंत्री के निवासस्थान पर शान्तिपूर्ण सत्याग्रह कर रहे हैं। इस प्रस्ताव में शिकायत के सम्बन्ध में उन्होंने कुछ जानकारी दी है कि कौन सी शिकायत है और उनका कथन है कि इस घटना से प्रदेश के सारे छात्र जगत में भारी रोष और असंतोष का वातावरण पैदा हो गया है और किसी भी समय व्यापक विस्फोट हो सकता है। अतः इस विशेष तथा आवश्यक परिस्थिति पर विचार करने के लिए सदन अपना आज का कार्य स्थगित करता है, इस प्रकार का प्रस्ताव है ।

माननीय गेंदा सिंह जी ने इस विषय के सम्बन्ध में कुछ अल्पसूचित प्रश्न पेश किये हैं और मुझे स्वास्थ्य मंत्री जी की तरफ से यह उत्तर मिला है कि वह उन्होंने मंजूर कर लिये हैं और वह प्रश्नों का जवाब देंगे और कल ही इस सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर जो होगा तो इस विषय पर जवाब मिल जायगा । तो चूंकि कामरोको प्रस्ताव में बहुत से वाकयात के सम्बन्ध में निश्चितता नहीं है इस कारण मैं कामरोको प्रस्ताव को उपस्थित करने की इस वक्त मंजूरी नहीं

---

* वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अध्यक्ष]

देता हूं। लेकिन यदि प्रश्नोत्तर के बाद माननीय सदस्य किसी निश्चित विषय पर इस सम्बन्ध में कामरोको प्रस्ताव लायेंगे तो उसके औचित्य को देखकर मैं उसको इस बुनियाद पर अस्वीकृत नहीं करूंगा कि आज मैंने उसको अस्वीकृत किया है।

बदायूं जिलान्तर्गत चीनी मिलों द्वारा गन्ने की खपत के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--दूसरा काम रोको प्रस्ताव श्री टीकाराम जी का है वह इस प्रकार है--

"बेलहरी शुगर मिल, मुरादाबाद और न्यूली शुगर फैक्टरी, एटा के लिए पूरे जिला बादयूं से गन्ना सप्लाई होता है। इस वर्ष गन्ना सप्लाई का तरीका बहुत ही असंतोषजनक रहा है और अबतक केवल ६० फीसदी गन्ना मिल द्वारा लिया गया है तथा अभी लगभग पांच लाख मन गन्ना खेतों में ही पड़ा है तथा शीघ्र ही उपरोक्त शुगर मिलें बन्द होने वाली है। अब सारा गन्ना मिलों द्वारा नहीं खरीदा जा सकता। गरीब किसानों को काफी क्षति हो रही है। इस सम्बन्ध में मैंने सारी जानकारी स्वयं हासिल की है। उत्पन्न परिस्थिति से सारे जिले के गन्ना उत्पादकों में व्यापक असंतोष तथा रोष फैल गया है और सारे जिले में विषम परिस्थिति पैदा हो गयी है। इस आवश्यक तथा विषम परिस्थिति पर वादविवाद करने के लिए आज सदन अपना कार्य स्थगित करता है।"

इस सम्बन्ध में मैंने यह प्रस्ताव माननीय मंत्री जी के पास भेज दिया था मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मंत्री जी इस विषय में कोई सूचना सदन को इस वक्त देना उचित समझेंगे या किसी दूसरे रोज।

नियोजन मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--मैं इस वक्त भी सूचना दे सकता हूं और अगर दूसरे दिन आवश्यकता हो तो दूसरे दिन दे सकता हूं। इसमें जो बातें लिखी हुई है....

श्री अध्यक्ष--मतलब यह है कि आप सूचना देने के लिए इस वक्त तैयार हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां। मैं सूचना दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष--मैं यही जानना चाहता था।

मेरे पास श्री टीकाराम जी ने अपनी जांच के सम्बन्ध में भी एक पत्र लिखा है जिसके आधार पर उन्होंने यह कामरोको प्रस्ताव उपस्थित किया है। तो मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि वह इस विषय में इस की आवश्यकता यानी अर्जेंसी के सम्बन्ध में यह मुझे बतायें कि क्योंकर आप समझते हैं कि आज ही इस विषय के ऊपर विचार किया जाय।

श्री टीकाराम (जिला बदायूं)--इसकी आवश्यकता इसलिये है कि करीबन कई लाख रुपये का नुकसान जिला बदायूं में हो रहा है और गन्ना सूख रहा है, आगे लग रही है, किसान परेशान हो रहा है। हम लोगों को चैन से नहीं बैठने देता है और हमारे सर पर सवार होता है इस वजह से कि अपने नुकसान को बरदाश्त नहीं कर पाता है। खरीफ बर्बाद हो गयी, रबी की हालत बुरी है। गन्ना ही गन्ना रह गया। उसमें इस तरह से बंधे बैठे हैं।

पहले ही हमारा बाउन्ड हो जाता है फिर हमसे पक्का सट्टा कर लिया गया है और ६ लाख ६० हजार मन का सट्टा है और गन्ना भी नहीं जा रहा है....

श्री अध्यक्ष--उसके वाकयात बताने की जरूरत नहीं है। मतलब यह है कि गन्ना बहुत सा बेकार जा रहा है, नुकसान हो रहा है किसानों का। इसलिये आप अर्जेंसी समझते हैं इसकी। माननीय मंत्री जी इस विषय में अगर कुछ बयान देना चाहें तो दे दें और अर्जेन्सी के विषय में भी या जो अभी माननीय सदस्य ने बताया उसके विरोध में, इस कामरोको प्रस्ताव के, कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं।

*श्री चन्द्रभानु गुप्त--अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यह प्रस्ताव जो है और जो इसमें बातें लिखी हुई हैं वह जरूरी नहीं हैं। अभी जिनके ऊपर हम विचार करें। क्योंकि जिन फैक्ट्रियों का इसमें जिक्र किया गया है कि वह बन्द होने वाली हैं। तो वह अभी तो बन्द होने वाली नहीं हैं। उन फैक्ट्रियों को गन्ना कम से कम १५ जून तक पेरना होगा। जहां तक गन्ने के खड़े रहने का विषय है तो जैसा मैंने अभी बताया कि अभी तो उनको गन्ना १५ जून तक देना है तो वह गन्ना जहां तक मेरी इत्तला है पेरा जायगा और जितना गन्ना उन फैक्ट्रियों से लगा हुआ है वह अवश्य उन फैक्ट्रियों के द्वारा पेर दिया जायगा। इसलिये यह बात सत्य नहीं है कि वह गन्ना पड़ा रह जायगा।

इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि सारे बदायूं जिले का गन्ना इन दो फैक्ट्रियों में लगा हुआ है। तो यह बात सत्य नहीं है। हर फैक्ट्री का रिजर्व एरिया होता है और उस एरिया के गन्ने को उन फैक्ट्रियों को पेरने के लिये बाध्य किया जाता है। ऐसे स्थान हो सकते हैं बदायूं के जिले में जहां गन्ना पहले से पैदा होता है और जो गन्ना फैक्ट्रियों को लगता न रहे और वह पेरती न रहें। तो इसलिये बदायूं के सारे जिले के गन्ने के विषय में चर्चा करना एक तो अनावश्यक है और उसका सम्बन्ध फैक्ट्रियों के पेरने से नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आज कोई इस बात की आवश्यकता नहीं कि यह सदन इस विषय के ऊपर विचार करे। फैक्ट्रियां इस गन्ने को पेरेंगी और कदाचित् वे १५ जून तक पेरेंगी।

न्यूली फैक्ट्री के विषय में अवश्य कहना है। उसका एक ब्वायलर थोड़े दिन हुए जरा खराब हो गया था। तो उस फैक्ट्री के मालिकों ने सोसायटी को यह नोटिस दिया था कि कदाचित वह फैक्ट्री सारे गन्ने को अधिक समय तक पेर न सके। केन कमिश्नर ने इस बात की हिदायत उस फैक्ट्री के ओनर्स को दी है कि उन्हें शीघ्र ही एक हफ्ते के अन्दर ब्वायलर को ठीक करा लेना चाहिये और इस गन्ने के पेरने के लिये १५ जून तक उन्हें फैक्ट्री चलानी चाहिये, जैसे अन्य स्थान की फैक्ट्रियों को १५ जून तक चलना है। इसलिये मैं इस बात की कोई आवश्यकता नहीं समझता कि यह सदन इस विषय के ऊपर विचार करे।

श्री अध्यक्ष--मंत्री जी के वक्तव्य से बात स्पष्ट है कि १५ जून तक यह फैक्ट्री चलेंगी तो जहां तक अर्जेन्सी का सवाल है कि वह सब बन्द हो रही हैं इस वास्ते इसके ऊपर तत्काल विचार करना चाहिये तो मैं इसको अर्जेन्सी नहीं समझता हूं। दूसरे इस वक्तव्य से यह भी स्पष्ट है कि यह अनिश्चित बात भी है क्योंकि जो बातें माननीय मंत्री जी ने बतायी और माननीय टीकाराम जी ने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

जो बात कही वे बिल्कुल परस्पर विरोधी हैं। तो अनिश्चतता के कारण और अनावश्यक होने के कारण मैं इसकी इजाजत नहीं देता कि उपस्थित हो।

भारत सरकार द्वारा लोहे तथा सीमेन्ट के कोटे में कमी किये जाने के सम्बन्ध में नियोजन मन्त्री का वक्तव्य

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, अगर मेरे वक्तव्य देने की जरूरत हो तो दे दूं जिसके लिये मैंने कल कहा था।

श्री अध्यक्ष—सीमेन्ट और लोहे के बारे में ? आप दे सकते हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अध्यक्ष महोदय, यद्यपि कल मैंने कुछ सूचनायें जो कि गेंदा सिंह जी ने मांगी थीं उन प्रश्नों के उत्तर में दे दी थीं जिसमें ब्यौरेवार मैं बहुत सी बातें इस सदन के समक्ष नहीं प्रस्तुत कर सका था। मैंने वह बातें थोड़े शब्दों में ब्योरेवार लिखी हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पढ़कर सुना दूं। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अनेकों विकास योजनाओं को तथा जनता की मांग को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदेश को सीमेन्ट तथा लोहे का जो कोटा मिलता था वह अपर्याप्त था। चूंकि विकास योजनाओं को पूरा करना ही था अतः हमने विकास योजनाओं को प्राथमिकता दी। विकास योजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात जो शेष रहा उसे हमने दूसरी मांगों के लिये दिया। परन्तु हमें इस बीच लोहे तथा सीमेन्ट की काफी कमी प्रतीत होने लगी थी और ऐसा लगता था कि अब वर्तमान कोटे से काम चलना असम्भव है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ के पूर्व ही हमने यह अनुमान लगाया कि विकास योजनाओं को पूरा करने के लिये हमें अतिरिक्त कोटे की आवश्यकता होगी। अतः भारत सरकार से अनुरोध किया गया कि वह इस प्रदेश के सीमेन्ट व लोहे के कोटे में वृद्धि करें खास तौर से जब कि लोहे पर पूर्ण नियंत्रण लगा दिया गया है। इस विषय में निरन्तर पत्र-व्यवहार भारत सरकार के उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री से बातचीत करने के बावजूद अभी तक कोई उल्लेखनीय सफलता प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान स्थिति यह है कि प्रदेश का सीमेन्ट तथा लोहे का कोटा हमारी आवश्यकताओं से बहुत कम है, जिसका दुष्परिणाम हमारी विकास तथा निर्माण योजनाओं पर पड़ना स्वाभाविक है।

निम्नलिखित आंकड़ों से इस समस्या की गम्भीरता प्रकट हो जावेगी:—

	प्रदेश की कुल मांग	इस प्रदेश को कुल कितना माल भारत सरकार से मिलने की आशा है	
	टन	टन	
सीमेंट	८,४३,०००	३,९,० ०००	जो मांग है और जितना मिलना है उसका परसेंटेज करीब ४६ परसेंट पड़ता है।
लोहा	९१,११७	२८,५००	मांग और जो कुछ मिलने वाला है उसका अनुपात ३१ फीसदी।

उपरोक्त आंकड़ों से ज्ञात होगा कि सीमेंट की इस वर्ष प्राप्ति प्रदेश की मांग आधे से कम तथा लोहे की प्राप्ति मांग के तिहाई से कम होने की आशा है। वर्तमान त्रैमासिक वितरण में अभी हाल में भारत सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि वह रिहैंड बांध तथा अन्य बांधों तथा सिंचाई की बड़ी योजनाओं के लिए जिन्हें काफी मात्रा में सीमेन्ट की आवश्यकता है वह भी हमारे प्रदेश के त्रैमासिक कोटे में से ही जो इस समय ८७ हजार टन का है दी जावेगी। इसका यह फल हुआ है कि जो ८७ हजार टन का त्रैमासिक कोटा जनता तथा सरकारी इमारतों तथा कार्यों में खर्च होने के लिए था उसमें से ९,९९० टन रिहैंड बांध के लिए तथा ३९,४५० टन अन्य सिंचाई की बड़ी योजनाओं के लिए अलग कर दिया जायगा और बाकी ३७,६५० टन ही कुल सरकारी कार्यों तथा जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध होगा।

भारत सरकार के इस नये निश्चय का हमने सख्त विरोध किया है और उनके उद्योग तथा वाणिज्य मंत्री से कहा है कि वह कम से कम बांधो तथा सिंचाई की बड़ी योजनाओं के लिये अलग से सीमेन्ट का कोटा दें ताकि ८७ हजार टन त्रैमासिक जो वैसे भी सरकार तथा जनता की आधी मांगों को भी पूरा नहीं कर सकता उसमें तो कमी न हो। इसके अलावा उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि इस प्रदेश के लिये २९ हजार टन प्रतिमाह के स्थान पर कम से कम ६० हजार टन प्रतिमाह सीमेंट का कोटा निर्धारित करें। मार्च, १९५६ तक उत्तर प्रदेश का लोहे का कोटा भारत सरकार द्वारा त्रैमासिक रूप से निर्धारित किया जाता था, परन्तु १ अप्रैल, १९५५ से भारत सरकार ने यह कोटा वित्तीय वर्ष के आधार पर निर्धारित करना आरम्भ कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप १९५६–५७ के लिए लोहे तथा इस्पात की निम्नलिखित मात्रा निर्धारित की गई––

विकास योजनायें	लोहे के माल के कारखाने	साधारण	छोटे उद्योग	योग
टन	टन	टन	टन	टन
४,१०८	८,२७४	१०,९६०	२७४	२३,६१६

उपरोक्त कोटा हमारी आवश्यकताओं को देखते हुए बहुत कम है। इस कोटे के निर्धारित किये जाने से पहले ही हमने भारत सरकार से कोटा बढ़वाने के लिए प्रार्थना की थी। परन्तु खेद है कि भारत सरकार ने हमारी मांगों को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता प्रकट की। परन्तु इस सम्बन्ध में पत्र–व्यवहार अब भी जारी है और हाल में केन्द्रीय उद्योग तथा वाणिज्य मंत्री से फिर अनुरोध किया गया है कि इस प्रदेश का कोटा कम से कम ६९,५०० टन निम्नलिखित कार्यों के लिए दिया जाय––

विकास योजनाएं २०,००० टन, साधारण कोटा ४०,००० टन, छोटे उद्योगों के लिए ९,५०० टन।

लोहे तथा सीमेन्ट की कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार लोहा तथा सीमेन्ट विदेशों से आयात करने का प्रबन्ध कर रही है। कुछ विदेशी लोहा आ भी चुका है और ऐसी आशा की जाती है कि मई के अन्त तक सीमेन्ट भी आने लगेगा। लेकिन विदेशी लोहे की कीमतें देशी लोहे की कीमतों से लगभग २०० रुपया प्रतिटन अधिक होगी तथा इसी प्रकार विदेशी सीमेन्ट की कीमत देशी सीमेन्ट के मुकाबले में लगभग ६० रुपया फी टन अधिक होगी। प्रदेशीय सरकार आयात किये हुए लोहे तथा सीमेन्ट को भी मंगाने के लिये

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

प्रयत्नशील है ताकि जो लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं वे इसे उपयोग में लावें। अगर हमारी न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार देशी लोहा तथा सीमेन्ट भारत सरकार से नहीं मिल सका तो सम्भव है कि सरकारी विभागों को भी कुछ अंश में आयात किया हुआ लोहा तथा सीमेन्ट इस्तेमाल करना पड़े यद्यपि इससे इमारतों के बनाने तथा विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने का खर्चा बढ़ जायगा परन्तु वर्तमान परिस्थिति में इस अधिक खर्चे को बरदाश्त ही करना पड़ेगा ताकि आवश्यक कार्यों तथा विकास योजनाओं की प्रगति न रुके।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या माननीय उद्योग मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने···

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि प्रश्नोत्तर तो इस वक्त नहीं होगा एक आध कोई जनरल बात आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं।

श्री गेंदा सिंह—तो अध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि यह एक ऐसा प्रश्न है, जिस पर कि हमारे माननीय सदन के माननीय सदस्यों को कुछ मत प्रगट करने का अवसर मिलना चाहिये और नियोजन मंत्री जी ने जो बयान दिया उससे ऐसा लगता है कि हमारे किसानों ने जो छोटे-छोटे काम करने गांव में शुरू किये हैं, जो विकास संबंधी कार्य हैं या मकान बनाने के कार्य हैं उनको बहुत गहरा धक्का लगने वाला है और साथ ही जो रिहैन्ड बांध और सिंचाई की बड़ी-बड़ी योजनाएं है····

श्री अध्यक्ष—तो आप यह चाहते है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर वाद-विवाद के लिए समय दिया जाय?

श्री गेंदा सिंह—जी हां।

श्री अध्यक्ष—माननीय स्वास्थ्य मंत्री आप इसके लिए कोई समय नियत करना चाहते हैं कि जो आपने वक्तव्य दिया इस विषय के ऊपर सदन में विचार हो जाय?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर इस पर सदन में विचार हो लेकिन समय निकालने का विषय ऐसा है कि मैं नहीं जानता कि आगे ८,१० रोज जो हम बैठने वाले हैं उनमें कोई समय निकाल सकेंगे।

श्री अध्यक्ष—तो मेरा सुझाव यह है कि गेंदा सिंह जी इस विषय में स्वास्थ्य मंत्री जी से बात कर लें और अगर कोई समय निर्धारित हुआ तो कार्यक्रम में आ जायगा नहीं तो उत्तर यह है कि फिर नहीं होगा।

मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में कृत संशोधन†

माल उपमन्त्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—मैं वाहन विभाग की विज्ञप्तियां संख्या ४,२३५ –टी–एम/ ३०–– ११५७ –टी–५२ व संख्या ३७६७ (टी–एम)/ ३०–११५७ (४) –टी–५४ क्रमशः दिनांक ३१ जनवरी १९५६ और ११ अक्तूबर १९५५ जिनसे मोटर विहिकिल्स रूल्स, १९४० में संशोधन किये गये हैं सदन की मेज पर रखता हूं।

---

†छापे नहीं गये।

मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन रूल्स, १९३५ में कृत संशोधन†

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—मैं वाहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४७९९ (टी–एम)। ३०–११७(१३)–टी०–५४, दिनांक १० जनवरी, १९५६ जिससे मोटर वहिकिल्स टैक्सेशन रूल्स, १९३५ में संशोधन किये गये हैं सदन की मेज पर रखता हूं।

यू० पी० पंचायत राज नियमों में कृत संशोधन†

स्वशासन उप-मन्त्री (श्री कैलाश प्रकाश)—अध्यक्ष महोदय, मैं पंचायत राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ११३७/३३–३१–५५, दिनांक २ नवम्बर, १९५५ जिससे यू० पी० पंचायत राज नियमों में संशोधन किये गये हैं सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे माननीय सदन के अधिकारों की रक्षा के लिये आज निवेदन करना चाहता हूं। आप देखेंगे कि ये नियम जो संशोधित किये गये हैं यह दूसरी नवम्बर को किये गये हैं। उसके बाद समूचे प्रदेश भर में साढे पांच करोड़ आदमी जो देहात में हैं उनके जरिये से उनका चुनाव किया जाय और उन्हीं के चुनाव के लिये यह संशोधित रूल्स हैं।

श्री अध्यक्ष—यह किस विषय पर आप कह रहे हैं?

श्री गेंदा सिंह—अभी जो स्वशासन मंत्री जी ने पेश किया है। अब उस पर हम यह जरूर निवेदन करेंगे कि अगर मान लीजिये थोड़ी देर के वास्ते कि उसमें कोई ऐसे संशोधन हुये हैं जो उस कानून के अनुसार नहीं हैं वह रिजेक्ट कर दिये जायं या कुछ ऐसे हों जिन्हें सदन किसी वजह से नामंजूर कर दे तो उस पर कार्यवाही हो नहीं सकती। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर सरकार इस बात का उत्तर दे कि दूसरी नवम्बर के संशोधन के अनुसार सारे सूबे में उसके कार्यवाही की जा चुकी तब इतनी देर में क्यों सदन के सामने लाया गया और दूसरी बात यह है कि इस पर कार्यवाही हो चुकी है और अब सदन के लिये मजबूर कर दिया जाता है कि सदन जितनी कार्यवाहियां हो चुकी हैं उनको स्वीकार करे। तो इसमें अधिकारों की रक्षा का प्रश्न उठता है और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे अधिकारों की आप रक्षा करें।

श्री अध्यक्ष—स्वशासन मंत्री इस विषय में जरा प्रकाश डालें कि यह दो नवम्बर का संशोधन है इतनी देर में क्यों आया और जो अन्य प्रश्न नियमों के विषय में उठाये उनके बारे में स्पष्टीकरण जो कुछ करना चाहते हैं करें।

श्री कैलाश प्रकाश—श्रीमन्, यह विज्ञप्तियां जो पेश की गई हैं ये केवल नवम्बर २ की ही नहीं हैं। नवम्बर २ की तो दो तीन रूल्स में संशोधन हुये थे। उसके पश्चात और जनवरी के हैं और मार्च के भी हैं।

श्री अध्यक्ष—इस कार्यक्रम की सूची में तो जो दिया हुआ है वह विज्ञप्ति संख्या फलां-फलां, दिनांक २ नवम्बर दिया है और यही आपने उपस्थित किया है इसके अलावा दूसरे किसी और प्रश्न से संबंध नहीं है। इसके अलावा आपने और कोई नियम प्रकाशित किये हों तो उनकी सूचना आपने सदन को नहीं दी है। यह विज्ञप्ति जो आपने सदन के सामने उपस्थित की है वह तो दो नवम्बर

---

†छापे नहीं गये।

[श्री अध्यक्ष]

की है इसको इतनी देर में क्यों सदन के सामने रखा गया यह प्रश्न है। आक्षेप इसी प्रकार का है और सदन के अधिकारों के ऊपर इतनी देरी करने से जरूर इसमें आघात होता है। २ नवम्बर को यह संशोधन हुये। कानून के अन्दर यह है कि अगर कोई नियम जो आप अधिनियम में दिये अधिकार द्वारा बना सकते हैं वे नियम इतनी देर में सदन में आते हैं तो इस सदन के अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकती और उन पर जरूर आघात होता है। इस विषय में आपका क्या स्पष्टीकरण है मैं यह जानना चाहता हूं।

मुख्य मन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—मैं समझता हूं कि इसका कोई उत्तर नहीं हो सकता सिवाय इसके कि हमसे गलती हुयी और इसके लिये हमको सदन से क्षमा मांगनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—तो मैं इस विषय को अब समाप्त ही करना चाहता हूं क्योंकि उत्तर में समझता हूं कि जो दिया जाना चाहिये और जो उचित था वह दिया गया है। अब मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि जितने ये नियम सदन में उपस्थित हो चुके हैं और अधिनियम के हिसाब से उन्हें संशोधित करने का सदन को अधिकार है उन सब नियमों के लिये कोई दिन विवाद के लिये मुकर्रर करने की कृपा करें और दो तीन दिन के अन्दर निर्णय करके बता दें क्योंकि इसके पहले और भी नियम सदन में आ चुके हैं। इन पर संशोधन १५ दिन के अन्दर दे देने होंगे लेकिन उनके ऊपर विचार करने के लिये कोई दिन मुकर्रर करना आवश्यक है क्योंकि बहुत से इकट्ठे हो गये हैं। तो कृपा करके निश्चित करके कोई दिन सदन को बता दें।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जैसी आपने आज्ञा दी है, मैं दो तीन दिन के अन्दर आपको इसके सम्बन्ध में सूचना दे सकूंगा।

उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर विधेयक, १९५६

नियोजन उपमन्त्री (श्री फूल सिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर विधेयक, १९५६ पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४१४–४१८ पर)

*उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५६

†खण्ड ७ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश भूमि–व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५६ पर विचार जारी होगा। माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी कल भाषण दे रहे थे।

‡श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—मान्यवर, जैसा कि हमारे माननीय मित्र ने संशोधन रखा है अगर वह स्वीकार किया जाता है तो मैं यह समझता हूं कि जिस उद्देश्य से कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्ज़ किया जा रहा है, उसका मतलब ही सख्त हो जायगा। यह सच है कि भूमिहीन व्यक्तियों को सुविधायें मिलनी चाहियें, परन्तु यह न भूलना चाहिये कि अगर आराजी के टुकड़े इतने छोटे कर दिये जायेंगे, जो लाभप्रद प्रतीत नही हो सकते तो कोई विशेष लाभ नहीं हो सकता। इसकी बहस में यह दलील दी जा सकती है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास इससे कम भी रकबा है। यह सच है, परन्तु जब एक उसूल यह बनाया

---

*१८ जनवरी, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

†२५ अप्रैल, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

‡वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आ रहा है कि कोई अलाभकर खाता न हो और उनमें वृद्धि न होने पाये, जिससे कि आगे चल कर एक दूसरी समस्या उत्पन्न हो जाय। उस हालत में इस संशोधन का मानना उचित नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं विरोध करता हूं इस संशोधन का और आशा करता हूं कि वे इस पर ध्यान देंगे।

*माल मन्त्री (श्री चरण सिंह)—जैसा कि माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ने इस सिलसिले में कहा, अगर इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जायगा तो फिर जो कानून शुबहा था जिसको हम दफा ३३६ के जरिये मन्सूख कर चुके हैं उसको फिर से जारी करना होगा। जिन कारणों से हमने प्रिएम्शन ऐक्ट को मन्सूख किया था, अर्थात् कुछ जनहित उस कानून के रहने से नहीं होता था, बल्कि जैसा कि माननीय बलवन्त सिंह जी ने कल कहा था कि भ्रष्टाचार बहुत होता था तो वे कारण अब भी विद्यमान हैं। माननीय रामसुन्दर पांडेय की बात अगर हम मान लेते हैं तो हमें पूरे प्रिएम्शन ऐक्ट के प्राविजन्स की नकल करनी होगी और जो उन्होंने संशोधन दिया है केवल उसी से काम नहीं चलेगा, उसमें हमको और जोड़ना पड़ेगा। मान लीजिये कि खानदान वालों को नहीं देता है तब फिर क्या हो? तो फिर वे २०, २५ दफायें जो प्रिएम्शन ऐक्ट की हैं उनको रिपीट करना होगा। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, उल्टे नुकसान होगा।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—अध्यक्ष महोदय, पांडेय जी का संशोधन देखने में तो अच्छा लगता है और उससे यह भी प्रतीत होता है कि जो भूमि बेचेगा उसके वंश वालों को भूमि से कुछ लाभ होगा। लेकिन इससे बहुत सी कठिनाइयां आ सकती हैं और उन कठिनाइयों में एक कठिनाई तो यह होगी कि कुटुम्बी लोग उसको लेने का पहले प्रयत्न नहीं करेंगे और जब कोई दूसरा व्यक्ति उसको ले लेगा तो कोर्ट में जा करके वे एक उलझन पैदा कर देंगे। क्योंकि अभी तक यह अनुभव है कि इस प्रकार के बहुत से कानून हैं कि परिवार के लोग बहुत सस्ते दामों पर बल्कि बिना पैसा दिये हुये उस जमीन जायदाद के अधिकारी हैं या हो जाने चाहिये। तो उस जमीन को लेने का वे प्रयत्न ही नहीं करेंगे बल्कि वे चाहेंगे कि कोई आदमी उस जमीन को लेने में फंस जाय तब उनको अपना पारिवारिक अधिकार अदालत के सामने उपस्थित करने का अच्छा मौका लगेगा। जब कुटुम्बी लोगों का इस प्रकार से अधिकार होगा तो जो अपनी भूमि को बेचना चाहेगा उसको एक सबसे बड़ी कठिनाई यह होगी कि उसको उस भूमि की उचित कीमत नहीं मिल सकेगी क्योंकि दूसरे लोग हमेशा सशंकित रहेंगे कि किसी भी समय उसके परिवार के आदमी उसके विरुद्ध कोर्ट में जा सकते हैं और उसके विपरीत निर्णय हो सकता है। तो यह संशोधन बजाय सहूलियत के कठिनाई ही पैदा करेगा। और यदि संशोधनकर्ता का मकसद कहीं यह हो क्योंकि जमीन अधिकतर वही लोग बेचते हैं जिनके पास जमीन कम हो या जिनकी हालत बिगड़ गयी हो तो उनके परिवार वालों को प्राथमिकता दी जाय, तो यह ऐसा नहीं है क्योंकि बहुत से ऐसे लोग भी आजकल जमीन बेच रहे हैं जो भूतपूर्व जमींदार थे और जिनके पास जमीन सरप्लस में है या जिन्होंने जमीन पर नाजायज अधिकार करके उसको किसी प्रकार अपने कब्जे में कर रखा है और चूंकि यह रोक लगायी जा रही है कि अब जमीन अधिक समय के लिये नहीं रोकी जा सकती है इसलिये जितनी जमीन पर वे खेती नहीं कर सकते हैं उसको अधिक से अधिक बेचने का प्रयत्न करेंगे। तो अगर उन्हीं के परिवार वालों को अधिकार होगा तो जो भूमि-व्यवस्था अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है और संभवतः जो समाजवादी पार्टी का भी उद्देश्य है कि दूसरे लोगों को, भूमिहीनों को जमीन मिले, जो लोग जमीन पर अधिकार किये हुये हैं उन्हीं को यह सुविधा न दी जाय तो मैं समझता हूं कि उसके भी विपरीत यह संशोधन पड़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं अधिक अच्छा समझूंगा कि माननीय पांडेय जी इस संशोधन को वापस ले लें।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं आपके द्वारा माननीय रामसुन्दर जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि चकबंदी के कानून में तो यह बात पहले से ही दी हुयी है कि जो कुटुम्ब

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

के लोग होंगे उनके चक वहीं बनाये जायेंगे जहां उनके कुटुम्बियों के होंगे। तो इस प्रकार जहां तक कुटुम्ब का सवाल है वह तो बिलकुल चक के इर्द गिर्द होंगे और उनको खरीदने का यों भी हक प्राप्त होगा लेकिन वारिस के जोड़ने की बात उन्होंने कहा है। वारिस तो दूसरे दूर के लोग भी हो सकते हैं जैसे लड़की होती है, भांजे होते हैं और नवासे होते हैं तो फिर ऐसे वारिसों को तो पहले से ही हक होगा। यह बात समझ में नहीं आती है कि जो वारिस होगा वह तो मरने के बाद जायदाद पाता ही है और अगर खरीद करना चाहे तो वारिस के हाथ बेचने में कोई रुकावट नहीं है। लेकिन अगर बाहर का आदमी खरीदेगा तो टुकड़ों में नहीं खरीदेगा। यदि कुटुम्बी या वारिस को पहले खरीदने का हक दे दिया जाय तो उससे चक के टूटने की कम्पलीकेशन्स पैदा हो सकती हैं और मुकद्दमेबाजी की सूरतें भी पैदा हो जायंगी जैसा कि कल बताया गया है। तो सारी सूरतों को, दिक्कतों को और मुकद्दमेंबाजी को देखते हुये मैं नहीं समझता कि इसको रखने से कौन सा लाभ वह समझते हैं कि खरीदने का हक वारिस को या कुटुम्बी को दे दिया जाय। यदि इस चीज को जबरन रखा जायगा तो उसको जो कीमत मिलने वाली है वह नहीं मिलेगी। एक कुटुम्बी है और कुटुम्ब में हर एक में प्रेम नहीं होता है, वह खरीदता नहीं है। दूसरे व्यक्ति जो खरीददार हैं वह दाम देना चाहते हैं तो वह इस डर से नहीं आयेंगे कि कुटुम्बी जो अदावत रखता है उसका भय लगा है तो जो व्यक्ति बेचने वाला है उसके लिये मुसीबत हो जायगी। माननीय रामसुन्दर जी सोचें कि आया वह उसकी पूरी कीमत दिलवाना चाहते हैं या झगड़े में डालकर रुकावट पैदा करना चाहते हैं। इससे उसके लिए कठिनाई बढ़ जायगी। कोई भी व्यक्ति इसलिये नहीं खरीदेगा कि उसको दिक्कत होगी।

यह प्रतिबन्ध लगाने से दिक्कत होगी, मुकद्दमबाजी बढ़ेगी और इन सारी मुसीबतों को देखते हुये लाभ कुछ भी नहीं है। अगर यह बात होती कि किसी खास तबके या व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की बात होती या सिद्धांत या उसूल रखे होते तब तो मैं मान लेता। यह न तो कोई सिद्धांत ही रखता है और न उसूल ही रखता है और न कोई लाभ ही पहुंचाता है सिवाय दिक्कत और मुसीबत पैदा करने के। मैं समझता हूं कि वह इसको देख लें और जब कोई लाभ नहीं होने वाला है तो वह इसको वापस ले लें।

*श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)--अध्यक्ष महोदय, जिस समय मैंने श्री रामसुन्दर जी का अमेंडमेंट देखा तो मुझे यह ख्याल हुआ कि आप तो पी० एस० पी० के हैं और आपकी पार्टी तथा सोशलिस्ट प्रोग्रेसिव विचार रखने वाली है, मैं समझता हूं कि यह तो रिएक्शनरी स्टेप है और मैं समझता हूं कि आपकी पार्टी ने कैसे आपको इसके पेश करने की इजाजत दे दीत। इससे तो हमारे समाज में एक तरक्की करने का रास्ता खुलता है। सबको मौका देने का रास्ता है। इसमें रुकावट पड़ जायगी। पिछले दिनों हकशफा का मसला था वही चीज आप लाना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि यह तो एक रिएक्शनरी स्टेप है, गलत है और इसको बिलकुल स्वीकार नहीं करना चाहिये। जब हम यह देखते हैं कि हमें तो सबको मौका देना है ताकि हर व्यक्ति राष्ट्र की तरक्की कर सके। जो कानून सूबे में रायज हैं उनको देखते हुये उसको अपनी तरक्की करने का पूरा मौका मिले यही हम सबकी मंशा है। यही हमारे संविधान की भी मंशा है और हमारा जो लेजिस्लेशन आया है उसकी भी मंशा यही है। अगर यह अमेंडमेंट स्वीकार किया जाता है तो हम इस मंशा के खिलाफ जाते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसा करने से भूमिहीनों के रास्ते में बड़ी रुकावट पड़ेगी।

पंजाब में भी पिछले दिनों एक ऐसा कानून बना है कि खेती की जमीन उन्हीं लोगों के पास रहनी चाहिये कि जो लोग खेती करते हैं। वह भी एक ऐसा कदम है कि जिससे हमारे लिए दिक्कत पैदा हो जायगी। वे खेतिहर मजदूर, जिनके पास कोई साधन नहीं है,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमेशा गरीब ही रहेंगे और अपनी दशा को कभी अच्छा नहीं बना सकेंगे। उनको मौका नहीं मिल सकेगा कि अपना खेत बना कर कभी खेती भी कर सकें। अगर कभी उन्होंने कुछ पैसा जमा भी कर लिया तो वे खेत खरीद नहीं सकेंगे। इसलिये मैं पांडेय जी से यह निवेदन करूंगा कि वह इसको वापस ले लें और यह संशोधन उन लोगों के हित में न होगा और न इस सदन की यह मंशा है और न यह यहां की जनता के हित में होगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, माननीय जयपाल सिंह और जोरावर वर्मा जी के भाषणों को सुनकर समझ में बात नहीं आयी कि उन दोनों महानुभावों ने विधेयक की इस धारा को पढ़ा भी है या नहीं। आप दोनों समझते हैं कि इस संशोधन को स्वीकार कर लेने से भूमिहीनों को जमीन नहीं मिलेगी। मैं समझता हूं कि जो यह धारा है इसमें यह नहीं कहा गया है कि एक खातेदार अगर अपने खेत के किसी टुकड़े को बेचेगा तो भूमिहीन को मिलेगा। इसमें तो यह है कि खातेदार अगर किसी टुकड़े को बेचेगा तो वह पास के खातेदार को मिलेगा। मैं जानना चाहता हूं कि पास का खातेदार कैसा है? क्या वह भूमिहीन है? अगर वह भूमिहीन है, या उसके पास जो दो चार एकड़ भूमि थी और उसकी चकबंदी हो गयी और वह उसको बेचना चाहता है तो मेरा ही संशोधन चरितार्थ होता है। लेकिन शायद इन दोनों महानुभावों को इस धारा को पढ़ने की फुरसत नहीं मिली। इसमें भूमिहीनों को जमीन नहीं मिल रही है बल्कि उन लोगों को जमीन मिल रही है कि जो पड़ोस के खातेदार हैं। अब वह बड़ा है या छोटा, इसमें इसकी कोई चर्चा नहीं है। दूसरी बात इसमें यह कही गयी है कि इससे मुकदमेबाजी बढ़ेगी। यह हो सकता है, लेकिन इसका जवाब मैं चाहता हूं कि सरकार दे कि यदि वह किसान जो अपना टुकड़ा खेती का बेचना चाहता है वह दो या तीन एकड़ का किसान है और उसका एक खास भाई है जो भूमिहीन हो गया है, लेकिन अगर यह विधेयक इसी तरह से पास हो गया तो उसके भूमिहीन भाई के बजाय पास वाला खातेदार ही उस जमीन को खरीद सकेगा। अगर यह संशोधन नहीं माना जाता है तो जयपाल सिंह जी को यह मानना पड़ेगा कि भूमिहीनों को जमीन नहीं मिलेगी, बल्कि उसको जमीन मिलेगी कि जिसके पास पहले से ही खेती की बड़ी जमीन है। मैं निवेदन करूंगा कि कुछ परेशानी बढ़ सकती है लेकिन उसके साथ साथ उन लोगों के हक की रक्षा हो सकेगी और जो छोटे छोटे खातेदार हैं उनको सहूलियत हो सकेगी। इसलिये मैं फिर से अपने संशोधन के लिये पूरे जोर से अपील करता हूं कि स्वीकार कर लिया जाय।

श्री चरण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन कोई जरूरी नहीं है। माननीय प्रस्तावक के अलावा जितने सज्जन बोले हैं सभी सज्जनों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध लगा दिया जाय:

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उस खाते की बिक्री करते समय सबसे पहले उसके वारिस तथा कुटुम्बी को ही खरीदने का प्रथम अवसर प्राप्त होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामलखन मिश्र—(जिला बस्ती)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि विधेयक के खंड ७ में निम्नलिखित धारा १६८—क की उपधारा (३) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(३) यदि किसी भूमिधर ने उपधारा (१) के निदेशों के विरुद्ध कोई संक्रमण (Transfer) किया हो, तो उस पर धारा १६७ और १६८ के निदेश आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे"

[श्री रामलखन मिश्र]

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह अभिप्राय इसमें स्पष्ट है कि यदि कोई भूमिधर उस भूमि को हस्तांतरण करता है सेल से, गिफ्ट से या अन्य डीड से या जिस किसी तरह से तो उसमें यह औषधि नहीं थी कि उसको कैसे बेदखल किया जाय। उस औषधि के लिये विशेष धारा बढ़ाने से यह सब दोष निकल जाते हैं। मौर्य जी के भी इससे संबंधित दो संशोधन हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि वह अपने संशोधनों को वापस ले लेंगे क्योंकि जहां पर उन्होंने अपने संशोधनों को रखा है वह उसके लिये स्थान नहीं था। यदि हस्तांतरण हो तो बेदखल करने का उसको अवसर हो और उसकी वाक्य रचना भी स्पष्ट नहीं थी। इसलिये मेरा विश्वास है कि इस संशोधन में जो कमी थी उसकी पूर्ति की गयी है। इन शब्दों के साथ में इस संशोधन को उपस्थित करता हूं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--अध्यक्ष महोदय, मैंने भी इसी आशय का एक संशोधन आपकी आज्ञा से कल उपस्थित किया था कि यदि कोई व्यक्ति धारा १६८-क के निदेशों के विरुद्ध कोई ट्रांसफर करे तो उसका कोई विधान नहीं रखा गया था कि उसका नतीजा क्या होगा अगर कोई ट्रांसफर कर दे तो उसका नतीजा क्या होगा और उसको कोई सजा भी मिल सकती है या नहीं। तो इसी कारण से मैंने यह संशोधन रखा था कि गांव सभा के वाद पर वह उस टुकड़े से बेदखल हो जायं वह संक्रमणकर्ता भी और जिसके हक में वह संक्रमण किया गया हो। अब माननीय रामलखन मिश्र जी ने उसको दूसरे शब्दों में रखा है। १६८ और १६७ मूल अधिनियम की धारा है। उसमें यह बात इस प्रकार है कि यदि सीरदार कोई ट्रांसफर करेगा तो वह वायड होगा। सीरदार अगर अपनी भूमि को ट्रांसफर करता है तो वह वायड होगा और गांव सभा के वाद पर वे दोनों बेदखल हो जायेंगे। यह धारा १६८ और १६७ बहुत ही स्पष्ट रूप से दी हुयी है। उसका हवाला देकर आपने संशोधन उपस्थित किया है। उससे मैं समझता हूं कि वह धारा उचित रूप से जैसा कि उसमें दिया गया है कि वह आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू हो जायगी। भूमिधर के लिये वह धारा उसी प्रकार से लागू होगी यदि वह भूमिधर कायदे के खिलाफ ट्रांसफर करता है तो १६८, १६७ के निदेश आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू हो जायेंगे यानी वह बेदखल हो जायगा। यह मैं नहीं जानता कि आवश्यक परिवर्तन सरकार किसी नियम में कर देगी या अदालतें स्वयं कर लेंगी या उसका मतलब वैसे ही लगा लिया जायगा लेकिन मैं समझता हूं कि 'आवश्यक परिवर्तनों के साथ' उन्होंने समझबूझ कर रखा होगा। मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और मैंने जो कल संशोधन रखा था उसे आपकी आज्ञा से वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष--यह स्पष्ट होना चाहिये कि 'आवश्यक परिवर्तन' का अर्थ क्या है।

श्री चरण सिंह--इसका मतलब म्यूटैटिस म्यूटैन्डिस है। ब्रैकिट में यह अंग्रेजी में कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--लेकिन इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि आप धारा १६७ और १६८ को थोड़ा संशोधित रूप में एप्लाई करें। इसलिये यह संशोधन गोल है और इसे साफ होना चाहिये। अगर हिन्दी का कोई दूसरा शब्द होगा तो वह मैं स्वयं उसे दर्ज कर दूंगा।

श्री चरण सिंह--अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रस्तावक महोदय के और द्वारका प्रसाद जी के संशोधन का आशय, जैसा कहा गया है, एक ही है, अर्थात् कन्सालिडेटेड ब्लाक में अगर कोई शख्स किसी टुकड़े को, जिसका मतलब है ३.१२५ एकड़ से कम जमीन को इस कानून के खिलाफ बेचता है तो वह वायड हो जाता है। माननीय रामलखन जी और मौर्य जी यह चाहते हैं कि यह निरर्थक हो गया लेकिन इसके जो नतायज हुये उन पर कहां तक अमल होगा। इसके लिये यह संशोधन है और यह मुझे स्वीकार है।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह--माान्यवर, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं । यदि आपने साफ नहीं किया होता तो इसका अभिप्राय ही समझ में नहीं आ रहा था उसके बाद सीरदार और असामी तक तो आप प्रतिबन्ध लगा सकते हैं और जब भूमिधर बनाया गया तो उसके साथ यह न समझें कि आपने कोई एग्रीमेंट किया लेकिन उससे कहीं ज्यादा कानूनी हक आपने उसे दिया और अगर उसने ट्रांसफर किया है तो मेरी समझ में नहीं आता कि उनको क्या आपत्ति हो सकती है कि जो इस स्टेज पर आकर अब वह कहें कि १६७ और १६८ उन पर भी लागू होता है । इससे तो यह स्पष्ट है कि अगर किसी भूमिधर ने भी इस प्रकार का ट्रांसफर किया है तो वह भी अवैध घोषित किया जाय और १६७ और १६८ लागू हों और उसके नतीजे अपनी जगह पर विद्यमान हों । मगर यह कि भूमिधर को क्या आश्वासन दिया गया और किन आधारों पर उसने रुपया जमा किया और उनके साथ केवल जो प्रतिबन्ध आज तक रहे हैं, उनके आगे चलकर इस समय एक प्रतिबन्ध और लगाना सर्वथा अनुचित है और माननीय मंत्री जी को इस पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिये । उनके स्वीकार करने या इन्कार करने से मुझे कोई महत्व नहीं है, क्योंकि यह उनकी मर्जी और मूड पर रहता है और यह भी वह देखते हैं कि यदि नाम-कूल बात कही गयी है तो माकूल बना देते हैं और अगर कोई वापस नहीं करना चाहता है तो उसका प्रस्ताव वापस भी करा देते हैं ।

(श्री जोरावर वर्मा के आपत्ति करने पर कि कोरम नहीं है, घंटी बजायी गयी और कोरम पूरा होने पर कार्य पुनः आरम्भ हुआ ।)

मान्यवर, यह देखते हुये मैं माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा यह अनुरोध करूंगा कि इसे और सोच लें । एक तरफ जब वे कहते हैं कि डाइनमिक सोसायटी में किसी भी कानून के लिये यह कहना कि वह स्टैटिक है, यह सर्वथा असम्भव होगा, तो मैं नहीं समझता कि यह संशोधन वह क्यों मान रहे हैं । इसकी जिम्मेदारी न माननीय मंत्री जी ले सकते हैं और कुछ जिम्मेदारी जरूर मैं ले सकता हूं कि एक मर्तबा नहीं, साल में दो, और एक बार तो अवश्य, इस कानून में संशोधन होना आवश्यक प्रतीत होगा । मैं चाहता हूं कि पहले वह देखें और तब स्वीकार करें । हमारी दिक्कत यह है कि इतने पंडित हैं और इतने लोग भूमि सुधार में हाथ बटाने के लिये तैयार रहते हैं कि मेरी समझ में नहीं आता कि इस सुधार की अंतिम रूपरेखा क्या होकर रहेगी । मैंने माना कि एक पुकार थी और जमींदारी समाप्त हुयी, यह सच है और यह भी सच है कि इस सदन में भी बहुमत में वह पहुंचे और यह भी सच है कि आइन्दा इलेक्शन के समय सीलिंग का दूसरा स्टन्ट उनके सामने आ जायगा । आखिर उस जमींदार को एक्सप्लायट करने की भी कोई सीमा होगी । भारत में दो चीजें बहुत महत्व रखती हैं, एक तो जमींदारों के काले कारनामों की पुकार मंत्री महोदय, कहा करते हैं और अगर किसी बुरी जगह फंस जाते हैं तो महात्मा गांधी की दुहाई देते हैं ।

श्री अध्यक्ष--इस बहस में जाकर आप अन्य सदस्यों को निमंत्रण दे रहे हैं कि वे जवाब दें ।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--इसके लिये तो हम तैयार रहते हैं । अब तो कुछ बाकी भी नहीं है जिसके लिये कुछ भय हो । मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि भूमिधर के क्रियेशन से हमें कोई परेशानी या ऊब नहीं है । लेकिन वह जो शेष नाग के रूप में बनाये गये हैं उनके प्रति जो सद्भावना पहले थी उसमें न्यूनता क्यों आ रही है । हमारे माननीय मंत्री जी विद्वान् हैं, इसको मैं स्वीकार करता हूं और आप अपने काम पर हावी हैं । अगर माननीय मंत्री जी नहीं चाहते हैं कि मैं बोलू तो मैं बैठ जाता हूं ।

श्री अध्यक्ष--(राजस्व मंत्री से) क्या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री चरण सिंह—मैं माननीय मित्र से दरख्वास्त करना चाहता था कि मुझ पर जरा कम रहम किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—(श्री अवधेश प्रताप सिंह से) क्या आपने भाषण खत्म कर दिया ?

श्री अवधेश प्रताप सिंह—जी हां ।

श्री रामलखन मिश्र—अब मैं और कुछ बहस करना नहीं चाहता ।

श्री अध्यक्ष—आप केवल इतना ही परिवर्तन चाहते हैं कि (mutatis mutandis) ब्रेकिट में रख दिये जायं—

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड ७ में निम्नलिखित धारा १६८-क की उपधारा (३) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(३) यदि किसी भूमिधर ने उपधारा (१) के निदेशों के विरुद्ध कोई संक्रमण (transfer) किया हो, तो उस पर धारा १६७ और १६८ के निदेश आवश्यक परिवर्तनों के साथ (mutatis mutandis) लागू होंगे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—(श्री द्वारका प्रसाद मौर्य से) क्या आप अपना दूसरा संशोधन भी वापस लेना चाहते हैं ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जी हां, ३ (ई) भी फिलहाल वापिस लेने की आज्ञा दी जाय ।

(सदन की अनुमति से श्री द्वारका प्रसाद मौर्य के दोनों संशोधन वापस किये गये ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नया खंड ६-क (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—मैं अब माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या वे अब इस अवस्था में हैं कि श्री रामलखन जी का जो संशोधन खंड ६ के बाद था और जो आज के लिये स्थगित कर दिया गया था, उसको ले लिया जाय ?

श्री चरण सिंह—जी, ले लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—(श्री रामलखन मिश्र से) आपने संशोधन तो पढ़ कर सुना दिया है, आप अब अपना भाषण दे दें ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—अध्यक्ष महोदय, मैंने एक संशोधन आज दिया है रामलखन मिश्र जी के संशोधन में, मुझे आज्ञा दे दी जाय तो मैं उसको उपस्थित कर दूं ।

श्री अध्यक्ष—जब वे अपने संशोधन पर भाषण दे दें तब उसे आप उपस्थित कर दें ।

श्री रामलखन मिश्र—श्रीमन्, मेरा संशोधन ६ (क) बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन उसकी शब्दावली में कुछ अप्रभावकता आ गयी है । अतः मेरे संशोधन में एक संशोधन माननीय मौर्य जी ने उपस्थित किया है .....

श्री अध्यक्ष—उचित यह होगा कि आपने जो संशोधन उपस्थित किया है यदि उसमें आप कुछ संशोधन कराना चाहते हैं तो किसी दूसरे सदस्य से कह दें मैं उनको मौका दे दूंगा ।

श्री रामलखन मिश्र—मौर्य जी जो संशोधन उपस्थित करना चाहते हैं, मैं उसके साथ अपनी सहमति प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्ष—मालूम होता है आप भाषण नहीं देना चाहते। (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य से) आप अपना संशोधन प्रस्तुत करें वह चाहेंगे तो अपनी स्वीकृत दे देंगे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रामलखन मिश्र जी के संशोधन में जो उन्होंने नये खंड ६—क के विषय में उपस्थित किया है आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं—

१—उपखंड (१) निकाल दिया जाय।

(२) उपखंड (२) के शब्द "वर्तमान स्पष्टीकरण का स्पष्टीकरण (१) के रूप में पुनः परिगणित किया जाय" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

वर्तमान स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण (१) के रूप में रख दिया जाय :—

"स्पष्टीकरण—(१) इस धारा के प्रयोजन के लिये किसी परिवार में, यदि उसके सदस्य संयुक्त रूप में रहते हों, स्वयं संक्रामणगृहीता (transferee) उसका पिता और उसकी माता पुत्र पौत्रादि क्रम में उसके वंशज (Rineal descendants) और यथास्थिति उसकी पत्नी या पति होंगे"

स्पष्टीकरण के १ के पश्चात स्पष्टीकरण २—जैसा है वैसा ही रहे।

श्री अध्यक्ष—तो आपका संशोधन यह हुआ कि श्री रामलखन जी मिश्र ने जो संशोधन ६—क में रक्खा है कि मूल अधिनियम की धारा ५४ में, उसमें जो एक यह है कि संख्या ३० के स्थान पर साढ़े बारह रख दिया जाय, यह हटा दिया जाय, और वर्तमान स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण १ के रूप में रख दिया जाय। उसके पश्चात आप चाहते हैं कि निम्नलिखित स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण २ के रूप में रख दिया जाय। यह बाद में आयेगा।

(श्री द्वारका प्रसाद मौर्य से) मेरे पास जो आपने इसकी शक्ल भेजी है वह आप ठीक करके भेज दें। जैसा कि आपने कहा है वैसा उसको कर के भेज दें।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—मेरा श्री रामलखन मिश्र के संशोधन में जो संशोधन का प्रस्ताव है उसका आशय यह हो जाता है कि मूल अधिनियम की धारा १५४ में जो स्पष्टीकरण है, उसका मतलब यह होता है कि यदि कोई व्यक्ति भूमि खरीदना चाहे तो उसकी वयस्क संतान और उसका पति या पत्नी जैसी भी दशा हो ३० एकड़ से अधिक भूमि नहीं खरीद सकता। श्री राम लखन मिश्र ने उसको ३० के बजाय साढ़े १२ रखा। मैं यह चाहता हू कि अगर वह परिवार सम्मिलित है, उसमें वयस्क हों या अवयस्क हों, उसकी संतान अगर शामिल में हो तो उस परिवार को ३० एकड़ तक खरीदने की इजाजत होनी चाहिये। पहले अवयस्क संतान के लिये ३० एकड़ की बात रखी गयी थी लेकिन यह बात मुनासिब नही है। संयुक्त परिवार अगर हो तो उसमें मेजर या माइनरी का कोई भेद नहीं होना चाहिए। अगर संयुक्त नहीं है तो उसके लिये तो यह प्रतिबन्ध नहीं रहता, तो जब संयुक्त न रहने पर यह प्रतिबन्ध नहीं है तो संयुक्त रहन पर तो यह प्रतिबन्ध होना ही चाहिये चाहे मेजर हो तब भी, और ३० एकड़ से ज्यादा का हक उस हालत में भी नहीं होना चाहिये। अगर माननीय रामलखन मिश्र का संशोधन जैसे है वैसे ही मान लिया जाय तो उस का मतलब यह होगा कि एक परिवार में संयुक्त रहते हुये भी अगर कोई वयस्क है तो अलग से साढ़े १२ एकड़ खरीद ले। तो एक पिता के अगर ४ मेजर संस हैं और संयुक्त परिवार है तो वह चारों उनके संशोधन के अनुसार अलग-अलग हरएक साढ़े १२ एकड़ खरीद सकता है लेकिन अलग सयुक्त परिवार हो तो चाहे वह लोग माइनर हों या मेजर हों तो उस दशा में ३० एकड़ तक की इजाजत होनी ही चाहिये। इसलिये इस प्रकार के संयुक्त परिवार को हमारे संशाधन के हिसाब से ३० एकड़ तक खरीदने का हक हो

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

जायगा जिसमें मेजर भी सम्मिलित हैं और मैं समझता हूं कि यह मुनासिब ही है। मैं समझता हूं कि सदन मेरे इस संशोधन को स्वीकार करेगा।

जो स्पष्टीकरण दूसरा है वह ज्यों का त्यों रहे उसके सम्बन्ध में मुझे सिर्फ इतना निवेदन करना है कि संयुक्त परिवार जैसे हिन्दू धर्म में माना जाता है वैसे ही माना जाय और अगर कोई अलग है तो वह सिद्ध करे और बार सबूत उसके ऊपर ही होना चाहिये और मैं समझता हूं कि अदालतें इस बात को मानकर चलेंगी कि संयुक्त परिवार है और अगर कोई कहता है कि नहीं है तो उस के ऊपर बार सबूत रहेगा और वह इसको साबित करे।

*श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय रामलखन जी के संशोधन में एक मौखिक संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं। जहां उन्होंने "३०" के स्थान पर संख्या "१२-१/२" रखने का प्रस्ताव रक्खा है उसको मैं चाहता हूं ६-१/४ एकड़ रख दिया जाय। उसी के साथ-साथ मैं द्वारका प्रसाद जी मौर्य के संशोधन का विरोध करता हूं और मैं यह आग्रह करता हूं माननीय द्वारका प्रसाद जी से कि वह अपने अपने पिछले भाषणों, अपने विचारों को देखते हुये उसका वह फिर संशोधन करें अपने विचारों में और जो उन्होंने इस वक्त संशोधन रक्खा है उसको मैं सोचता हूं कि वह वापस ले लेंगे। मैं उनको याद दिलाऊंगा कि उनके क्या विचार हैं, तो मैं समझता हूं कि अगर वह भूल रहे होंगे तो याद आ जायगा.....

श्री अध्यक्ष—आप अपना संशोधन भेज दीजियेगा और भाषण भी बाद में जारी रखियेगा

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २४ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविंद पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

*श्री गेंदा सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्र माननीय मौर्य जी के संशोधन का विरोध करना चाहता था और माननीय रामलखन जी के संशोधन में केवल यह संशोधन करना चाहता था कि जहां पर साढ़े बारह एकड़ लिखा गया है उस साढ़े बारह एकड़ के बजाय सवा ६ एकड़ रख दिया जाय। माननीय मौर्य जी को मैं यह निवेदन करना चाहता था कि अबकी मर्तबा जो बात सदन में वह कह रहे हैं वह कुछ अपनी पुरानी बातों को भूल कर के कह रहे हैं और मैं उनको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि वह अपने मित्र, अपने सहयोगी और हमारे भी मित्र माननीय चरण सिंह जी का अगर मत मानें तो सवा छः एकड़ वाली बात उनको पसन्द होगी।

मैं माननीय चरण सिंह जी को जो उस समय माल मंत्री नहीं थे, लेकिन माल विभाग के एक बहुत ही जिम्मेदार स्थान पर थे, जब जमींदारी अबालिशन कमेटी के एक मेम्बर की हैसियत से वह काम कर रहे थे और वह जमींदारी एबालिशन कमेटी की रिपोर्ट इस समय हमारे सामने है, उन्होंने उस रिपोर्ट के अनुसार उनका मत यह बतलाया गया है कि वह हमारे प्रान्त के लिए सवा ६ एकड़ खेती को लाभकर आराजी मान सकते हैं। मैं उनके मत को इसलिये ग्रहण करना चाहता हूं कि हमारे सूबे में असल में जमीन का अभाव है और जब जमीन का अभाव है तो ऐसी हालत में हम अगर यह तीस एकड़ की सीमा रखते हैं तो हमारे लिये कठिनाई होगी कि हम उन लोगों को जो बेजमीन हैं या जो थोड़े जमीन वाले हैं उनकी समस्या को हम हल नहीं कर पाते हैं।

हम इस बात को स्वीकार करते हैं और हमारी इच्छा भी है कि खेती पर जितने लोग आज लगे हुये हैं उत्तर प्रदेश में उनकी संख्या कम हो। परन्तु उस संख्या को कम करने के लिये हमको जिस पैमाने पर अपने देश में उद्योग धंधों का तरक्की करना है उस पैमाने पर शायद हम अगली पंचवर्षीय योजना में तो कुछ कर नहीं पायेंगे। अगली पंचवर्षीय योजना में जो कुछ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी हमने सोचा है और जो बेकारी दूर करने की बात हमने सोची है उसमें कुछ लाख ही आदमियों को तो रोजी देने की बात हम सोच रहे हैं। जो योजना के सिद्धस्त लोग हैं उनका यह कहना है कि जितनी रोजी हम अगली पचवर्षीय योजना में देने की व्यवस्था कर रहे हैं उससे जो हमारे देश में पैदाइश में वृद्धि होगी और जो बच्चे पैदा होंगे उनका हिसाब लगाने के बाद ऐसा नहीं दिखायी देता कि हम जहां आज हैं उससे कुछ आगे तरक्की कर पायेंगे। हम जिस अवस्था में आज हैं शायद अगले पांच वर्षों के बाद जहां तक बेकारी दूर करने का प्रश्न है हम वहीं रहेंगे और कुछ लोगों का यह भी कहना है, भगवान न करे ऐसी बात हो कि जहां हम हैं वहां से हम कुछ पीछे चले जायेंगे बेकारी का जहां तक प्रश्न है। तो फिर ऐसी अवस्था में जबकि हमारी सारी इंडस्ट्री वगैरह को जो कुछ भी योजना है उन सारी योजनाओं पर काम करने के बाद हम आज से अच्छी अवस्था में बेकारी दूर करने में नहीं पहुंच सकते तो फिर हमारे पास एक बड़ा भारी साधन यही रह जाता है और वह जमीन का कि हम जमीन से लोगों को कुछ अपनी रोजी कमाने का सहारा दें। तो फिर वैसी हालत में हमारे लिये यह जरूर हो जाता है कि हम भूमि को अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचा सकें। अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाने का अर्थ कदापि यह न समझना चाहिये कि हम यह चाहते हैं कि जो छोटे खाते हैं उनको और अधिक लोगों के पास पहुंचाकर और अधिक छोटे खाते कर देना चाहते हैं यह मतलब हमारा नहीं है। लेकिन हमको इस तरह के कानून बनाने चाहिये कि जिनके बनाने से बहुत अधिक छोटे खाते तो न हो सकें, लेकिन बड़े खाते भी न बन सकें। अब बड़े खाते, कोई कहे कि साढ़े १२ एकड़ को तुम बड़ा मानते हो, तो यह बिलकुल रिलेटिव टर्म है। साढ़े १२ एकड़ का खाता झांसी के जिले में हम बड़ा मानने को तैयार नहीं हैं। बुन्देलखंड में बड़ा नहीं मानेंगे। लेकिन बनारस इलाहाबाद, गोरखपुर डिवीजन में या और डिवीजन में भी सूबे के हम साढ़े १२ एकड़ का खाता एक परिवार के लिये बड़ा मानते हैं। जो संशोधन इस समय हमारे सामने है उस संशोधन में परिवार का भी सम्बन्ध है। तो परिवार अगर ५ आदमियों का आम तौर से मानते हैं तो उसके लिये सारे बुन्देलखंड के और हिस्सों में सवा ६ एकड़ से उसका गुजारा हो जायगा हम ऐसा समझते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से थोड़ा उन अंकों को भी सामने रख दूं तो अच्छा हो उसमें विचार करने की सामग्री हमको मिल जायगी। हमारे प्रान्त में १० एकड़ से कम के खाते ९४ प्रतिशत हैं और ऐसे किसान १ करोड़ १५ लाख ३३,८०० के करीब हैं। यह बात हो सकती है कि कुछ किसानों के दो खाते हों और वह दो खाते एक में मिलने के बाद कुछ खाते और कम हो जायं। लेकिन १ करोड़ १५ लाख ३३,८०० किसान ऐसे हैं कि जो १० एकड़ से कम के हैं, अगर सवा ६ एकड़ हम मानें कि इकोनामिक है तो सवा ६ एकड़ से कम के खाते हमारे प्रान्त में १,८५,००,४११ हैं। सवा ६ एकड़ या इससे कम के खाते। अब देखना यह भी है अगर हम सवा १२ एकड़ मान लेंगे तो इससे उन लोगों का नुकसान होने वाला है है जो लोग बिना भूमि के हैं या छोटे खाते वाले हैं। अब छोटे खाते वालों की तादाद जो ऐसे हैं उनकी संख्या, एक एकड़ से कम वालों की ४६,३९,३३१ है। अब यह खाते जो कुल खाते हमारे सूबे में हैं उनमें से ३७.९ खाते ऐसे हैं जो एक एकड़ से कम के हैं। तो मैं नहीं समझता कि मौर्य जी जो साढ़े १२ एकड़ का संशोधन मिश्र जी का था उसको हटवा कर के अगर ३० एकड़ कर दें तो किस प्रकार इन एक एकड़ से नीचे वालों का कोई भला कर सकेंगे और किस प्रकार उन लोगों का कुछ भला कर सकेंगे जो लोग कि आज भी अंगूठा रखने की जगह नहीं रखते हैं। उनकी इच्छा भी है, उनको भूमि मिलनी चाहिये। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं इस बात को कि मैं उस राय का नहीं हूं, चाहे कितना बड़ा आदमी कहता हो, लेकिन मैं ऐसी राय का नहीं हूं कि देश के हर देशवासी के पास जमीन होना चाहिये। मैं तो डिवीजन आफ लेबर का समर्थक हूं। एक आदमी अगर जमीन से अच्छी पैदावार कर सकता है तो उसको इतनी जमीन मिलनी चाहिये, उसके पास इतनी जमीन होनी चाहिये कि वह कम से कम अपने परिवार का भरण-पोषण एक भले आदमी की तरह से कर सके। भले आदमी से मैं यह ऐसा समझता हूं कि वह अपनी रोटी के कर्ज न ले। अपने बच्चों को कुछ थोड़ी बहुत तालीम दिला सके। उसके

[श्री गेंदा सिंह]

रहने का ठिकाना हो। साल भर के लिये भोजन और वस्त्र की सुविधा उसे हो। उस भले आदमी की तरह से जीने के लिये उसके पास जमीन होनी चाहिये। तो फिर मैं समझता हूं कि सवा छः एकड़ वाली बात मुनासिब मालूम होती है।

यह प्रश्न उठ सकता है कि आखीर सवा छः एकड़ भी तुम कर पावोगे ? सवा छः एकड़ सब खातों को कर पावोगे ? मैं एक ही उत्तर इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोई उत्तर नहीं है और न यह कोई दलील है। इस तरह की दलील देना कि चूंकि हम अपने घर जितनी खूराक है उसे सबको बराबर बराबर भरपेट नहीं खिला सकते इसलिये हम यह सोच लें कि घर में दो एक आदमी जो मजबूत हों वह सारे घर वालों का हिस्सा लेकर के खा जांय और खाने के बाद जब दूसरे कहें कि भाई हमें भी तो भूख लगी है तो कहें कि भाई इतना कम है कि दो से ज्यादा का गुजारा नहीं हो सकता लिहाजा तुम तीन आदमी बरदाश्त करो क्योंकि यह पांचों के लिये पूरा नहीं हो सकता। यह मैं जरा इस बात के ऊपर गौर करने के लिये दरख्वास्त करना चाहता हूं माननीय सदन से। कहीं दुनिया में ऐसा घर चलेगा ? उस घर में तो फौजदारी होगी, बलवा होगा, मारकाट होगी। कौन बरदाश्त करेगा कि पांच आदमियों के लिये बराबर खाना नहीं मिल सकता भरपेट इसलिये जितना खाना है उसमें से दो आदमी सिर्फ खायेंगे, बाकी फाका करेंगे।

मैं समझता हूं कि माननीय रामलखन जी इस बात को कभी पसन्द नहीं करेंगे और माननीय मौर्य जी पहले अपने बच्चों को खिलायेंगे खुद नहीं खा सकते और न यह हमारे देश की परम्परा है। हमारे देश में तो परिवार में झगड़ा तब शुरू होता है जब खाना खूराक और रोजी कुछ कम होती है। जब तक सारा मामला ठीकठाक से चलता जाता है तब तक परिवार में झगड़ा बहुत कम होता है। कोई मालिक से पूछता भी नहीं कि तुम कहां खर्च करते हो। लेकिन मालिक उस वक्त पकड़ा जाता है जिस वक्त कि वह इतनी पैदावार नहीं कर पाता है, इतनी कमाई नहीं कर पाता है, जिससे कि जितने उसके आश्रित हैं उनका सबका भरणपोषण कर सके, तब वह मालिक नालायक कहा जाता है और उस समय कई मालिक पैदा हो जाते हैं और वह फिर अलग हो जाते हैं। बटवारा कोई अच्छी चीज नही है। मैं यही कहना चाहता हूं कि बटवारा हमारे सूबे में जमीन का तो अवश्यम्भावी है। हम उस पर ज्यादा जोर नहीं देंगे इस वक्त। हम बराबर जोर देते आये हैं और हमारे मन में यह बात बैठी हुयी है कि उसके बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं है इस बेकारी को दूर करने का। वह तो होने ही वाला है। वह रुक नहीं सकता जो रोकेगा वह उस बाढ़ के साथ खुद भी बह जायगा। मुझे यह विश्वास है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ज्यादा देर उसमें नहीं होने वाली है। तो वह जमीन के बटवारे का प्रश्न इस संशोधन में है भी नहीं, लेकिन बटवारे का प्रकार जरूर है इसमें। बटवारे का प्रकार इस प्रकार है कि यह संशोधन केवल इतना कहता है कि जो लोग जमीन खरीदें वह ३०एकड़ तक खरीद सकते हैं। जिनके पास २५ एकड़ जमीन है अगर यह संशोधन जिस प्रकार का मौर्य जी ने रखा है वह स्वीकार कर लिया जाय तो उसमें उसे इजाजत हो जाती है कि हर आदमी ३० एकड़ तक जमीन खरीदने का हकदार है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं, कि ३० एकड़ के खरीदने का हक उसको नहीं होना चाहिये। उसको सवा छः एकड़ तक खरीदने का हक होना चाहिये। सवा छः एकड़ से वह अपने परिवार का गुजर कर सकता है परिवार से मेरा मतलब ५ आदमियों से है तो सवा छः एकड़ से ५ आदमियों को नमक रोटी मिल सकती है। और अगर वह सवा छः एकड़ से अपने परिवार को दाल रोटी नहीं खिला सकता तो मैं माननीय रामलखन जी से कहना चाहता हूं कि वैसे नालायक आदमी को हक क्यों देते हैं ? जो आदमी सवा छः एकड़ जमीन लेने के बाद अपने परिवार को दाल–रोटी न खिला सके, इतनी पैदावार न कर सके तो उसकी जमीन खरीदने का हक क्यों सरकार देगी। सवा छः एकड़ में जो पैदावार आम तौर से होती है वह ५–६ आदमियों के खाने के लिये हो सकती है, इसलिये उससे ज्यादा खरीदने का

हुक होना मैं उचित नहीं समझता हूं। जिनके पास कम जमीन है उनकी बात तो कही जाती है, पर यह नहीं बतलाया जाता कि जिनके पास ५० एकड़, सौ एकड़, हजार एकड़, ५ हजार एकड़ है उनकी जमीन भी इस संशोधन के स्वीकार हो जाने के बाद कम हो जायगी। ऐसी बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी गलतफहमी है और सरकार भी करती रहती है। वह कहती है कि हमने, तो ३० एकड़ का कानून बना दिया, लेकिन वह कानून है क्या यह हर आदमी सोचता और जानता ही नहीं। ३० एकड़ का कानून इतना है कि अब ३० एकड़ से ज्यादा जो खरीदने जायगा उसको खरीदने का हक नहीं होगा, लेकिन जो पुराने जमाने से हजारों एकड़ लिये बैठे हैं उनके लिये कौन सा कानून है कि उनका जमान निकल कर ३० एकड़ से कम हो जाय। तो सवाल तो यह है कि आज सवा छः एकड़ से ज्यादा खरीदने का हक किसी को न दिया जाय। मैं बहुत ही जोर के साथ इस बात को कहना चाहता हूं।

मुझे माननीय मौर्य जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वह माननीय रामलखन जी के संशोधन का विरोध करेंगे और मैं माननीय रामलखन जी से भी कहूंगा कि वह मुरौवत में आकर इसको वापस नहीं लेंगे और कतई उनको वापस नहीं लेना चाहिये। साथ ही वह हमारे संशोधन को स्वीकार कर लें। साढ़े बारह एकड़ तक तो वह स्वयं आये हुये हैं अब तो सवा छः एकड़ की बात है और वह भी उनके लिये, जो खरीदेंगे।

हम चाहते यह हैं कि देश में एक ऐसा समाज बने कि जो ४३१ आदमी यहां बैठे हुये हैं और ५०० दिल्ली में उनको खरीदने की ताकत इस देश में न हो। हमारे देश में भूखा नंगा न रहे और वह तभी हो सकता है जब हमारे देश में करोड़पति और अरबपति न रहें। इसमें करोड़पति और अरबपति को निकालने की बात नहीं है, लेकिन हम उस समाज की कल्पना जरूर करते हैं कि हमें चुनाव लड़ने में इतने दरिद्र लोगों के सामने न जाना पड़े जिनको कुछ रुपया देकर, कुछ प्रलोभन दे करके तोड़ा जा सकता हो। अगर देश में हद दर्जे की दरिद्रता हम बढ़ा देंगे तो यह खतरा बना रहेगा कि करोड़पति और अरबपति लोग उनको खरीद सकते हैं। हमारे देश का गरीब स्वाभिमानी है और हमको अभी तक ऐसा लगता है कि रुपये पर बिकना उनको आता नहीं है, लेकिन हम उनके कस्टोडियन बनकर आये हुये हैं, हमको सोचना चाहिये कि आगे आने वाले जमाने में कहीं ऐसे हालात न पैदा हो जायं कि रुपये वाले इस तरफ और उस तरफ बैठने वालों को धता बता करके रुपया खर्च करके इन जगहों पर आकर बैठ जायं, यह मैं आप से स्पष्ट कहना चाहता हूं।

हम चाहते हैं कि हमारे सूबे में एक ऐसा समाज बने, देश में बने जिसमें न तो बहुत ऊंचा कोई हो और न एक आदमी भूखों मरने वाला कोई हो। हम बीच में रहना चाहते हैं, जिसको लोग क्लासलेस सोसाइटी कहते हैं? वही हमारा एम और उद्देश्य है। हम क्लासलेस सोसाइटी की ओर बढ़ना चाहते हैं और हमको क्रमशः बढ़ना चाहिये। एक-एक कदम हमें बढ़ना चाहिये। हम आपसे निश्चित अपना खतरा बता देना चाहते हैं कि इस देश में जिस तरह से निर्धनता आज है और जिस तरह से एक तरफ करोड़पति और अरबपति मुट्ठी भर लोगों के हाथ में आज सारी दौलत चली जा रही है उससे हमारी आजादी छिन जाने का खतरा है। बाहर का कोई हमारी आजादी नहीं छीन सकता लेकिन इन करोड़पतियों की बदौलत हमारी आजादी छीनी जा सकती है।

हम जानते हैं कि कांग्रेस की कमाई, मुल्क की आजादी की लड़ाई के जमाने को जनता भूलती चली जा रही है, जनता जेलखाने जाने वालों को भूल जायेगी डंडे खाने वालों को भूल जायगी। लेकिन उसको यह बात याद रह सकती है कि किसने उनके स्वार्थ की बात कही है। आज हमारा प्रेस किसके पास है, हमारे प्रेस वाले भाई हमें क्षमा करेंगे कि प्रेस आज उन लोगों के पास है जो आज देश में लखपती और करोड़पति हैं। जो प्रेस आज किसी लखपती और किसी करोड़पति के पास नहीं है उसके बन्द हो जाने की बात हम रोज अखबारों में सुना करते हैं, उनका हाल आज कच्चे धागे में लटका हुआ है। बड़े-बड़े अखबार जो हैं उनके चलाने वाले कौन हैं। पब्लिक ओपी-

[श्री गेंदा सिंह]

नियन तो बनाने वाले ये अखबार हैं अब इनके लिये जो साधन हैं वह इन गरीबों के पास तो नहीं हैं। मैं कोई अपमान करने की दृष्टि से या तौहीन करने की दृष्टि से नहीं कहता हूं लेकिन बहुत थोड़े से लोग ऐसे हैं जो आवश्यकता पड़ने पर निर्वाचन क्षेत्रों में जायं और जो कानून बने हुये हैं उनके मुताबिक रुपया खर्च करने की और नौबत आवे तो वे रुपया खर्च नहीं कर पावेंगे। उस वक्त कुछ लोग आयेंगे। तो इस खतरे को हम देखा करते हैं और सोचा करते हैं कि जिस समाज की हम कल्पना करते हैं कि ऐसा समाज हमारा होना चाहिये और जिस समाज में प्रजातंत्र की रक्षा की हम कल्पना किया करते हैं वह जीवित नहीं रह सकता। जिस समाज में एक तरफ लाखों आदमी करोड़ों आदमी गरीबी के शिकार हों रहे हों, भूख और कपड़े के शिकार हो रहे हों और थोड़े से आदमियों के हाथों में करोड़ों की सम्पति जाकर इकट्ठा हो रही हो उस समाज में डिमोक्रेसी नहीं चल सकती। इंगलैन्ड में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो भूखों मरता है हिन्दुस्तान के मजदूरों, पढ़े लिखे लोगों और निम्न श्रेणी के लोगों की तरह वहां के निम्नश्रेणी के लोग गुजारा नहीं करते और इसीलिये आज इंगलैन्ड में डेमोक्रेसी पनप रही है। मैं यह अवश्य कहता हूं कि यह हमारा प्रयास मात्र है ऐसी बात नहीं है कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वह सब इसी से हो जाने वाला है उसके लिये तो ऐसे ढंग सोचने हैं जिसके लिये सरकार इस वक्त तैयार नहीं है लेकिन जो कुछ मैं कहता हूं उससे लाभ उठाकर सरकार को सबसे पहले कहां से शुरू करना चाहिये।

देशमुख साहब ने सेन्ट्रल असेम्बली में कहा कि हम लोगों को इंडस्ट्री के अन्दर तो सीलिंग मुकर्रर नहीं करना चाहिये, लेकिन जमीन में हम सीलिंग मुकर्रर करना चाहते हैं तो मैं उनकी भी मदद इस मामले में लेना चाहता हूं कि अगर वे सीलिंग जमीन में मुकर्रर करना चाहते तो करें। उसी मत को मैं यहां मजबूती के साथ रखना चाहता हूं कि इस शुरुआत को यू० पी० की सरकार ही आरम्भ करे तो इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। यह कह कर मैं मौर्य जी से कहना चाहता हूं कि वे कृपा करके इस संशोधन को वापस लें और माननीय रामलखन जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि वे अपने संशोधन में हमारे संशोधन को स्वीकार कर लें। मैं राजस्व मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वे हमारे संशोधन को स्वीकार कर लें क्योंकि उनका काम सरल हो जायगा आगे की सीलिंग मुकर्रर करने में भी और फिर अगर मान ली जाय यह बात कि कुछ लोगों को ज्यादा जमीन देना सरकार को मन्जूर है तो उसके लिये तो...

श्री चरण सिंह—सरकार के पास है कहां जमीन ?

श्री गेंदा सिंह—उधर तराई भावर, कुमायूं डिवीजन में, उस तरफ कुछ ऐसी जगहें रह जाती हैं जो उपनिवेश हैं। उन उपनिवेशों में भी सवा ६ एकड़ नहीं बल्कि ५००,४००, २०० एकड़ जिसको देना होगा उसके लिये तो गुंजाइश है ही। यह तो प्रदेश में जहां जमींदारी एबालिशन लागू है उसी जगह के लिये है संशोधन। तो सरकार के लिये वहां गुंजायश है। जिनको ज्यादा जमीन देनी हो वे वहां चले जायंगे और फिर दूसरे लोगों के लिये इसमें कुछ ज्यादा झंझट की बात नहीं है, एक प्रयास मात्र है। मैं समझता हूं कि स्वीकार कर लिया जायगा।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह—मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एक मौखिक संशोधन माननीय मिश्र जी के संशोधन के सम्बन्ध में रखना चाहता हूं। वह इस प्रकार है कि जहां मिश्र जी के संशोधन में यह है कि संख्या "३०" के स्थान पर '१२ १/२' रख दिया जाय, तो मैं आपकी आज्ञा से चाहता हूं कि "३०" के स्थान पर "५०" रख दिया जाय और तदुपरान्त जितना है वह सब हटा दिया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, यह मैं मंत्री महोदय को पूर्ण आश्वासन देना चाहता हूं कि जब वे चाहेंगे यह आज खत्म हो जायगा और बिला वजह मैं उनका वक्त नहीं लूंगा। मुझे तो सिर्फ माननीय गेंदा सिंह जी की बात सुन कर थोड़ा सा आश्चर्य हुआ था और मुझे उनसे निवेदन करना था परन्तु दुर्भाग्यवश वे इस सदन से चले गये। परन्तु उनके भाई हैं जो मेरी बात को उन तक पहुंचा देंगे। मान्यवर, उनके द्वारा यह कहा गया कि यह देखना है कि जनता इतनी निर्धन हो जाय कि जिससे वह रुपये से खरीदी जा सके। १९५२ में यह सब को अनुभव हुआ होगा कि एडल्ट फ्रेन्चाइज में चाहे कोई करोड़पति भी हो, वह कितना ही बड़ा पूंजीपति हो वह एलेक्टर को खरीद नहीं सकता है। इसके अलावा जो मेक्सिमम खर्च एलेक्शन के बारे में एलाउड है उसके लिये उनका यह कहना है कि वह इतना न हो जाय कि जिसे लोग खर्च न कर पायें। मैं समझता हूं कि बहुत थोड़े ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो उस सीमा तक खर्च कर पाये हों वर्ना जितनी पोलिटिकल पार्टीज थीं वे उससे कहीं कम खर्च में एलेक्शन लड़ेंगीं, क्योंकि सिंगिल सीट के लिये, ८, १० हजार तक और डबल के लिये १२ हजार तक किसी पोलीटिकल पार्टी के लिये इतना देना असम्भव हो जायगा और इंडिविजुअल्स के लिये भी आयन्दा चल कर यह बहुत ही कठिन हो जायगा।

श्रीमन्, आज स्वतंत्र भारत के हम स्वतंत्र नागरिक हैं और हमारे एलेक्टर्स जिनकी अनुकम्पा से आज हम इस भवन में आये हुये हैं उनके लिये यह सोचना कि वे रुपयों से खरीदे जा सकते हैं। बड़ी लज्जा की बात है। अगर मेरी यह बात असंगत समझते हैं तो इसके पहले माननीय गेंदा सिंह जी को भी समझ लेना चाहिये था। माननीय मिश्र जी को थोड़ी सी चिन्ता हो रही है। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि पूंजीपति इस देश में न रहें, वे समाप्त करना चाहते हैं तो करें। मुझे उनसे कोई हमदर्दी नहीं है, हम जरूर चाहते हैं कि वे भी मिट जायं, लेकिन किसी को बिगाड़ने के पहले आदमी को यह सोचना चाहिये कि किसी भी वर्ग को बर्बाद करके किसी को उससे फायदा पहुंच सकता है या नहीं। माननीय मंत्री महोदय ने इसी भवन में अनेक बार हम लोगों पर रोशनी डाली है कि आज इस प्रदेश में इतनी भूमि नहीं है, जिससे भूमि का बंटवारा हो सके। जब जमींदारी अबोलीशन कमेटी की रिपोर्ट आई थी तो उस समय वातावरण दूसरा था। उस समय जमींदारों को बर्बाद करने या जमींदारी लेने का एक पार्टी या दल का विशेष उद्देश्य था। लेकिन स्वतंत्रता के उपरांत यह सोचना होगा कि आज जितनी जमीन है उत्तर प्रदेश में यदि उसका बंटवारा किया जाय या सीलिंग फिक्स कर दी जाय तो वह काफी नहीं है क्योंकि इससे पर कैपिटा इनकम में कोई अन्तर आने वाला नहीं है या उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने वाली नहीं है। श्रीमन्, जमीन जादू से पैदा नहीं की जा सकती है, यह हिसाब है, और आबादी है और जो भूमि है चाहे उसका बंटवारा कीजिये, चाहे सीलिंग फिक्स कीजिये और चाहे किसी और रूप से भूमि के सुधार का प्रयास कीजिये, लेकिन यह न भूलिये कि वह मकसद पूरा नहीं हो सकता है, जिसके लिये आप सब लालायित हैं। इस सदन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है जो यह न देखे कि उत्तर प्रदेश के नागरिक सम्पत्तिशाली हों, जीवन सम्पन्न हो और आनन्द से रह सकें। लेकिन वह असम्भव है। इसके लिये दूसरा मार्ग है। आप आज जब इंगलैंड और अमेरिका का नाम लेते हैं तो यह न भूलें कि ऐग्रीकल्चर पर कोई मुल्क शक्तिशाली नहीं हो सकता है। यदि हमारा देश केवल खेती किसानी पर रहे तो यह मसला हल नहीं हो सकता है।

आपको इंडस्ट्रेलाइजेशन की ओर कदम बढ़ाना होगा। आप उद्योगीकरण का सहारा लीजिये। आपकी जो पंचवर्षीय योजना है, उसमें आप कदम उठा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। वही रास्ता है। आज साइंटीफिक एज में आपने मिकैनाइज्ड को फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया है और मैं आपके द्वारा उनसे निवेदन करूंगा कि वह मेरी बात सुन लें। राय उनकी है। वह मेरी राय से सहमत हों या न हों। कम से कम उनको अपनी बात सुनाने का अधिकार तो मुझे है। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि वह सुन लें। मानें या न माने यह उसका

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

काम है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो रास्ता सही है उसको आप अपनाना नहीं चाहते हैं। आप समझते है कि जमींदारी अबालीशन से भूमि का प्रश्न समाप्त हो चुका है। यह मैंने माना कि आपने एक वर्ग को बर्बाद कर दिया लेकिन किसी को बनाया नहीं है। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक चीज को तो आपने नष्ट भ्रष्ट कर दिया, लेकिन जनता के लिये क्या किया इसका कुछ पता नहीं है। कौन सी आसानी या सुविधा जनता को दी गई है।

मान्यवर, यह कहा जाता है इंगलैंड को देखा जाय, अमरीका को देखा जाय तो केवल एक बात के लिए देखा नहीं जा सकता है। आपको सब तरह से देखना चाहिये कि इसका मुख्य कारण क्या है। तब यह चीज सम्भव है। यह साइंटीफिक एज है, इसमें सवा एकड़ की बात कही या रामलखन जी साढ़े बारह एकड़ की बात कह रहे हैं। दूसरी तरफ वह ट्रैक्टर को ले कर क्या करेंगे। यह ठीक है कि इंजिन को तो रखा जाय लेकिन पुर्जों को न रखा जाय। सिर्फ शौकिया वह ट्रैक्टर के मालिक हैं, ओनर हैं तब तो ठीक है। क्या अंधेर है एक तरफ तो अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन शुरू हो रहा है और दूसरी तरफ मिकैनाइज्ड फार्मिंग के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है।

तीसरी तरफ यह माना जाता है कि सवा छः एकड़ एक एकोनामिक होल्डिंग है, लेकिन उसके साथ ही साथ आप यह कहना चाहते हैं कि ३० एकड़ से जिनके पास अधिक है वह भी ले ली जाय। तो आप मुझे बतलाइये कि वह ट्रैक्टर का क्या करें? क्या उनको वह गोरखपुर की नुमाइश में भेज दें। श्री चरणसिंह द्वारा कुछ व्यवधान होने पर) मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है, मुझे तो (श्री उपाध्यक्ष की ओर इशारा कर) उनसे कहना है। उन्होंने कहा कि प्रेस वाले भी पूंजीपतियों का खिलौना बन रहे हैं। श्रीमन्, आज भारतवर्ष में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक भारतीय यदि किसी बात पर गौरव कर सकता है तो उसके लिये दो ही चीजें हैं। एक तो हमारी जुडीशियरी ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसके लिये हमें शिकायत हो सकती हो और दूसरे हमारा प्रेस है। हिन्दुस्तान इतने बड़े मुल्क में अगर एक दो प्रेसों ने कभी कोई बात अगर लिख दी हो तो लिख दी हो लेकिन यह कहना कि आज यहां का प्रेस पूंजीपतियों के हाथों में है, गलत है। मान्यवर, यह बहुत सी बातें हैं जो कि गुलाम रहने पर हम कह सकते थे लेकिन इनका स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कहना शोभा नहीं देता।

एक तर्क उन्होंने यह दिया कि अगर घर में गल्ला कम है और प्राणी अधिक हैं तो दो खा लें और तीन उपवास कर लें, इससे अच्छा है कि वह गल्ला आपस में बांट लिया जाय। इससे कौन इन्कार कर सकता है, लेकिन मैं आपके द्वारा कहना चाहूंगा कि इसमें ही क्या आपत्ति हो सकती है कि यदि उस परिवार के पांचों लोग किसी तरकीब से खाना खा लें और उपवास वह न करें। आपका जो प्रयास है उसमें आप कहां तक, कितनी दूर तक सफलीभूत होते हैं यह जरूर देखने की बात है। मैं श्रीमन्, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि वह बहुत सी गल्तियां कर चुके हैं और यह अन्तिम गलती करने की हिम्मत करें। हो सकता है कि हमारे कुछ दोस्तों के कहने पर या किसी मूड में वह कुछ कर बैठें और उनको तो राजनारायण जी को और गेंदा सिंह जी को प्रसन्न करना रहता है, लेकिन वह ऐसे मुल्क को, प्रदेश को उसकी जनता के कास्ट पर क्यों करते हैं। उसको वह परेशान क्यों करते हैं। वह ऐसा करते समय यह कहने का लोगों को अवसर न दें कि कांग्रेस प्रतिक्रियावादी हो गई है।

अगले एलेक्शन में ज्यादातर आदमी आपके कामों को देख कर यह न सोचने लगें कि देखें, आपके पास क्या बचता है। अब उनके पास उस झोली में बहुत कम बाकी है। आपके सब इरादे अब पूरे हो चुके हैं और अब आप भगवान के लिये यह सोचें कि वास्तविकता क्या है और क्या करना लाजमी है। इन शब्दों से मैं अपने संशोधन का समर्थन करता हूं

और आशा करता हूं कि माननीय चौधरी साहब इसको स्वीकार कर लेंगे और अगर उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि आज संभवतः वह माननीय गेंदा सिंह जी को प्रसन्न नहीं कर पायेंगे। माननीय रामलखन जी के बारे में मुझे यह कहना है कि वह कुछ कुपित हो रहे हैं, कुछ उन्हें आश्चर्य भी हो रहा है और वह यह भी देख रहे हैं कि मैं सदन का व्यर्थ समय नष्ट कर रहा हूं। मैं इसका मुआवजा पूरा कर दूंगा। मुझे तो उन भाइयों से यह कहना है कि अब समय आ चुका है। मैं श्रीमन्, यह दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर हमारे पास भूमि है और माननीय चौधरी साहब माल मंत्री रहे तो वह भूमि रहते हुए भी हम अपनी भूमि के पास नहीं जा सकेंगे। अगर उनका अग्रीकल्चर इनकम टैक्स सही सलामत जिन्दा रहा, उनका आर्डिनेंस मौजूद रहा और संविधान की धारा २१३ अपनी जगह पर रहे तो यह सदन हो या न हो जितने रुपये की उनको जरूरत होती है वह तो उनके पास आ ही जायंगे। चाहे इससे बदमजगी पैदा हो वह तो मन्त्री महोदय करते ही रहेंगे। दोनों के नुक्ते निगाह एक हैं। जो इस तरफ बैठे हुए हैं और जो उस तरफ बैठे हुए हैं वह सब यही चाहते हैं जो कि इस संशोधन का आशय है। श्रीमन्, इसमें किसी सिद्धान्त का प्रश्न नहीं है इसमें तो केवल वास्तविकता की बात है। अगर आप वास्तविकता भुलाकर किसी सिद्धान्त के चक्कर में ही पड़े रहेंगे तो मैं यह कहना चाहता हूं और दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इससे न तो भूमि का सुधार होगा और न जनता की आर्थिक स्थिति ही किसी प्रकार से सुधरेगी। मैं आपके द्वारा इस सदन से अनुरोध करूंगा कि मेरे इस संशोधन को स्वीकार किया जाय।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)—उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी लम्बी तकरीर हमें अपने साथी अवधेश प्रताप सिंह से सुनने को मिली। एक बात बड़ी मजेदार यह हुई, उन्होंने अपने प्रस्ताव का समर्थन किया यह समझ कर कि शायद इस ५० एकड़ वाली बात का कोई समर्थन नहीं करेगा। और फिर गलतफहमी का इलाज क्या है। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गेंदा सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और मौर्य जी ने जो संशोधन रखा है उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। और माननीय रामलखन मिश्र जी के संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। बड़ी लम्बी तकरीर की गयी कि साहब हर वक्त मौके बे मौके विरोधी दल की ओर से जमीन के बटवारे का प्रश्न उठा करता है और यह भी कहा गया कि जमीन है कहां और कहां से दी जायगी और कहां से आयेगी जो हमारे प्रदेश में सबको जमीन दी जा सके। मैं आपके द्वारा यह निवेदन करूंगा कि जब जमीन के बटवारे की बात उठायी जाती है तो इसका यह अर्थ नहीं होता है कि उन सबको जितने इस प्रदेश के रहने वाले हैं सबको जमीन देने की बात है। उस का मतलब सिर्फ यह होता है कि जिन लोगों के पास अधिक जमीन है यानी आप एक यूनिट फिक्स कर दें कि इतनी जमीन एक आदमी के पास रहेगी तो उससे ज्यादा जिनके पास जमीन है और उससे अतिरिक्त खेती करने के लिये जिनके पास जमीन है अगर वह ले ली जाती है या उनकी जमीन किसी दूसरे आदमी के पास या असामी के पास है तो वह फिर से नहीं पा सकता। खरीद कर नहीं ले सकता। तो उन लोगों के पास जिनके पास जमीन नहीं है अगर वह खरीद कर लेना चाहते हैं तो उनको जमीन मिलनी चाहिए। जिनके पास ज्यादा जमीन है अगर उनसे जमीन लेकर बांटी जाती है तो वह उनके हाथ में जाय जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं है या भूमि-हीन हैं। इसका अर्थ केवल इतना है। पता नहीं कि इसका अर्थ किस तरह से लगाया जाता है कि जमीन के बटवारे का मतलब सब को जमीन देने का है और वह छोटी जमीन हो जायगी।

विरोधी पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी अगर इस बात को कहती है कि जमीन का वितरण किया जाय तो इसका मतलब यह कतई नहीं होता कि हर एक व्यक्ति को जमीन दी जायगी। उसका मतलब केवल इतना है कि जिनके पास नहीं है उनको दी जायंगी। यह दलील समझ में नहीं आती कि चूंकि सबको नहीं दी जा सकती लिहाजा कुछ लोगों को जो जरूरत

[श्री रामसेवक यादव]

हैं और उनको दे सकते हैं उनको भी न दी जाय। एक बात आपने कर दी है कि ३० एकड़ से ज्यादा कोई रख नहीं सकता है और जिनके पास जमीन नहीं है उनके लिये सवा छः एकड़ सरकार ने कर दिया है। तो इस संशोधन का यह कतई मतलब नहीं है कि सरकार का जो कानून बना है कि ३० एकड़ से ज्यादा है खरीद नहीं सकता है। उसका भी बाहर भीतर गलत प्रचार होता है और लोग गलत समझते हैं और माननीय अवधेश प्रताप सिंह तो जरूर ही खास तौर से गलत समझते हैं। इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि जिनके पास ३० एकड़ भूमि है उनकी ले रहे हैं, कानून तो केवल इतना है कि आज जिनके पास जितनी जमीनें हैं वह उनसे नहीं ली जा सकेंगी चाहे वह १ हजार एकड़ हो, १२ सौ एकड़ हो, ३ हजार एकड़ हो या २ हजार एकड़ हो, वह नहीं ली जा सकती हैं। यहां तो केवल मतलब यह है कि आगे आने वाले समय में कल या आज कोई ३० एकड़ से अधिक नहीं खरीद सकता। इस तरह से इस संशोधन का मतलब कोई जमीन छीनने का नहीं है।

यह तर्क पता नहीं कहां से आ गया और पता नहीं कहां-कहां की बातें हमारे ट्रेजरी बेंचेज के लोग कहते हैं। इस का सीधा मतलब यह है कि अगर सवा ६ एकड़ एकनामिक यूनिट मान लिया जाय और जो भूमि बेंचना चाहते हैं और चूंकि ३० एकड़ वाले कानून से और ५० एकड़ वाले कानून से तो उन्हीं लोगों को जमीन खरीदने का मौका मिलेगा जो अपने पैसे के बल पर खरीद सकते हैं लेकिन जो सवा ६ एकड़ का एकनामिक यूनिट मान लिया है उस प्रतिबन्ध से वह नहीं खरीद सकेंगे कि जिनके पास सवा ६ एकड़ है और वही खरीदेंगे जिनके पास कम है या बिल्कुल नहीं है। इसलिए यह कोई बटवारे का प्रश्न नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में किन्हीं लोगों के पास जमीन पहुंच सकती है और अगर सरकार प्रगतिशील नहीं है और वह जमीन का वितरण नहीं कर सकती है तो कम से कम बेंचने और खरीदने में ही जमीन उनके पास पहुंच जाय तो भी यह कदम जमीन के वितरण की ओर होगा और इसको सरकार को मानना चाहिए।

यह कहा गया कि हम तमाम लोगों को खेती में ही नहीं लगाना चाहते और हम उद्योगीकरण से ही उन्नति कर सकते हैं लेकिन मैं पूछता हूं कि यह संशोधन उद्योगीकरण करने से आपको कब रोकता है, कौन आप का हाथ रोकता है कि आप उद्योगीकरण न करें। आप को पूरी आजादी है आप जिस तरह से चाहें करें और इस संशोधन से उद्योगीकरण का कोई वास्ता नहीं है।

माननीय अवधेश प्रताप सिंह ने कहा कि हमारे तमाम ट्रैक्टर्स बन्द हो जायंगे और यह मेकेनाइजेशन का युग है, इसलिए बड़े-बड़े फार्म होने चाहिए। लेकिन वह देखें कि हमारे देश में आज बेकारी बहुत है और बेकारों की संख्या रोज बरोज बढ़ती जा रही है और अगर हम अपने यहां खेती में मशीन की बात लाते हैं और राजा साहब की बात मान लेते हैं तो यहां के और अधिक लोग बेकार हो जायंगे और उनकी ट्रैक्टर की बात मान लें तो किसानों से छीन कर ट्रैक्टर लायक जमीन देनी पड़ेगी ताकि ट्रैक्टर्स का अधिक उपयोग किया जा सके और जैसा कि कहा गया कि वह प्रदर्शनियों के लिए ही न रह जायं, उनको काम में लाने के लिए आवश्यक है कि जिनके पास जमीन है, कम है उन को किसानों से जमीन छीन कर दी जाय। यह तर्क उचित नहीं है इससे तो बेकारी और बढ़ेगी।

यह भी कहा गया कि इधर के लोग उधर जाना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि प्रजातन्त्र में जहां विरोधी दल होता है तो वहां हमेशा यह इच्छा विरोधियों की होती है कि वे सरकार पर कब्जा करें और वह इच्छा इसलिए होती

है कि उस दल के भी कुछ उसूल, एक आर्थिक दृष्टिकोण होता है, उसको एक सक्रिय रूप देने के लिए उनकी इच्छा होती है कि वह सरकार में जायं और अपनी सरकार बनायें, यह दूसरी बात है कि श्री अवधेश प्रताप सिंह अकेले हों उनकी कोई पार्टी न हो, कोई उसूल न हो, बिना सिद्धान्त के लोग हों, लेकिन यह बात जो उन्होंने कही उसको अगर वह अपने तक महदूद रखते तो अच्छा होता। इसलिए यह ३० एकड़ वाली बात ठीक है और ५० एकड़ रखना उचित नहीं है। इस तरह से बेसिद्धान्त की बात करना उनके लिए उचित नहीं है। उन्होंने प्रेस वालों के लिए कह डाला जो यहां सामने बैठते हैं, इन बेचारों का क्या कसूर है यह तो जिस तरह से और लोग एक्सप्लायट होते हैं ये भी होते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं और ज्यादा न कह कर सरकार से यह निवेदन करूंगा कि इस छोटी सी बात को जो बहुत बड़ी बात नहीं है कर देना चाहिये —सवा ६ एकड़ की सिर्फ खरीद व फरोक्त की बात है कि जिसके पास सवा ६ एकड़ से अधिक, जिनके पास जमीन है वह न खरीद सकें ताकि जमीन उसके पास पहुंच सके जिसके पास कम जमीन है या जिसके पास बिल्कुल नहीं है। अगर इस संशोधन को मान लिया जायगा तो जो नारा समाजवाद का लगाया जाता है और जवाहरलाल जी जो बड़े नेता हैं वह भी जो समाजवाद का नारा लगाते हैं उस ओर एक कदम आपका बढ़ेगा।

श्री रामस्वरूप (जिला मिर्जापुर)—मैं प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि अब इस पर वादविवाद समाप्त किया जाय।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—मैं इसका सख्त विरोध करता हूं। इस पर अभी वादविवाद होना चाहिये।

श्री चरण सिंह— ५, ६ तो बोल चुके।

श्री जगन्नाथ मल्ल—तीन संशोधन हैं। कम से कम एक-एक संशोधन पर तीन-तीन आदमियों को तो बोलना चाहिये।

श्री जोरावर वर्मा—मैं इसका विरोध करता हूं। यहां तीन-चार संशोधन रक्खे गये हैं। कम से कम हर संशोधन पर दो-तीन आदमियों को बोलने का अधिकार होना चाहिये। इसके बाद ही प्रश्न उपस्थित किया जाना चाहिये।

माल उप-मन्त्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—५, ६ आदमी तो इस पर बोल चुके हैं।

श्री जोरावर वर्मा—५, ६ आदमी नहीं बोले, दो-तीन ही आदमी अभी बोले हैं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं देख रहा हूं कि कोई बोलने के लिये खड़ा भी नहीं हो रहा है।

श्री जोरावर वर्मा—खड़े तो हो रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—तो श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा भाषण दें।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—जो संशोधन माननीय मौर्य जी ने उपस्थित किया है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े गौर से विरोधी दल के नेता माननीय गेंदासिंह जी की बात सुनी लेकिन उसे बिल्कुल नहीं समझ सका। उन्होंने यह कहा कि एक आदमी अगर किसान बनना चाहता है या खेती करना चाहता है तो वह केवल सवा ६ एकड़ पर सन्तोष करे और सवा ६ एकड़ जमीन को ही सीलिंग मान लिया जाय। इसके मानी तो यह हैं कि आप एक किसान को एक ऐसा मामूली आदमी बनाये रखना चाहते हैं कि जो न अपने बच्चों को तालीम दे सके, न सुखपूर्वक अपना जीवन बिता सके। सवा ६ एकड़ की आमदनी खर्चा निकालने के बाद किसी किसान कुटुम्ब का न तो पेट ही भर सकती है और न दूसरी

[श्री व्रज विहारी मेहरोत्रा]

जरूरियात को पूरा कर सकती है। उसमें पेट भरना भी दुश्वार है। मैं तो यह मतलब समझा विरोधी दल के नेता के सवा ६ एकड़ की सीलिंग का कि कोई आदमी खरीदे तो सवा ६ एकड़ से अधिक न खरीदे। तो इसके मानी यह हैं कि किसान जीवन भर मोहताज रहे, या किसान का बेटा मजदूरी ही करता रहे। न वह पढ़ सकें, न दूसरी तरह की तालीम पा सके और न ऊंचे किसी ओहदे पर जा सकें। और न किसी तरह की उन्नति कर सकें। कैसे उन्होंने इस चीज को रक्खा यह मेरी समझ में नहीं आया। क्या दलील है उनके पास—कैसे सवा ६ एकड़ की आमदनी से कोई भी किसान अपने बच्चों का भरण-पोषण और उनकी तालीम का इन्तजाम कर सकेगा?

अभी बाराबंकी के माननीय सदस्य ने उसका समर्थन किया। मैं नहीं समझा कि उनका मतलब क्या था। अगर सवाल होता जमीन के बटवारे का तो ठीक था जिनके पास हजार एकड़ जमीन है उनकी बांट ली जाय, उनकी कम कर दी जाय लेकिन नया किसान सवा ६ एकड़ से अधिक जमीन न रख सके और उसमें ही गुजर कर सके तो उसके मानी यह हैं कि नया आदमी खेती की तरफ जाय ही नहीं। चाहे खेतिहर मजदूर ही क्यों न हो, वह सावा ६ एकड़ ही क्यों रक्खे जब कि इससे उसके बच्चों की तालीम और रहन-सहन का इन्तजाम न हो सके। वह सोचेगा खेती की तरफ न जाऊं और मजबूर होकर मजदूरी करेगा। एक खेत में काम करने वाले को अगर मौका मिल जाय तो फौरन मिल की तरफ भागता है और मिल की मजदूरी करना चाहते हैं खेती नहीं करना चाहते। उसका कारण यह है कि खेती की पैदावार खेती की जो उपज है आज उसका भाव कुछ थोड़ा सा महंगा हो गया है। उससे कुछ पैसा किसानों को बच जाता है। लेकिन जो आज खेती का भाव है वह भी रहे, लेकिन जितनी मुसीबतें आती हैं, जितनी किसान को परेशानियों का मुकाबला करना पड़ता है उनको देखते हुए तो सवा छः एकड़ की सीलिंग लोगों को बरबाद करने वाली है, इस प्रदेश को गारत कर देने वाली सीलिंग है। उस सवा छः एकड़ के मोह में आदमी पड़ा रहेगा। न वह अपनी जमीन को छोड़ पायेगा, न वह अपने और अपने बच्चों के भरण-पोषण का दूसरा कोई प्रबन्ध कर पायेगा, न ही वह अपने बच्चों की तालीम का इन्तजाम कर पायेगा। मैं समझता हूं कि ३० एकड़ की ऐसी सीलिंग है कि इसमें आदमी गुजर भी कर सकता है और दूसरों का चूसने वाला भी नहीं बन सकता।

जिन लखपतियों और करोड़पतियों की बात विरोधी दल के नेता ने कही हम मानते हैं कि इस देश में ऐसे धनी जो दूसरों के खून से अपना उदर भरने वाले हों या दूसरों की कमाई से मोटे होने वाले हों नहीं रहने चाहिये। उसी उसूल को मान कर इस देश में सरकार साम्यवाद करना चाहती है। साम्यवादी लोग उसमें एक ऐसी सीलिंग रखना चाहते हैं जिससे किसान किसान ही न रहे बल्कि मोहताज रहे। इसलिए कि वह उनके बहकावे में आ जाय और आन्दोलन करे, जुलूस निकाले, नारे लगाये और उनकी लीडरी कायम रहे। यह तो हो सकता है। लेकिन सवा छः एकड़ में किसान की गुजर नहीं हो सकती है और गुजर भी हो सकती है तो बच्चों को पढ़ा कर तरक्की के रास्ते में नहीं ले जा सकता, न उनको तालीम देकर ऊंचे पद पर पहुंचा सकता है।

माननीय रामसेवक जी ने कहा कि उनका मंशा यह नहीं है कि सब को जमीन मिल जाय। आज खुलकर उन्होंने यह बात तो कही। जो वह नारा लगाते हैं कि जमीन का विभाजन होना चाहिये उसका मतलब यह है कि हर आदमी को जमीन मिले, चाहे वह काश्त करना चाहता हो या न करना चाहता हो। वह नारा बिल्कुल भुलावा देने वाला है। मैं कहता हूं कि जमीन उस आदमी के पास रहनी चाहिए (जैसा कि कांग्रेस

का बराबर उद्देश्य रहा है और जमीन सम्बन्धी कानून जब-जब सदन में आया तो उसमें रखा गया) जो जमीन जोते उसका मालिक वही हो और टिनेंसी ऐक्ट बना उसका असली मंशा यही है कि जो आदमी अपने हाथ से खेती करे या उसका इन्तजाम करे वही उसका मालिक रहे। वह तीस एकड़ की ऐसी सीलिंग है जिसमें किसान इज्जत से, आराम से, आसाइश से, रह कर अपने बच्चों की तालीम, अपने भरणपोषण और जीवन-यापन का इन्तजाम कर सकता है। सवा छः एकड़ भुलावा देने वाली बात है। यह जरूर है कि खेती उन्हीं को मिलेगी और मिलनी चाहिए, जो खेती करना चाहते हैं। इसमें दो राएं नहीं हो सकती हैं। और कांग्रेस का यही मंशा है कि खेती उसी को मिले जो खेती करना चाहता है। लेकिन ऐसा करते हुए, उसे इतनी खेती मिले जितने में वह अपनी गुजर कर सके। वह सवा छः एकड़ में अपनी गुजर कैसे करेगा? यहां पर जमीन के बटवारे का सवाल नहीं है। यहां पर यह सवाल है कि एक आदमी कितनी जमीन अधिक से अधिक खरीद सकता है। जब बांटने का सवाल आता है उस वक्त यह नारा लगाया जाता है, जिनके पास हजारों एकड़ जमीन है उनके पास वह नहीं रहनी चाहिए और जैसा कि माननीय अवधेश प्रताप जी कह रहे थे कि बड़े-बड़े भागों में जमीन बनी रहे, ट्रैक्टर भी चलते रहें, तो ट्रैक्टर भी चलें, कोआपरेटिव फार्म बनें तब ट्रैक्टर भी चल सकते हैं। लेकिन सवा छः एकड़ की सीलिंग तो किसानों को बरबाद करने वाली है, प्रदेश को गारत कर देने वाली है, प्रदेश को गरीब बना देने वाली है। मैं इसका विरोध करता हूं और मौर्य जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री जोरावर वर्मा—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन जो माननीय रामलखन मिश्र जी ने प्रस्तुत किया है यह बहुत ही अच्छा संशोधन है। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है यह स्वीकृत होने वाला नहीं है। क्योंकि वह अपने साढ़े १२ एकड़ वाले संशोधन को वापस ले लेंगे। जहां तक माननीय मौर्य जी की बात है वह साढ़े १२ एकड़ को हटा रहे हैं और ३० एकड़ को जो पहले व्यवस्था थी उसको रख रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक अच्छी बात अपने संशोधन में यह रखी है कि परिवार की परिभाषा में जो पहले वयस्क बालक या सन्तान सम्मिलित नहीं थी उसमें अब वयस्क बालक भी उसमें सम्मिलित कर दिया जायगा। जहां तक माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन की बात है उन्होंने अपने संशोधन साढ़े १२ के स्थान पर सवा ६ एकड़ के संशोधन का प्रस्ताव किया है। लेकिन वह एक बात भूल गये। शायद उन्होंने, जहां तक मेरी जानकारी है, जिस कानून में संशोधन हो रहा है उसको ठीक से देखा नहीं क्योंकि उन्होंने जो संशोधन रखा है उससे यह कोई निश्चित सीलिंग नहीं हो जाती है कि खरीदने वाला व्यक्ति सवा ६ एकड़ ही खरीद सकेगा। क्योंकि एक परिवार में जिसकी परिभाषा इस ऐक्ट में की गई है उसमें सिर्फ नाबालिग सन्तान ही सम्मिलित किया गया है। जिसका अर्थ यह हो जायगा कि जो बालिग पुत्र है वह परिवार में सम्मिलित होते हुए भी सम्मिलित न समझा जाय। क्योंकि अगर किसी के ६ पुत्र हैं तो वे सब सवा ६, सवा ६ एकड़ माननीय गेंदासिंह जी के संशोधन के अनुसार खरीद सकते हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय, जैसा और लोगों ने संशोधन रखा है मैं भी इसमें अगर आपकी आज्ञा हो तो एक सुझाव देना चाहूंगा कि माननीय गेंदा सिंह का जो संशोधन है उसके सहित एक संशोधन इसमें और कर दिया जाय कि जो परिवार की परिभाषा है उसमें वयस्क पुत्र भी सम्मिलित कर दिया जाय। तब शायद माननीय गेंदा सिंह जी का जो असली उद्देश्य है वह पूर्ण होगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस धारा को समझने से बहुत से माननीय सदस्य समर्थ हो रहे हैं। इसलिये आपकी आज्ञा से इस धारा को पढ़े दे रहा हूं जिसके ऊपर यह संशोधन हो रहा है ताकि

[श्री जोरावर वर्मा]

माननीय सदस्यों को समझने में सहूलियत होगी। उपाध्यक्ष महोदय, धारा १५४ यह है :—

"154. *Restrictions on the transfers by a bhumidhar*—No bhumidhar shall have the right to transfer, by sale or gift, any land to any person (other than an institution established for a charitable purpose) where such person shall, as a result of the sale or gift, become entitled to land which, together with land, if any, held by himself or together with the family will, in the aggregate, exceed 30 acres in Uttar Pradesh.

Explanation—For the purposes of this section a person's family shall, if the members are living jointly, consist of the person himself, his minor children, his wife or her husband, as the case may be, and if the person himself is a minor, his father and mother."

उपाध्यक्ष महोदय, तो इस प्रकार से जो पहले वाला कानून है उसमें एक बहुत बड़ी खामी थी जो मेरे अन्दाज से माननीय मंत्री जी के संकेत से रामलखन मिश्र ने इस संशोधन को प्रस्तुत किया। क्योंकि उन्होंने इस बात का अनुभव किया कि जो ३० एकड़ खरीदने की व्यवस्था है उससे परिवार के लोग हजारों एकड़ खरीद सकते हैं अगर उनके परिवार में जैसी की भारतीय व्यवस्था है कि एक परिवार में १०, १२ और यहां तक कि १८ और २४ तक लड़के हुआ करते हैं तो उस परिवार में काफी जमीन खरीदी जा सकती है और जमींदारी व्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य है कि भूमि की एक निश्चित हद तय कर दी जाय ताकि कोई परिवार अधिक से अधिक भूमि इकट्ठा न कर सके वह खत्म हो जाता है। तो अधिक अच्छा तो यह था कि वह १५४ धारा ही में कोई इस प्रकार का संशोधन लाते तब उनका यह मनतव्य पूरा होता। लेकिन उन्होंने धारा १३२ में एन केन प्रकारेण संशोधन पेश करवा कर लोगों को विचार करने का मौका दिया है, बहुत अच्छा है।

श्री चतुर्भुज शर्मा—धारा १५४ में ही है।

श्री जोरावर वर्मा—यह संशोधन ६(क) १३२ में है। लेकिन उसी धारा में ६(क) के नाम से धारा १५४ में किया गया है कि जो नियमानुसार नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि संशोधन रखा है इसलिये उसका संकेत होना चाहिये कि उन्होंने किस हद तक जमीन को लिमिट करने का प्रयत्न किया है। तो उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से आज हमारे सदन के सामने यह प्रश्न है कि अधिक अच्छा यह हो कि हम भूमि की एक सीलिंग नियत कर दें। माननीय सदस्यों ने पढ़ा ही होगा कि केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन भी यह प्रश्न है और बजट की बहस में वहां के माननीय कृषि मंत्री ने इस बात का ऐलान भी किया है कि हम बहुत शीघ्र भूमि की सीलिंग को निश्चित करने जा रहे हैं। तो मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जैसा उन्होंने सब से पहले देश में भूमि व्यवस्था अधिनियम प्रस्तुत करके इस बात का परिचय दिया है कि वे भूमि व्यवस्था में कुछ सुधार करने जा रहे हैं उसी प्रकार उनके लिये अधिक उपयुक्त यह होगा कि वह इस प्रकार का कोई संशोधन सदन में लायें जिससे वह अपने मनतव्य को पूरा कर सकें और भूमि की हद निश्चित कर सकें और हमारे प्रदेश का एक ऐसा उदाहरण पेश हो जाय जिससे देश के पूरे सूबों को, राज्यों को भी इस बात का पथ-प्रदर्शन हो और हमारी जो केन्द्रीय सरकार अभी किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सकी है उसको भी एक रास्ता मिले। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय अवधेश प्रताप जी ने जो संशोधन रखा है कि साढ़े बारह की जगह पर ५० एकड़ खरीदने की कम से कम हद निश्चित कर दी जाय, यह कहना अनुपयुक्त न होगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि वह जैसा कि अभी तक होता आया है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अब भी भूमि पर नाजायज

कब्जा किये हुए हैं और चाहते हैं कि भूमि पर नाजायज कब्जा करने के लिए उन्हें कोई कानूनी आड़ मिल जाय जिसके द्वारा हमारे प्रदेश के रहने वाले लोग भूमि प्राप्त करने से महरूम रह जायं।

उपाध्यक्ष महोदय, उस परिस्थिति में जब कि माननीय मिश्र जी का संशोधन स्वीकार न हो तो मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह माननीय मौर्य जी का ही संशोधन स्वीकार कर लें, क्योंकि उनके संशोधन से कम से कम इतना तो हो ही जायगा कि जो संयुक्त परिवार है उसमें रहकर के कोई बालिग पुत्र ३० एकड़ भूमि खरीद करके उसका दुरुपयोग नहीं कर सकेगा। क्योंकि अभी जो व्यवस्था है जैसा मैंने पहले बतलाया उसके अनुसार एक परिवार में रहते हुए बालिग पुत्र उस परिवार में सम्मिलित नहीं है और ३० एकड़ भूमि खरीद सकता है। लेकिन माननीय मौर्य जी के संशोधन के अनुसार बालिग पुत्र भी परिवार में सम्मिलित हो जायगा और उसका परिणाम यह होगा कि पिता अगर ३० एकड़ से कम जमीन रखता है, उसके नाम ३० एकड़ से कम जमीन है तब तो वह उतनी जमीन खरीद सकता है जिसको मिला कर के वह ३० एकड़ हो जाय और उसके अलावा अधिक जमीन वह नहीं खरीद सकता है। अगर इस संशोधन को नहीं स्वीकार किया जाता है या माननीय मिश्र जी का जो संशोधन है वह उसे वापस ले लेते हैं तो इससे कोई विशेष लाभ नहीं होगा और भूमि की वही दुर्व्यवस्था बनी रहेगी जो कि अभी तक है।

उपाध्यक्ष महोदय, यही धारा एक ऐसी है जो कि हमारी सरकार की नीति पर और माननीय मंत्री जी के श्रम की ओर संकेत करती है। उन्होंने जमींदारी विनाश कानून बड़ी मेहनत से बनाया और हमारी सरकार ने जो पहले थी उसने उसे स्वीकार किया। लेकिन वास्तव में जो कानून का मकसद था और जिसे जनसाधारण समझता है कि ३० एकड़ से अधिक जमीन खरीदने का किसी को अधिकार नहीं है। वह इस धारा से स्पष्ट हो जाता है कि ३० एकड़ से अगरचे एक परिवार में बहुत से बालिग पुत्र हुए तो वह खरीद सकते हैं और इस प्रकार से जो हमारी सरकार का दावा है कि उन्होंने भूमि-व्यवस्था कानून बना कर के जमींदारी का विनाश कर दिया है और भूमि को अधिक से अधिक लोगों को लेने का और खरीद करने का मौका दिया है, मैं समझता हूं कि यह दावा बिल्कुल निर्मूल है क्योंकि यह संशोधन जो माननीय मिश्र जी ने रखा है यह जाहिर करता है कि सरकार की नीति कितनी ढुलमुल है। वह किसी एक निश्चय पर नहीं आ पाती है कि वास्तव में उसका मन्तव्य या उसका उद्देश्य क्या है। उपाध्यक्ष महोदय, तो इस प्रकार सरकार पर जिस प्रकार के दबाव पड़ते रहते हैं वह उसी दबाव के कारण सरकार को इस प्रकार के संशोधन लाने पड़ते हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि सरकार इस बात के लिये कटिबद्ध हो जाय कि सचमुच में उसकी स्पष्ट नीति क्या है। उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दू परिवार में ज्वाइन्ट परिवार माना जाता है। दादा दादी से लेकर पिता, पुत्र और पौत्र भी सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार के छः सात जो परिवार आजकल इस परिवार के अनुसार हो सकते हैं वह एक ही परिवार में सम्मिलित हैं। लेकिन इस जमींदारी कानून के अनुसार उन जमींदारों को या बड़े-बड़े भूमिपतियों का कोई विशेष नुकसान न हो सका अब तक। उस समय की सरकार ने यह स्पष्टीकरण जोड़ कर के इस पूरे कानून का एक प्रकार से गला घोट दिया है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से और सरकार से यह निवेदन करूंगा कि ज्यादा अच्छा यह हो कि वह इस स्पष्टीकरण को और स्पष्ट कर दें और इस प्रकार का अपना कोई निर्णय निश्चित कर लें कि वास्तव में भूमि व्यवस्था क्या होगी। एक परिवार जिसमें बालिग न सम्मिलित हो जैसा कि हिन्दू कानून के अनुसार है तो उस परिवार को अधिक से अधिक कितनी भूमि रखने का या खरीदने का क्या अधिकार होगा।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय गेंदासिंह का जो संशोधन है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)---माननीय उपाध्याक्ष महोदय, मैं माननीय गेंदा सिंह द्वारा रखे हुए प्रस्ताव का विरोध करता हूं। माननीय श्री गेंदा सिंह जी ने अपने प्रस्ताव में यह बात कही है कि सवा छः एकड़ भूमि को मान करके अगर हम चलें तो हाउस यह निश्चय करे कि सवा छः एकड़ के बाद में लोग अपनी जमीन को आगे न बढ़ा सकें। मैं नहीं समझता कि सवा छः एकड़ की बात जो अब से १० या १५ वर्ष पहले कुछ इकानामिस्ट ने बैठ कर तय की थी कि सवा छः एकड़ का खाता लाभकर कहा जा सकता है तो आज के इस जमाने में जबकि कीमतें और लागत बढ़ती जा रही हैं आज ठीक नहीं है। और रहने के स्टैन्डर्ड आफ लिविंग के बारे में जो बात कही जाती है वह भी अब से १५-२० वर्ष पहले की जो बात थी उससे हम कहीं आगे बढ़ करके चलना चाहते हैं। तो क्या हम सवा छः एकड़ की बात को मान करके अपनी आने वाली नस्लों के लिए यह कह दें कि तुम सवा छः एकड़ के अन्दर ही गुजारा किया करो और अपने स्टैंडर्ड आफ लिविंग को भी बढ़ाओ तो ये दोनों दो मुत्जाद चीजें हैं और मैं नहीं समझता कि समाजवाद का अध्ययन करने वाले, समाजवाद का रात-दिन नारा लगाने वाले लोग किस प्रकार से इस तरह की बातें करते हैं जो आपस में एक दूसरे की काट करती रहती हैं। किसी प्राचीन काल में एक चीज नियत कर दी गयी कि ३० बीघे जमीन लाभकर जोत कही जा सकती है, तो उसका मतलब यह था कि वह डिक्रीजिंग रिटर्न (decreasing return) में नहीं जायंगी बल्कि जो खेती करता है तो उसके बीज की कीमत, परिश्रम का मूल्य, जो लागत उसमें लगी हुई है और हल बैल उन सबके साथ वह इस स्तर पर आ जायेगी कि खेती करने पर उसको कुछ लाभ होना शुरू हो जायगा। लेकिन इसके मानी यह नहीं हैं कि सवा छः एकड़ भूमि अगर परिवार के ५ मदस्य हैं उनकी भरणपोषण की समस्या हल कर देगी और उसमें अगर बीस आदमी हैं तो उनकी भी समस्या हल हो जायगी। इसका ऐसा कदापि अर्थ नहीं है और लोगों ने इसको गलत समझा है। अगर ३० बीघे को आधार मानकर चलते हैं तो आर्थिक दृष्टिकोण से इन्क्रीजिंग रिटर्न की तरफ दौड़ते हैं, डिक्रीजिंग की तरफ नहीं जा रहे हैं और ३० बीघे को खेती में लाने के बाद हमें हानि नहीं होगी, अब यहां से कुछ मुनाफे की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं और हमें लाभ होना शुरू होता है। तो ३० बीघे को किसी परिवार के लिए पर्याप्त भूमि मानना कोई ठीक चीज नहीं है। जबकि देश के प्रत्येक वर्ग से, प्रत्येक परिवार से और नागरिक से आशा की जाती है कि तुम हर एक प्रकार से अपनी उन्नति करो, आर्थिक दिशा में आगे बढ़ो, अपने रहन-सहन और खाने को अच्छा बनाओ, हर तरह से रहने के स्टैन्डर्ड को आगे बढ़ाओ और दूसरी ओर यह प्रतिबन्ध रखते हैं कि तुम्हें ३० बीघे जमीन दी जायगी, तो कैसे ये सब कंट्रैडिक्टरी बातें कही जाती हैं।

दूसरी बात यह है कि जब हम समाज का निर्माण करने चलते हैं तो ऐसा नहीं करेंगे कि गांव का रहने वाला इतना जोतेगा और शहर का रहने वाला इतना जोतेगा। हमें तो देश का पूरा चित्र अपने सामने रखकर के चलना है। एक तरफ तो आपका सर्विस वर्ग है जो रात-दिन गवर्नमेंट की सर्विस में लगा हुआ है। एक तरफ आपका इंडस्ट्रियल वर्ग है जो कि उद्योग-धंधों मे लगा हुआ है। एक तरफ आपका कृषि वर्ग है जो रात-दिन खेती में परिश्रम करता है। जहां तक सरकारी वर्ग के लोगों की बात है वहां पर ऐसी तमाम चीजें और सुविधाएं उनको दी गयी हैं और मुहय्या हैं कि तुम्हारे बच्चों को शिक्षा दी जायगी, निश्चित रुपयों तक की नौकरी दी जायगी, तुम्हारे लिए चकित्सा का प्रबन्ध होगा, रहने-सहने का प्रबन्ध अच्छा किया जायगा, यहां से रिटायर होने के बाद पेंशनें भी दी जायंगी। तो यह एक वर्ग है जिसके लिये हम यहां सदन में बैठ कर तय करते हैं कि १८ सौ रुपये तनख्वाह वालों का यह वर्ग होना चाहिये, एक हजार वालों का यह वर्ग होना चाहिये, पांच सौ रुपये वालों का यह वर्ग होना चाहिये और सौ रुपये वालों का यह वर्ग होना चाहिये। एक समाज की रचना तो हम यहां बैठकर किया करते हैं।

दूसरी तरफ हम यह रचना करते हैं औद्योगिक क्षेत्रों में कि इतने-इतने बड़े कारखाने खुलेंगे। वहां पर मिल मालिकों को हम यह प्राफिट भी देंगे और मजदूरों को वहां पर काम करने के लिये यह वेतन दिया जायगा, उनको, प्रॉविडेंट फंड दिया जायगा और उनके

रहने के लिये मकान दिया जायगा, उनकी दवादारू का भी प्रबन्ध किया जायगा, उनके बच्चों की शिक्षा के लिये प्रबन्ध किया जायगा। दूसरे औद्योगिक क्षेत्रों में छोटे से लेकर बड़ी बातों तक चल रही है। इसके बाद एक दूसरा वर्ग बदकिस्मत किसान का है जिसके लिये कोई साहब तो यह कहते हैं कि सवा छै एकड़ भूमि को परिमाण मान कर भूमि का बंटवारा कर दिया जाय और कोई साहब कहते हैं कि पचास एकड़ मान लिया जाय। तो मैं यह नहीं समझ पाया कि किस प्रकार के आदर्शों को हम आज प्रतिष्ठित करना चाहते हैं और जो सोशलिस्ट पैटर्न की बात कही जाती है उसको हम कैसे इसमें फिट कर देंगे। और किसानों में भी देखेंगे तो ऐसा वह वर्ग है जो अमेरिकन पैटर्न पर खेती करके यहां जिन्दा रह रहे हैं और दूसरी तरफ वह लोग भी हैं जो सुबह से लेकर शाम तक खेती करते हैं, जिन्हें बरसात में, धूप में, पाले में, जाड़े में, पानी में काम करने पर भी रोटी नहीं मिलती। तो देश में आज ऐसे वर्ग के किसान भी मौजूद हैं और इसके साथ-साथ उनके भाग्य को देखेंगे तो उनमें कुछ ऐसे हैं वह स्वर्ग में रह रहे हैं और उनसे पूछा जाय तो वे कभी सोच भी नहीं सकते कि उनमें किसी को भी दुर्दैव के दिन देखने को मिल सकते हैं दूसरी तरफ वह वर्ग है जो सुबह से शाम तक काम करने पर भी रोटी नहीं खा सकता है, कपड़ा नहीं पहन सकता है। अब दोनों वर्गों को एक स्तर पर कैसे रख सकते हैं?

देश में एक ऐसे लोगों का वर्ग है जो यह सोचता है कि हम सब लोग दिन भर मांग कर जो लायेंगे वह शाम को खा लेंगे तो उनके लिये न तो ऊंचे आदर्श की जरूरत है न उनको बच्चों को लिखाने पढ़ाने की चिन्ता है, वह किसी के मकान के नीचे, किसी के बंगले के नीचे रह कर सो जायं तो उन्हें चिन्ता नहीं, लखनऊ के फुटपाथ पर सो जायं तो चिन्ता नहीं, उनके लिये शुबह से शाम तक भोजन मिल जाय, न शिक्षा की चिन्ता है न रहने की चिन्ता है। तो एक तरफ तो ऐसे लोग हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो १८ सौ के नौकर हैं, तीन हजार रुपये के नौकर हैं, १ लाख रुपये वार्षिक कमाने वाले लोग भी हैं और साथ ही वह किसान भी हैं जिनके पास हजारों एकड़ फार्म हैं। अब ऐसे लोगों के सामने वह जो वर्ग है जिसके लिये मैंने अभी बतलाया उनके लिये मुझे एक शेर याद आता है। उस शेर में कहा गया है—

'किसी की शबे वस्ल रोते कटे हैं,
किसी की शबे वस्ल हंसते कटे हैं।
हमारी शबे वस्ल ऐसी बनाई,
न हंसते कटे हैं न रोते कटे हैं।'

उनके लिये न इस जिन्दगी में चैन, और न आने वाली जिन्दगी में आराम। जो भूमि का प्रबन्ध किया था वह २० वर्ष पहले किया गया था और वह भी उन कृषि पंडितों ने किया था जिन्होंने यह कहा था कि खेती को मजदूरों वगैरह की जरूरत पड़ती है तो उसका रिटर्न पर असर पड़ता है। मैं यह नहीं समझ सका कि माननीय गेंदासिंह जी ने यह बात कैसे कह दी कि अगर आप जमीनों को ६-१/२ एकड़ के हिसाब से बांट दें तो उससे आप लोगों को रोटी दे देते हैं यह तो ठीक बात है लेकिन गेंदा सिंह जी किसी परिवार का नियोजन नहीं करते अगर किसी परिवार में ५ की जगह १५ आदमी बढ़ जाते हैं तो क्या वे अट्ठारह एकड़ जमीन दिला सकेंगे। यह उनके काबू की बात नहीं है और जब यह उनके काबू की बात नहीं है तो फिर क्यों वे सवा छः एकड़ में ५ आदमियों के परिवार की बात करते हैं। प्रश्न यह है कि अगर सवा छः एकड़ में ५ आदमी की जगह १५ आदमियों का परिवार बढ़ जाय तो तिगुनी जमीन उसको वे दिला सकते हैं? ऐसी बात वह सदन के सामने रखते हैं जिसको कोई बुद्धिमान आदमी नहीं मान सकता। इसलिये मैं इन तमाम परिस्थितियों में जैसी इस समय चल रही है माननीय मौर्य जी द्वारा रखे गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। वैसे तो उन्होंने प्रस्ताव के साथ जो शर्त लगा दी है मैं उसके पक्ष में नहीं हूं लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में यदि सदन के सम्मानित सदस्य उसके पक्ष में हों तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

[श्री शिवकुमार शर्मा]

लेकिन मैं किसी प्रकार से भी ऐसी बदलती हुई परिस्थितियों में ३० एकड़ से कम का प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं हूं। वैसे तो कम की भी सीमा मानी जा सकती है लेकिन उसके बाद अगर कोई हमसे यह कहे कि परिवार नियोजन की क्या सीमा होनी चाहिये, अगर परिवार में २० आदमी बढ़ गये तो सरकार जमीन बढ़ा सकेगी या नहीं और अगर जमीन के ऊपर लोगों का गुजारा नहीं होता है तो उनकी शिक्षा के लिये उनके रहने के लिये क्या प्रबन्ध होगा, उनके और खर्चों का क्या होगा, इत्ययादि २। और इस ३० एकड़ के साथ में किसानों को कोई आश्वासन मुनाफे का नहीं देते हैं कि तुम्हारी खेती के अन्दर से दो हजार का मुनाफा तुम्हें अवश्य मिलेगा। और ५, ६ आदमियों की फैमिली तुम्हें रखनी होगी और जब ५, ६ आदिमयों से ज्यादा फैमिली बढ़ जायगी तो सरकार को दोबारा गौर करना पड़ेगा और अगर मुनाफा कम होगा तो जितना २ हजार से कम होगा वह सरकार देकर पूरा करेगी, क्योंकि प्रत्येक वर्ग के लिये मुनाफा अश्योर्ड है।

आज कैपिटलिस्ट जानता है कि एक रुपया वह कमाता है तो १४ आने गवर्नमेंट को दे देने के बाद २ आने उसको बच रहेंगे। नौकरी वाला जानता है कि मैं सुबह से शाम तक काम करूंगा तो सौ रुपये वाले को सौ रुपये मिलेंगे, दो सौ वाले को दो सौ मिलेंगे। बेचारा किसान क्या जानता है? अगर पानी नहीं बरसता है या ओले पड़ जाते हैं तो बेचारा तरसता रहता है। आपकी कोई बीमे की स्कीम नहीं है, मेडिकल सहायता उनके लिये फ्री नहीं है, उनके बच्चों की एजूकेशन फ्री नहीं है तो कम से कम उसका मुनाफा तो अश्योर्ड करा दें। लेकिन यह भी अश्योर्ड नहीं है।

मौजूदा परिस्थितियों में हम जानते हैं कि आप यह कर भी नहीं सकते हैं और यदि आप करना भी चाहें तो यह सुझाव इम्पासिबिल है। इसलिये हम इसको नहीं प्रेस कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई आदमी यह समझे कि किसान जानता नहीं है तो ऐसी बात नहीं है। जब ५० रुपये का फैक्टरी में काम करने वाला मजदूर संगठित हो कर यह मांग कर सकता है कि मेरी इतनी आमदनी होनी चाहिये, मैं केवल इतने घंटे काम करूंगा, उसके बाद मैं नहीं करूंगा, मुझे रहने के लिये मकान मिलना चाहिये, मुझे इंश्योरेंस का फायदा होना चाहिये तो यह नहीं हो सकता कि किसान इन तमाम चीजों को न जानता हो। वह ज्यादा जानता है। उसको भी उभारा जा सकता है। लेकिन वह दूसरों का बोझ अपने कंधों पर ले चलता है और जानता है कि वह ऐसा करके दूसरों का बोझ हलका करता है। वह जानता है कि हम खुद एजूकेशन न लेकर दूसरे को एजूकेशन दे रहे हैं। वह जान बूझ कर इन तमाम मांगों को नहीं रख रहा है। वरना एक दिन यह भी आ सकता है कि जब आप कहते हैं कि ३० एकड़ जमीन होगी तो वह कहें कि हमें आप इन्श्योरेन्स दीजिये, हमारे बच्चों के एजूकेशन का खर्च दीजिये, हमें रहने के लिये मकान दीजिये। आपने करोड़ों रुपये शहरों में मजदूरों के रहने के लिये मकान बनवाने में खर्च किये, लेकिन एक पैसा किसानों को नहीं दिया। जो दो, चार रुपये की तकावी किसी को दी भी तो उससे कुछ हो नहीं सकता। वह भी कह सकता है कि आप ३० एकड़ की सीलिंग मुकर्रर कर दीजिये उसके बाद दो हजार रुपये का इंश्योर्ड कर दीजिये। वह यह भी कह सकता है कि मेरे कैटिल इंश्योर्ड होने चाहिये वरना मुनाफा दो हजार के बैले लेकर आता हूं और कल रेन्डर पेस्ट से मेरे बैल मर जाते हैं तो क्या होगा। तो यह समझना गलत है कि किसान जानता नहीं है। वह सब जानता है और हम भी जानते हैं कि हम भड़का सकते हैं। लेकिन जिन परिस्थितियों में हो कर हम गुजर रहे हैं उनमें यह मांग करना बहुत ठीक नहीं लगता। सवा छै एकड़ की बात कही जाती है और गवर्नमेंट को धमकी दी जाती है, लेकिन यह चीज चलने वाली नहीं है इस स्थिति में। इसलिये यह सब चीजें ऐसी हैं कि जिन पर अच्छी तरह से गौर करना है।

श्री गेंदासिंह जी जो बात कह रहे थे वह मेरी समझ में नहीं आती है वह कैसे सवा छै एकड़ में अपने परिवार का गुजारा कर सकता है। मैंने कहा है कि आप उसको एक स्थिति पर पहुंचा दें या तो आप उसको मजदूर ही बना दें जिससे वह आपके यहां लखनऊ में फुटपाथ पर पड़ा रहेगा या वह इस काबिल तो हो जाय कि वह कह सके कि मैं दुनिया में जिन्दा रह रहा हूं आप न तो उसको मरने देना ही चाहते हैं और न जिन्दा ही रहने देना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि मैं उनके प्रस्ताव का विरोध करते हुये श्री मौर्य जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्रीमती चन्द्रवती (जिला बिजनौर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर कल से भूमि व्यवस्था बिल पर बहस हो रही है और दोनों दलों के बहुत से भाइयों ने बहुत सी बातें कहीं और सीलिंग की बात भी कही गई और मेरी समझ में थोड़ी सी बात आई, लेकिन मैं ज्यादा समझ न सकी। मेरे माननीय भाई गेंदा सिंह जी ने सवा छै एकड़ भूमि की मांग की और उन्होंने एक परिवार में पांच व्यक्ति गिनाये और इसके लिये उन्होंने यह समझा कि सवा छै एकड़ भूमि गुजारे के लिये काफी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी एक किसान की बेटी हूं और किसान के घर में ही मेरा पाणिग्रहण संस्कार भी हुआ और मैं ऐसे परिवार में पली थी जहां जमींदारों की परिभाषा दूसरे मानों में होती थी। मैं पढ़ने के समय समझती थी कि वही जमींदारी परिभाषा है जो अपने निवास स्थान पर है। सुना करती थी कि यू० पी० में दूसरे किस्म के जमींदार होते हैं। ईश्वर की दया से मैं उनके घर आई और उनकी परिभाषा को अच्छी तरह से समझा और अब इस नतीजे पर पहुंची हूं कि मेरे जो अपने पहले के जीवन-काल के जमींदार थे उनको मैं अच्छा समझती हूं। यह जमींदारों की परिभाषा जो दिखायी गयी और इसका जो नतीजा हुआ उसका एक नया रूप था और सरकार ने जो कदम उठाया उसको मैं उचित समझती हूं।

मेरे जन्म स्थान में जो जमींदार होते हैं उनमें करीब करीब ३० और ५० एकड़ के बीच में भूमि पर सीलिंग है। मौर्य जी का जो ३० एकड़ का अमेंडमेंट है मैं उसके समर्थन के लिये खड़ी हुई हूं और यह मैं कह सकती हूं कि यह लिमिट ऐसी है जिसमें एक परिवार का स्टैन्डर्ड जैसा कि हमारे समाजवादी भाई ऊंचा उठाना चाहते हैं, उठ सकता है। मैं अपने माननीय भाई गेंदा सिंह जी से पूछना चाहती हूं कि क्या आपने देहाती क्षेत्र में फैमिली प्लानिंग का प्रचार कर दिया है कि उनके परिवार में ५ से अधिक आदमी न हों। आज यदि जन संख्या का नक्शा देखा जाय तो मालूम होगा कि किसानों के घर में ही बच्चों की जन संख्या ज्यादा होगी। शहर के पूंजीपति और अमीरों के घर में बच्चों की जन संख्या कम पाई जायगी। उनको पहले यह समझना अनिवार्य है कि ज्यादा बच्चे पैदा होना दरिद्रता की निशानी है। उनके लिये गेंदा सिंह जी का सुझाव है कि सवा छै एकड़ में उनका गुजारा हो सकता है यह निरी भ्रमात्मक और व्यर्थ की परिभाषा है। मैं इस बात को बिलकुल उचित नहीं समझती हूं कि सवा छै एकड़ भूमि से एक परिवार सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। बहुत से भाइयों ने इस बात का जिक्र किया कि उनके बच्चे नहीं पढ़ सकेंगे। मैं तो यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि बच्चे पढ़ने की बात तो क्या कहिये, उनके बच्चों के शरीर पर वस्त्र भी नहीं आ सकेंगे। अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे कि मिलों में मजदूर काम करते हैं और उनको पूरी आठ घंटे की मजदूरी दिलाने के लिये हमारे शोसलिस्ट भाई लड़ा करते हैं। आप कहते हैं कि आठ घंटे का उचित वेतन उनको मिलना चाहिये। तो क्या मैं उन समाजवादी भाइयों से यह पूछ सकती हूं कि यह सवा छै एकड़ की सीलिंग तय करते समय क्या उनका वही दृष्टिकोण रहता है जो कि मजदूरों की मजदूरी के लिये लड़ते समय उनका रहता है? क्या उन किसान भाइयों की लेबर की मजदूरी उस सवा छै एकड़ की खेती से निकल आती है। वह सबेरे से शाम तक खेत पर मेहनत करता है और कई बार रात को भी पहरा देता है। उसकी बारी जब पानी लेने के लिये आती है तो वह रात भर ड्यूटी देता है और उसको आठ घंटे के बजाय १८ घंटे

[श्रीमती चन्द्रवती]

की मेहनत पड़ जाती है। तो क्या १८ घंटे की लेबर की मजदूरी वह सवा छै एकड़ भूमि से पा सकता है ? मैं नहीं समझ पाती कि किस बात से, किस तर्क से वह इस बात की प्रेरणा पा रहे हैं। जब जमींदारी विनाश किया गया था उस समय उनकी तरफ से विरोध इस बात का किया गया था कि जमींदारों को मुआवजा न दिया जाय। यह बात इंसानियत के खिलाफ है।

मैं इस बात को उचित नहीं समझती कि किसी आदमी की चीज ले ली जाय और उसके एवज में उसको संतुष्ट करने के लिये कुछ भी न दिया जाय। ऐसा करना इंसानियत के खिलाफ है ? आज वही समाजवादी भाई, जो जमींदारों को मुआवजा न देने की बात कहते थे, सवा छै एकड़ की सीलिंग करने की बात कह कर किसान भाइयों के साथ अन्याय कर रहे हैं और उन किसान भाइयों को उनके परिश्रम का पूरा मूल्य नहीं दे रहे हैं। आज इस बात को मैं एक नारे के रूप में नहीं कहती, लेकिन एक स्पष्टीकरण के रूप में कहती हूं, प्रैक्टिकल के रूप में कहती हूं, वह थ्योरिटिकल बातें करते हैं, लेकिन जिस दुनिया में वह रह रहे हैं उसमें थ्योरिटिकल बातें नहीं चलतीं।

आज समाज की कुछ समस्यायें हैं और अगर हम उसकी प्रैक्टिकल साइड अपने सामने नहीं रखेंगे और अपनी अपनी बात सोच कर नहीं कहेंगे कि जो काम सरकार कर रही है वह उचित है या नहीं, तो यह बात बड़ी घातक हो सकती है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। मैं इस बात को समझती हूं कि अगर तीस एकड़ भूमि एक परिवार में हो तो वह अपनी कुछ आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, अपने बच्चों की शिक्षा का पूरा प्रबन्ध कर सकता है, उनकी शिक्षा-दीक्षा पूरी हो सकती है, लेकिन उसके बाद भी जो साल भर की उनकी आमदनी होती है और जो धनराशि उनको मिलती है उसको देखा जाय, तो आप देखेंगे कि उनको उनकी पूरी मेहनत का पूरा पैसा नहीं मिल पाता है आज हमारी सरकार की तरफ से ऐसे कदम भी उठाये जाने वाले हैं कि जिन से देहातों में शिक्षा का प्रसार होगा। हमारे सामने रूरल यूनिवर्सिटी का एक सुझाव है। हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी अपने यहां खोलने वाले हैं जिससे देहाती क्षेत्र में अधिक से अधिक कार्य फैले। तो अगर आपके यहां सवा छै एकड़ का किसान रहा तो वह रूरल यूनिवर्सिटी का क्या महत्व समझेगा। अगर तीस एकड़ का किसान है तो वह अपनी जमीन में पानी का उचित प्रबन्ध कर सकता है और वह अपने उस एरिया को यूनिवर्सिटी की मदद से कुछ फायदा पहुंचा सकता है। आज हमारे सामने, देश के सामने एक समस्या है। हमारे किसान भाई जो कि भूमि पर अवलम्बित हैं उनकी संख्या ८० फीसदी बतलाई जाती है, लेकिन मेरे ज्ञान से वह ७४ फीसदी हैं, और हमारे सामने समस्या यह है कि इतनी सारी जनता केवल भूमि पर ही निर्भर नहीं रह सकती है। भूमि पर अगर बटवारा करके हम अपनी सब जनता को संतुष्ट कर सकें और रोटी कपड़ा दे सकें तो यह भी एक अनुचित कदम है और थोड़े से मायने यह भी आ जाते हैं कि हम भूमि कि समस्या को तो देखें लेकिन उनकी बेकारी की समस्या को न देखें जिसके लिये आज समाजवादी भाई यह चिल्लाते हैं कि बेकारी हमारे देश में फैली हुई है तो उसके सम्बन्ध में अभी तक उन्होंने कोई ऐसा ठोस सुझाव या कदम हमारे सामने नहीं रखा है जिसके लिये यह बेकारी की समस्या उन्मूलन हो सकती हो। यहां किसान भाइयों के लिये अगर इस तरह से लिमिट कर दी जाय तो उससे भी सारी बेकारी की समस्या दूर नहीं हो सकती है। कुछ लोगों को इंडस्ट्रियल वर्कर भी बनाना पड़ेगा।

हमारे देश की तरक्की केवल भूमि पर ही निर्भर करती है। हमारे लिये एक दूसरा दृष्टिकोण भी सामने है जो इंडस्ट्रियल परपज का है। हमारे सामने धन कमाने के लिये यही दृष्टिकोण नहीं है कि धन भूमि से ही कमाया जा सकता है जैसा कि अभी भाई शिव कुमार जी ने बतलाया कि किसान भाइयों के लिये जैसा कि मिलों के वर्कर्स के लिये

यह बीमा वगैरा है उनके लिये सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिससे वह अपनी जिन्दगी को साल भर के लिये सुरक्षित रख सकें। यदि साल भर में कोई अकाल आ जाता है तो वह कर्जे के भार से बुरी तरह से दब जाता है। उसके लिये यह मुश्किल हो जाता है कि अगर उसका पशुधन नष्ट हो गया तो उसकी वह पूर्ति कर सके। ऐसी बातें हैं जो सोचने की हैं। इसके अलावा और भी उसको खर्च करना पड़ता है जो कि धनराशि के बगैर नहीं हो सकता है। इन सब बातों के सिवाय और क्या होगा।

मैं भाई गेंदा सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि वह अपने दृष्टिकोण को बदलें और इस मसले पर पुनः विचार करें। अगर आपने एक दफा जमीन का बटवारा कर दिया सवा छः एकड़ का, तो क्या उसके बाद भी यह समस्या सामने नहीं आयेगी? आज हमको इस दृष्टि से बटवारा करना है जिससे किसान को रोटी मिल सके और उसका पेट भर सके और जिससे वह संतुष्ट हो जाय। कम से कम इतना तो उसके लिये दिया जाय जिससे उसका पेट भर सके। अन्न का दान सबसे बड़ा दान है और अन्न के बाद विद्या का नम्बर आता है। भाई गेंदा सिंह जी सवा छै एकड़ का बंटवारा करते समय यह भूल जाते हैं कि हम उस आवश्यक मामले में पीछे रह जाते हैं जो कि आज उनके लिये सबसे अधिक जरूरी है। वह जरूरत उसको रोटी देने की है जो कि उसको अभी तक नहीं दी जा रही है। आज अगर किसान को इस तरह से लटका दिया जाय तो उससे अच्छा तो यही है कि उसको खत्म कर दिया जाय। इसलिये मैं मौर्य जी के संशोधन का समर्थन करती हूं और गेंदा सिंह जी के संशोधन से असहमत हूं।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं यों तो काफी बहस हो चुकी है लेकिन एक आध को और मौका देना चाहता हूं। उसके बाद इस प्रस्ताव को लूंगा।

श्री राम सुन्दर पांडेय--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गेंदासिंह जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, जब मैं संशोधन का समर्थन करता हूं तो मैं यह महसूस करता हूं कि मैं माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन का समर्थन तो करता ही हूं लेकिन १९४९ के माननीय चौधरी चरण सिंह के सुझाव का समर्थन भी करता हूं। मैं समझता हूं कि चौधरी चरण सिंह जी ने सन् १९४९ में जमींदारी उन्मूलन समिति में जो बयान दिया और जो राय जाहिर की है मैं उम्मीद करता हूं कि चौधरी साहब जो आज कल राजस्व मंत्री हैं उसका समर्थन उन्हें करना चाहिये। उसका समर्थन अगर वह नहीं करते हैं तो इसके माने यह हैं कि चौधरी साहब के उस समय के विचारों में और आज के विचारों में अन्तर है। मैं समझता हूं कि इन दोनों में अन्तर नहीं है और चौधरी साहब को गेंदासिंह जी के संशोधन का समर्थन करना चाहिये। श्रीमन्, गेंदासिंह जी के संशोधन का बहुत से माननीय सदस्यों ने विरोध किया है। माननीय मेहरोत्रा जी, शिवकुमार जी, चन्द्रवती जी ने तो इसको महसूस किया है कि वह समाजवादी विचारधारा नहीं है और यह भी कहा कि इस तरह से परिवर्तन कैसे होता है। हमारी पार्टी में रोजाना परिवर्तन होता है अथवा उधर के बैठने वालों में परिवर्तन होता रहता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि सदन के सारे सदस्य इस बात को जानते हैं। मैं जानता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने कल अपनी पार्टी मीटिंग में १२ १/२ एकड़ का रामलखन जी के संशोधन का समर्थन किया था और आज उसका विरोध किया है। मैं श्रीमती चन्द्रवती जी से और उधर के बैठने वालों से पूछना चाहता हूं कि यह परिवर्तन किस पार्टी में सुबह और शाम को होता है? हमारी पार्टी में नहीं, बल्कि उनकी पार्टी में होता है। यह ताक़त उधर के बैठने वालों में ही है और उनकी सरकार ऐसी बनी हुई है जो सुबह और शाम अपने सिद्धान्तों में

[श्री राम सुन्दर पांडेय]

परिवर्तन किया करते हैं। माननीय अवधेश प्रताप जी जब ५० एकड़ का संशोधन किये तो तभी मुझे शुबहा हुआ कि द्वारिका प्रसाद जी का ३० एकड़ का संशोधन सरकार जरूर स्वीकार करेगी। यह पहला मौका है कि पिछले ३, ४ दिनों में अवधेश प्रताप जी ने उधर के आये हुये संशोधनों का विरोध किया है। यह सब इसलिये हुआ कि सरकार जल्दी बीच का रास्ता ३० एकड़ स्वीकार करे। श्री रामलखन मिश्र का १२ १/२ एकड़ का संशोधन आया। मेहरोत्रा साहब और श्रीमती चन्द्रवती जी को तो यह भ्रम हो गया कि यह संशोधन भूमि की सीमा निर्धारित कर रहा है। इस संशोधन से केवल इतना ही लाभ होता है कि कोई जमीन सवा छः एकड़ से ज्यादा नहीं खरीद सकता है।

यदि माननीय गेंदा सिंह जी ऐसा संशोधन रखते कि सवा छः एकड़ से ज्यादा जिसके पास जमीन है वह छीन ली जाय तब तो कहा जा सकता था कि सीमा निर्धारित की जा रही है। मैं जमींदारी उन्मूलन कमेटी की रिपोर्ट के उद्धरण को नहीं पढ़ना चाहता हूं। लेकिन चौधरी चरण सिंह जी ने इस १९४९ की रिपोर्ट में स्पष्टीकरण देते हुये और तालिका देते हुये साबित किया है कि हमारे प्रदेश में सवा छः एकड़ की भूमि लाभकर हो सकती है। श्री मौर्य जी के संशोधन के मानी यह हो सकते हैं कि हमारे प्रदेश में बहुत से आदमी ऐसे हैं जिनके पास पैसा है और पैसे वाले जब ३० एकड़ तक जमीन खरीद सकेंगे। तो मैं समझता हूं कि अवधेश प्रताप जी जैसे आदमी और बाहर के बहुत से ऐसे आदमी जिनके पास पैसा है, द्वारका प्रसाद जी के संशोधन के जरिये उनको अधिकार होगा कि वह अपने परिवार में हरेक व्यक्ति के लिये ३० एकड़ जमीन खरीद सकें। परिणाम यह होगा कि भूमिहीन आदमियों को जो जमीन का भूखा है और उस पर अपना खून लगाकर अन्न पैदा करके मेहरोत्रा साहब और अवधेश प्रताप जी जैसे आदमियों को खाने को देना चाहता है उसे जमीन नहीं मिलेगी।

मैं किसी की नीयत पर आक्षेप नहीं करना चाहता हूं लेकिन मौर्य जी अपने को किसानों का हितैषी कहते हैं और कहते हैं कि लाखों की तादाद में किसान भूमिहीन हैं और उन्हें जमीन मिलनी चाहिये। परन्तु मैं मौर्य जी से पूछना चाहता हूं कि उनके संशोधन से कितने भूमिहीन किसानों को जमीन मिल सकेगी। यह क्या संशोधन है? यह प्रतिक्रियावादी संशोधन है या नहीं और किस समाजवाद की यह आधारशिला है? इन शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जमीन की सीमा नहीं निर्धारित हो रही है बल्कि ऐसे लोगों के हाथों में हथकड़ी बांधी जा रही है, ऐसे लोगों के हाथ बांधे जा रहे हैं, जिनके पास पैसा है और जो पैसे के बल से अपने सारे खेत का चक अपना लेना चाहते हैं। ऐसे लोग जिनके पास पैसा नहीं है और जमीन के भूखे हैं उनको जमीन दिलाने का यह संशोधन गेंदा सिंह जी का है। इससे कुछ लोग अपने जीवनयापन के लिये रोजी इकट्ठा कर पावेंगे। मैं समझता हूं कि गेंदा सिंह जी का संशोधन स्वीकार किया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राम लखन मिश्र--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इतिहास के पृष्ठ पर समाज जहां पहुंच चुका है वहां की परिस्थितियों को हमें देखना होगा। व्यक्ति समाज का एक गुणनफल है या दूसरे शब्दों में उसका एक पुष्प है। अगर आज की भूमि व्यवस्था से माननीय गेंदा सिंह जी के हृदय को दुःख हुआ है तो हम इसकी प्रशंसा करते हैं। किन्तु जो प्रस्ताव उन्होंने रखा है संशोधन स्वरूप में और परस्पर विरोधी तर्क उपस्थित किये हैं उनसे मैं सहमत नहीं हूं। हमारे प्रदेश में विशेषकर पूर्वी जिलों में भूमि कितने प्रकार की है। सवा छः एकड़ मिल जाती तो भी हम सन्तोष कर लेते मगर वह तो जड़निया, दोफसला और कितने प्रकार की है। वह एक परिवार के लिये भी बहुत ही अलाभकर होगी। उसे लाभकर बनाने के दृष्टिकोण

से १२ १/२ एकड़ का संशोधन का प्रस्ताव मैंने किया था। परिवार की परिभाषा में बालिग पुत्र के न रहने के कारण वह सत्ताधारी अपने पुत्र, पौत्र और संयुक्त परिवार में भी अपनी स्त्री के नाम से और बच्चों के नाम से सिविल कोर्ट में बटवारे का दावा दाखिल करके हरेक के पास ३० एकड़ कर दी है। जो वह बात हमारे सामने से गुजरती है।

मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं लेकिन हमारे जिले में, मेरी ही कन्स्टीटयूएन्सी में, मैं देखता हूं कि पूंजीवादी लोग ३० एकड़ भूमि की एक पूंजी प्रथा चलाते हैं जो खेत को जोतते नहीं हैं। किसानों को देकर जमानत ले लेते हैं कि जब अधिकारी के पास खड़े होंगे तो कहोगे कि जमीन तुम्हारी नहीं है और वे प्रोनोट लिखा लेते हैं। जब सरकारी अफसर जांच के लिये जाते हैं तो उनके सामने भूमि जोतने वाला कहता है कि वह नहीं जोतता है। चकबन्दी में भी ऐसे प्रश्न आते हैं। वाणिज्यपुत्र की एक धारणा है, यह उसकी भावना है और जैसे कहते हैं कि 'डार डार मोती फरे, तबहुं न बनिया खेती करे," अर्थात् वह स्वयं खेती नहीं करता। मेरे यह शब्द व्यापक रूप से प्रयुक्त हुए हैं। वह लोग सत्ताधारी के रूप में अपने अधिकार में भूमि को कर सकते हैं और स्वयं खेती नहीं करते।

जब टैक्स लगाया गया तो हमारे यहां लोगों ने उससे बचने की कोशिश की और हमारे यहां एक केस इसी तरह का आयकर का दायर हुआ और अपील से खारिज हुआ और हम ने ३० एकड़ के प्रश्न को इसीलिए सामने रखा था और अब अगर इसको साढ़े बारह एकड़ कर दिया जाता है तो इससे भी मिडिल क्लास के लोगों का हित होगा और मान लिया जाय कि जमीन नीलाम हो तो उसमें छोटे आदमी भी खरीद सकेंगे, अभी तक केवल बड़े आदमी ही खरीद सकते थे। इसीलिये साढ़े १२ एकड़ का प्रश्न उपस्थित किया गया था लेकिन उसमें एक बात छूट गई थी कि बालिग पुत्र परिवार की परिभाषा में नहीं आता, यह उसमें एक खामी थी जिसकी पूर्ति माननीय मौर्य जी ने अपने संशोधन द्वारा की है और इसी कारण हमारी दृष्टि उस पर पड़ी, वह साढ़े १२ एकड़ की भूमि का प्रस्ताव स्वीकार भी हो तो भी वह छूट पाये रहे, तो विशेष अन्तर नहीं पड़ने वाला है। वह तो फिर भूमि घूम-घूम कर ३०-३० एकड़ और १२ १/२–१२ १/२ एकड़ करके जमीन ले सकता है। जिस ओर हम बढ़ रहे हैं और हम सर्वोदय समाज का नारा लगाते हैं और प्रदेश और देश का जो वातावरण आज बड़ा रिवोलूशनाइज हो रहा है, जो हमारे सामने "सब भूमि गोपाल की और अपनी धन धरती बट के रहेगी" आदि-आदि के नारे लगाये जा रहे हैं उनको देखते हुए और प्लानिंग कमीशन भी जिस बात को अस्वीकार नहीं कर सकता, उसको भी देखते हुए हमारी केन्द्रीय सरकार सीलिंग करने पर विचार कर रही है, दूसरे राज्य अपनी सीमा बांधने को तैयार हैं और जनता जनार्दन के सामने यदि यह प्रश्न उपस्थित किया जाय तो मैं शतप्रतिशत कहता हूं कि जनता के प्रतिनिधियों को दूसरा अनुभव करना पड़ेगा। इस समय एक मांग हो रही है, मनुष्य कोई ऐसा पशु नहीं है जो मौन रहे, इस अर्थ संचालित समाज में भूमि सम्पत्ति की एक प्यास है। भूमि सम्पत्ति की अधिक प्यास है। उससे हृदय में शीतलता आती है। हमें वह देनी होगी और अनिवार्य रूप से हमें उसे बांटना होगा।

इतिहास के रास्ते में समाज ऐसी जगह पर पहुंच चुका है कि इस प्रश्न को हमें ठंडे दिल से विचार करना होगा। लेकिन उस समय हमें कोई प्रतिहिंसा नहीं लानी होगी। जमींदारी विनाश के बाद से हमारे उन जमींदार भाइयों के हृदय में जो एक चोट लगी थी वह कभी-कभी समय बे समय जब कभी उनको अवसर मिलता है तो वह उनके हृदय में पीड़ा के रूप में उत्पन्न हो जाती है और वह प्रतिहिंसा की प्यास में कुछ ऐसी बात कहते हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि हमारे माननीय अवधेश प्रताप जी ने ५० एकड़ की बात जो कही, उसमें वास्तविकता कुछ नहीं थी, मैं जानता हूं कि उन्होंने एक मूर्छित रूप से कहा है। उसके अन्तर्गत कोई वास्तविकता नहीं है और न उसके ऊपर कोई

[श्री राम लखन मिश्र]

विचार किया जा सकता हूं। माननीय गेंदासिंह के विषय में केवल इतना कह सकता हूं कि उनके प्रस्ताव पर जोरावर वर्मा जी ने कुछ ध्यान दिया है। उनकी दृष्टि संयुक्त परिवार पर पड़ी थी। उन्होंने एक संशोधन और करना चाहा कि संयुक्त परिवार में वह जो वयस्क है उसे भी शामिल कर लिया जाय, लेकिन वह चीज मौर्य जी के संशोधन से भी हो जाती है।

(इस समय ४ बजकर १८ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त पीठासीन हुए।)

ऐसी परिस्थिति में मैं माननीय मौर्य जी के संशोधन को अच्छा समझता हूं और यह चाहता हूं कि उनका संशोधन स्वीकार हो जाय और इससे हम उसी उद्देश्य के ऊपर पहुंचेंगे जिस उद्देश्य को सामने रख कर संशोधन प्रस्तुत किया गया था। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री जोरावर वर्मा--क्या मौर्य जी ने एक संशोधन रखा है कि ३० एकड़ की जगह साढ़े १२ एकड़ रख दिया जाय?

श्री अधिष्ठाता--ऐसा संशोधन मौर्य जी का नहीं है, वह द्वारिका प्रसाद जी का दूसरा है, यह नहीं है।

श्री चरण सिंह--माननीय रामलखन मिश्र जी का जो संशोधन है जो रूप अब उनका माननीय द्वारका प्रसाद जी मौर्य के संशोधन के बाद हुआ है वह मुझे स्वीकार है। और तकरीरें बहुत लम्बी चौड़ी दोनों तरफ से हो चुकी हैं। मैं जरूरी नहीं समझता कि अपनी तरफ से इस सिलसिले में कुछ अर्ज करूं।

श्री जगन्नाथ मल्ल--सफाई हो जाय तो वोट करने में आसानी होगी। मौर्य जी ने जो यह संशोधन रक्खा था उसमें यह लिखा हुआ है कि '३०' के स्थान पर '१२ १/२' रख दिया जाय, उसको निकाल दिया जाय उस संशोधन को भी माननीय मिश्र जी ने माना है या नहीं।

श्री राम लखन मिश्र--उसको सामने रख कर ही मैंने अपना व्याख्यान दिया है।

श्री अधिष्ठाता--अब तो साफ हो गया और आपको वोट करने में अब दिक्कत नहीं होगी।

श्री जगन्नाथ मल्ल--जी हां।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि श्री रामलखन मिश्र जी के संशोधन के उपखंड (१) में '१२ १/२' के स्थान पर '६ १/४' रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :--

पक्ष में--१३

विपक्ष में--८३।)

श्री अधिष्ठाता--अब मैं अवधेश प्रताप सिंह जी का संशोधन आपके सामने रखता हूं। प्रश्न यह है कि श्री रामलखन मिश्र के संशोधन के उपखंड (१) में '१२ १/२' के स्थान पर '५०' रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—१

विपक्ष में—१०४)

श्री अधिष्ठाता—श्री रामलखन मिश्र ने मौर्य जी का संशोधन स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैं संशोधित संशोधन पर ही राय लिये लेता हूं।

प्रश्न यह है कि विधेयक के वर्तमान खंड ६ के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड ६–क के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"६–क—मूल अधिनियम की धारा १५४ में वर्तमान स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण १ के रूप में रख दिया जाय—

स्पष्टीकरण १—इस धारा के प्रयोजन के लिए किसी परिवार में यदि उसके सदस्य संयुक्त रूप से रहते हों, स्वयं संक्रामणगृहीता (transferee), उसका पिता और उसकी माता, पुत्र-पौत्रादि क्रम में उसके वंशज (lineal descendants) और यथास्थिति उसकी पत्नी या पति होंगे।

और तत्पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण २ के रूप में रख दिया जाय—

स्पष्टीकरण २—इस धारा के प्रयोजन के निमित संक्रामणगृहीता (transferee) के विषय में यह समझा जायगा कि वह स्पष्टीकरण १ में उल्लिखित परिवार के सदस्यों के साथ संयुक्त है, जब तक कि इसके प्रतिकूल सिद्ध न कर दिया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि नया खंड ६–क इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

लोक-लेखा समिति के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना

श्री अधिष्ठाता—मुझे एक सूचना देनी है। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के निर्वाचन के सम्बन्ध में जो ५ बजे तक का समय नाम वापस लेने के लिये निर्धारित किया गया था अब वह समय दो दिन के लिये और बढ़ा दिया गया है और नामों की वापसी २८ अप्रैल के शाम के ५ बजे तक हो सकेगी।

उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५६

नया खंड ६–ख (क्रमागत)

श्री राम लखन मिश्र—अधिष्ठाता महोदय, यह संशोधन ६–ख में एक बहुत सीधा-सादा सरल संशोधन है। इसमें "या गांव सभा की ओर से कलेक्टर" शब्द बढ़ाये जा रहे हैं। यह धारा १६७ से सम्बन्धित है। इसमें यह बात कह दी गई है कि एक अवैधानिक हस्तान्तरण सीरदार द्वारा या असामी द्वारा यदि हो तो उसे गांव समाज या क्षेत्रपति बेदखल कर सकते हैं।

उसमें एक वाक्य "या गांव सभा की ओर से कलेक्टर" इतना बढ़ाया गया है। उसका कारण यह है कि अगर गांव सभा में शिथिलता आ जाय तो ऐसा अधिकार किसी संशोधन में रहना चाहिये कि गांव सभा का कोई सदस्य कलेक्टर का ध्यान इधर लाये कि अवैधानिक हस्तांतरण हुआ है और गांव सभा कोई कार्यवाही नहीं कर

[श्री राम लखन मिश्र]

रही है। इसलिये कलेक्टर को अधिकार रहना चाहिये कि वह प्रेरणा दे सके। तो इसमें कोई गम्भीर बात नहीं है। यह केवल उद्देश्यपूरक और सीधा-सादा संशोधन है। गांव सभा का इतिहास भी ऐसा ही सैकड़ों वर्षों से रहा है कि गांव एक जगह पर है उसमें यदि कोई नाजायज बात भी कर लेता है तो उससे कोई पार नहीं पाता। अभी उनकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं हुई है तो कलेक्टर उसमें बहुत सहायक होता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह "कलेक्टर" शब्द इसमें रखा गया है।

इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन को प्रस्तुत कर रहा हूं और आप द्वारा यह विनय कर रहा हूं कि यह इतना उद्देश्यपूरक है कि अगर कलेक्टर को न रखें तो एक बड़ी कमी रह जायगी।

श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन माननीय रामलखन जी ने रखा है बहुत उचित संशोधन है। वास्तव में आज का जो गांव समाज है वह ठीक से अपना काम कर नहीं पाता है। बहुत जगह कुछ पार्टीबन्दी की वजह से या और कारणों से ऐसी ढील हो जाती है कि ऐसी चीजें जब हस्तांतरित की जायंगी उसमें लोग उपेक्षा दिखला देंगे और गांव समाज कुछ कर नहीं पायेगा। अभी यह देखने में आया कि कुछ भूमि पर उनको अधिकार दिया गया है और उसमें जो लोग नाजायज तरीके से कब्जा किये हुए हैं उनको बेदखल करने का अख्तियार दिया गया, लेकिन गांव समाज की ओर से कोई ऐसी समुचित कार्यवाही नहीं हो पायी है। तो इसलिए यह जो संशोधन रखा गया है कि "कलेक्टर" शब्द बढ़ा दिया जाय यह उचित है और मैं उसका समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार इसे स्वीकार करेगी।

श्री जोरावर वर्मा—अधिष्ठाता महोदय, यह जो माननीय मिश्र जी ने संशोधन रखा है, अगर वास्तव में उसका वही अर्थ है जो कि द्विवेदी जी ने बताया है तब तो वास्तव में यह बड़ा उपयुक्त है, क्योंकि अभी तक का अनुभव यही है कि गांव समाज की जो जमीन है उस पर कुछ लठैत लोग अनधिकार चेष्टा करके नाजायज कब्जा कर लेते हैं या गांव सभा वाले और गांव सभा के सदस्य और चेयरमैन आपसी झंझट के डर से जमीन को बेदखल करवाने में असमर्थ होते हैं। अधिष्ठाता महोदय, कई जगह तो ऐसा हुआ है कि अगर प्रधानों ने या चेयरमैन ग्राम समाज ने इस प्रकार की जमीनों को बेदखल करने के केस दायर किये हैं तो जिन लोगों ने ऐसा किया उनको रास्ते ही में मार दिया गया और इस प्रकार से ऐसा आतंक फैल गया है कि अब गांव सभा के लोग इस तरह की हिम्मत नहीं करते हैं कि इस प्रकार से जो लोग अनधिकार कब्जा किये हुए हैं उनको बेदखल करा सकें। तो अगर इस संशोधन का वास्तव में अर्थ यही होता है तब तो मैं समझता हूं कि बहुत ही उपयुक्त है और इसे स्वीकार हो जाना चाहिये।

***श्री चरण सिंह**—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे संशोधन स्वीकार है। माननीय जोरावर वर्मा जी का यह फर्माना कि अगर यही अर्थ होता है तो स्वीकार नहीं तो अस्वीकार, आखिर इसे समझाने के लिये हमें कौन आयेगा? संशोधन सामने है विधेयक सामने है और उसके शब्द सामने हैं और उसका अर्थ सामने है। हां, अगर उसमें कोई वेगनेस हो तो बतायी जाय। मंशा यह है कि अगर कोई निरर्थक हस्तांतरण कर दिया जाता है, ऐसा ट्रांस्फर कर दिया जाता है जो कानून की नजरों में वायड है तो दफा १६७ और १६८ जो मौजूदा है उनके मुताबिक गांव सभा को अधिकार है कि कार्यवाही करें बेदखल करा दे उस शख्स को जिसके पास वह वायड ट्रांस्फर है और जमीन पर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कब्जा कर ले । जो संशोधन माननीय रामलखन जी मिश्र की तरफ से लाया गया है उसका मंशा केवल इतना है कि गांव सभा की तरफ से अगर कोई उपेक्षा होती है तो राज्य कर्मचारी उसको ले सकता है और उसकी तरफ से वह दावा दायर करके उस वायड ट्रांसफर को कैंसिल करा के उस जमीन पर कब्जा करके गांव सभा को कब्जा दे सकता है । काम करना चाहिए गांव सभा को। गांव सभा किसी वजह से अपनी डिच्यूटी को पूरा न कर सके तो यह एक लास्ट रिजर्ट हो सकता है एक आल्टरनेटिव यह रिमेडी हम कलेक्टर को देना चाहते हैं । हम नहीं चाहते कि कलेक्टर को इसका इस्तेमाल करने की नौबत ज्यादा आये लेकिन अगर जरूरत पड़ जाय तो कलेक्टर को यह अधिकार हो।

श्री अधिष्ठाता––प्रश्न यह है कि नये बढ़ाये गये खंड ६–क के पश्चात् निम्नलिखित खंड ६–ख के रूप में रख दिया जाय :

"६–ख–मूल अधिनियम की धारा १६७ में आये हुए शब्द "गांव सभा" और शब्द "या क्षेत्रपति" के बीच में शब्द "या गांव सभा की ओर से कलेक्टर" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता––प्रश्न यह है कि नया खंड ६–ख इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ८

८––धारा १९० में शब्द और संख्या "धारा १७२ और १७३" के स्थान पर शब्द तथा संख्या "धारा १७२" पढ़े जायं ।

श्री अधिष्ठाता––प्रश्न यह है कि खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ९

९––मूल अधिनियम की धारा २१२ में शब्द "तालाब" और "रास्ता" के बीच में शब्द "पोखरा" (pond) रख दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता––प्रश्न यह है कि खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १०

१०––मूल अधिनियम की वर्तमान धारा २२५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :––

"२२५––लगान, सायर अथवा अन्य देय (dues) की बकाया, जो सरकारी सम्पत्ति और गांव समाज की सम्पत्ति के संबंध में बकाया लगान, सायर अन्य देयों की वसूली ।"	किसी ऐसी सम्पत्ति के संबंध में हों जो केंद्रीय या राज्य सरकार अथवा गांव समाज में निहित हो अथवा ऐसे क्षेत्र के संबंध में हो, जो धारा २८९ के उपबन्धों के अधीन कुर्क हुआ हो (attached) मालगुजारी की बकाया के रूप में (as arrears o land revenue) वसूल किये जा सकते है ।"	उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा २२५ का संशोधन ।

श्री राम दुलारे मिश्र (जिला कानपुर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके आदेश से मैं यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड १० में प्रस्तावित धारा २२५ में शब्द "गांव समाज" और विभक्ति "में" के बीच में शब्द "या किसी स्थानिक आधिकारिकी" रख दिये जायं।

श्रीमन्, इस संबंध में मुझे विशेष कहने की आवश्यकता नहीं। अभी इसी सदन में नागर भूमि व्यवस्था के संबंध में प्रस्ताव पास हो चुका है और यह जो धारा है यह सरकारी सम्पत्ति और गांव समाज की सम्पत्ति के संबंध में बकाया लगान सायर तथा अन्य देयों की वसूली के संबंध में है। मैं यह समझता हूं कि यह जो नागर क्षेत्र की जमींदारी और भूमि व्यवस्था के संबंध में इसी सदन में प्रस्ताव पास हुआ है अगर यह संशोधन स्वीकृत ही क्या तो कार्य रूप में परिणत करने में विशेष सहूलियत होगी।

श्री जोराबर वर्मा---अधिष्ठाता महोदय, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि नागर भूमि-व्यवस्था संशोधन कौन सा पास हुआ है और कब पास हुआ है यह मेरी समझ में नहीं आया।

श्री राम दुलारे मिश्र---मेरा मतलब यह है कि शहरों में जो जमींदारी खत्म हुई है।

एक सदस्य---खत्म कहां हुई है?

श्री राम दुलारे मिश्र---नहीं, खत्म नहीं हुई है, होने जा रही है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---माननीय अधिष्ठाता महोदय, वैसे भी हमारे जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य सरकार अगर किसी गांव सभा का प्रबन्ध ठीक न साबित हो तो वह किसी स्थानिक अधिकारिकी को उसका प्रबन्ध सौंप दे, जैसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हमारे यहां है, तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को उसकी व्यवस्था सौंपी जा सकती है इसलिये कोई आवश्यक नहीं है कि नागर क्षेत्र की जमींदारी खत्म हो तभी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। यह तो वैसे भी आवश्यक है क्योंकि स्थानिक अधिकारिकी की हमने पहले भी इस मूल अधिनियम में व्यवस्था रखी है। जो हमारा जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम है उसमें ऐसी व्यवस्था पहले से हमने कर रखी है। इसलिये यह संशोधन उचित मालूम होता है इसको स्वीकार कर लिया जाय।

श्री चरण सिंह---माननीय अधिष्ठाता महोदय, संशोधन जैसा कि मौर्य जी ने कहा बहुत सरल है। हम गांव समाज को यह अधिकार दे रहे हैं कि जो उनकी देय राशि हो वह अगर उनको वसूल न हो और गवर्नमेंट से वह दरख्वास्त करे तो मुहकमा माल के राज्य कर्मचारियों को जिस प्रकार से राज्य सरकार की मालगुजारी वसूल की जाती है, करने का अधिकार है उसी प्रकार का अधिकार उनको रहे। यह संशोधन विधेयक का जो खंड १० है उसका मंशा होगा। अब उसमें गलती से लोकल अथारिटीज का लफ्ज रह गया कि स्थानीय अधिकारी, म्युनिसिपल बोर्ड टाउन एरिया जहां उनको समझे दे देता है तो उनको भी वही अधिकार हो सकता है। इसलिये यह ओमिशन था, इस ओमिशन की पूर्ति रामदुलारे जी ने की है। इसलिये यह संशोधन मुझे स्वीकार है।

श्री राम दुलारे मिश्र---इस संबंध में माननीय मंत्री जी ने काफी कह दिया है। मुझे कुछ बोलना नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १० में प्रस्तावित धारा २२५ में शब्द "गांव समाज" और विभक्ति "में" के बीच में शब्द "या किसी स्थानिक अधिकारिकी" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड [११]

११—(१) मूल अधिनियम की धारा २२९—ख के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय— उत्तर प्रदेश अधि नियम १, १९५१ की धारा २२९ का संशोधन।

"२२९—ख—(१) कोई भी व्यक्ति, जो अकेला या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से असामी होने का दावेदार हो इस बात के प्रख्यापन के लिये कि—

(क) वह खाते का असामी है, अथवा

(ख) उसका खाते में कोई अंश है,

खातेदार के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकता है।

(२) उपधारा (१) के अधीन किसी वाद में अन्य व्यक्ति को, जो खातेदार के अधीन असामी होने का दावेदार हो, प्रतिवादी के रूप में सम्मिलित किया जायेगा।

(३) उपधारा (१) और (२) के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाये गये वाद पर लागू होंगे जो सीरदार होने का दावेदार हो किन्तु उस दशा में यह संशोधन किया जायगा कि इन उपधाराओं में शब्द "खातेदार" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार और गांव सभा" रख दिये जायेंगे।

श्री राम लखन मिश्र—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड ११ में प्रस्तावित धारा २२९—ख के उपखंड (१) में शब्द "संयुक्त रूप से, और शब्द "असामी" के बीच में शब्द "किसी खाते का" रख दिये जायं।

यह बहुत शाब्दिक रूप में संशोधन है। २२९—ख का स्वरूप ऐसा है कि "कोई भी व्यक्ति जो अकेला या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप में असामी होने का दावेदार हो, ऐसा तो संशोधन का स्वरूप है जो राज्य की तरफ से आया है। उसमें यह बढ़ाया जा रहा है, कि किसी व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप में, किसी "चीज के लिये होगा यानी किसी खाते की जो शब्द बढ़ा दिये गये हैं। किस भूमि का असामी वह होगा। लैंड होल्डर जो शब्द अंग्रेजी का है उसके लिये भूमि शब्द का प्रयोग नहीं होगा, खाते का प्रयोग होगा। इसीलिये "संयुक्त रूप से" और "असामी" के बीच में "किसी खाते का "शब्द इसलिये बढ़ा दिये गये है यह बहुत ही निर्दोष और पवित्र वस्तु है। इसमें किसी विचार की भी अधिक आवश्यकता नहीं है यह तो पूर्तिकारी है। इन शब्दों के साथ में उसको प्रस्तुत करता हूं।

श्री जोरावर वर्मा—माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह संशोधन बहुत ही उपयुक्त है, यह एक बहुत बड़ी कमी थी जो पूरी हो जाती है। इसलिये रामलखन जी का संशोधन स्वीकृत हो जाना चाहिये, मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री चतुर्भुज शर्मा—अधिष्ठाता महोदय, माननीय जोरावर वर्मा जी ने जो सिफारिश की है उसको ध्यान में रखते हुये मैं इस संशोधन को मंजूर करता हूं।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, हमें भी यह स्वीकार है।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ११ में प्रस्तावित धारा २२९–ख के उपखंड (१) में शब्द "संयुक्त रूप से "और शब्द "असामी" के बीच में शब्द "किसी खाते का" रख दिये जायं;

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा (जिला सहारनपुर)—जनाबवाला, मेरा संशोधन यह है कि खंड ११ का उपखंड (३ निकाल दिया जाय। उपखंड (३) में जिक्र आया है सीरदार का और उसमें यह कहा गया है कि यह दफा सीरदार पर भी लागू होगी। आज तक तो असामी पर ही यह लागू होती थी लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद वह सीरदार पर भी जहां तक कि डिक्लेरेटरी सूट्स का ताल्लुक है एप्लाई करने लगेगी। जहां तक मैं समझता हूं जिस वक्त जमींदारी एबालीशन ऐक्ट बिल की शक्ल में हाउस के सामने आया और उसके बाद जब कभी भी अमेंडमेंट हुये तो एक उसूल को गवर्नमेंट ने तस्लीम किया और जिस पर पूरे ऐक्ट का इन्हसार है, वह यह था कि जहां सवाल टेनेंट का है वह रेवेन्यू कोर्ट डील करे और सवाल कहीं टाईटिल का होता है और सवाल सीरदार और भूमिधर का होता है तो सिविल कोर्ट का जूरिस्डिक्शन होगा। यह उसूल ब्रोडली था जिस पर तमाम ऐक्ट का इन्हसार था। आज सवाल यह है कि अगर कोई सीरदार सिविल कोर्ट में सूट फाइल करता है तो इस अमेंडमेंट के बाद यह होगा कि भूमिधर का जूरिस्डिक्शन तो सिविल कोर्ट ही रहेगा लेकिन सीरदार अगर डिक्लरेशन सीक करता है तो उसका जूरिस्डिक्शन सिविल कोर्ट से रेवेन्यू कोर्ट में तब्दील हो जायगा।

मैं समझता हूं कि यह चीज गलत है, क्योंकि इन दोनों की पोजीशन में कोई फर्क नहीं है। अगर कोई सीरदार दस गुना दाखिल कर दे तो वह भूमिधर हो जायगा और टाइटिल का सवाल पैदा हो जाता है। डिफरेंस क्या है? दूसरी बात मैं यह अर्ज करूंगा, जो अल्फाज है अमेंडमेंट के उससे जूरिस्डिक्शन सीरदार के डिक्लरेशन सीक करने के लिये दो कोर्ट की होती है। यहां पर यह कहा गया है कि जब असामी का सवाल नहीं है बल्कि सीरदार का सवाल आये तो आपकी इजाजत से मैं अंग्रेजी पढ़ना चाहता हूं। मैं ११ (३) को पढ़ रहा हूं। वह इस तरह से है कि : —

"The provision of Sub-Section (1) and (2) shall Mutatis mutandis apply to a suit by a person claiming to be a Sirdar with the amendment that for the word" Land Holder" the words "The State Government and the Gaon Sabha " are substituted therein"

श्री अधिष्ठाता—जो आपने अंग्रेजी में सेक्शन पढ़ा है उसका तर्जुमा हिन्दी में कर दें।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा—मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि इसमें यह कहा गया है कि जब सीरदार का सवाल आये तो लैंड होल्डर की जगह स्टेट गवर्नमेंट या गाँव सभा आ जाय। मान लीजिये कि सीरदार का सवाल स्टेट गवर्नमेंट और गांव सभा के दर्मियान में न हो और किसी इंडिवीजुअल का हो। कोई कहता है मैं सीरदार हूं और मैं कहता हूं कि मैं हूं और उसमें मुझे डिफेंडेंट बनाया है। मैं सूट दायर करता हूं कि ए इज नोट ए सीरदार बट आई एम सीरदार तो क्या पोजीशन होगी। यह मामला फिर सिविल कोर्ट में जायगा। इसके माने यह है कि सीरदार का सूट दो किस्म का होगा कि जिसमें पार्टी स्टेट गवर्नमेंट और गांव सभा हो तो उसमें अदालत माल का जूरिस्डिक्शन होगा लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट और गांव सभा के दरमियान सूट नहीं है बल्कि डिक्लेरेशन (declaration) ए० बी० सी० डी० के खिलाफ है तो उसका जूरिस्डिक्शन सिविल कोर्ट होगा। यह एक ऐसी एनोमोली है जिसको साल्व होना चाहिये। कोई वजह समझ में नहीं आती है कि जूरिस्डिक्शन किसी का सिविल कोर्ट में हो और उसी का जूरिस्डिक्शन रेवेन्यू कोर्ट में भी हो यह एक मजहकाखेज बात है। मैं समझता

हूं कि मेरे लायक दोस्तों ने इस पर तवज्जह नहीं दी और जो अल्फाज उन्होंने रखे है वह लीगली डिफैक्टिव हैं। आप या तो रखिये सिविल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में या रेवेन्यू कोर्ट के जूरिस्डिक्शन में। एक हालत में सिविल कोर्ट में और एक हालत में रेवेन्यू कोर्ट में इसका क्या मतलब है ? मैं कहता हूं यह उसूलन गलत चीज है। आप सोच यों रहे थे कि जब सवाल आया टेनेंन्स का तो जूरिस्डिक्शन रहा रेवेन्यू कोर्ट का। मैं तसलीम करता हूं कि इसमें अधिवासी टेनेंट है। उनका जूरिस्डिक्शन रेवेन्यू कोर्ट में रखिये। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन आपने एक उसूल एक बार बनाया जिस पर कि तमाम लैंड रिफार्म्स ऐक्ट को बस किया शुरू से आखिर तक। हर अमेंडमेंट की स्टेज पर आप उस उसूल से हटे नहीं।

आपने यह कहा कि जब यह सवाल टेनेंट का है तो रेवेन्यू कोर्ट का जूरिस्डिक्शन हो। जब सवाल सीरदार और भूमिधर का हो और टाइटिल का क्वेश्चन हो तो उस हालत में जूरिस्डिक्शन सिविल कोर्ट न हो। आप उससे क्यों हट रहे हैं ? अगर हटते है तो भूमिधर को भी ईधर ही ले आयें। कोई वजह नहीं है कि आज तक मैं सीरदार हूं लेकिन कल दस गुना दाखिल करके भूमिधर हो गया तो जूरिस्डिक्शन हो गया सिविल कोर्ट का। तो यह चीज देखने में मैं समझता हूं कि बे उसूलीपन जाहिर होती है। आप एक उसूल पर कायम थे। उस उसूल को लेकर आपने पूरे ऐक्ट को बनाया। हर स्टेज पर उसको किया उसी उसूल पर रहते हुये। आज आप उसूल से हट रहे हैं और एक कुछ ऐसी एनोमोली पैदा कर रहे हैं कि जिससे जूरिस्डिक्शन कुछ अल्फाज की वजह से इधर से उधर चला जाता है। तो मैं यह अर्ज करूंगा कि यह जो गल्ती है उसको आपको दुरुस्त करनी चाहिये और जो उसूल आपने अपना कायम किया और शुरू से जिस उसूल पर आप कारबन्द हैं उसी उसूल पर कायम रहते हुये आपको इस ऐक्ट को पास करना चाहिये। इन अल्फाज के साथ मैं आनरेबिल मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वह इस पर गौर फरमायें और गौर फरमाने के बाद इस अमेंडमेंट को मंजूर करें।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
२६ अप्रैल, १९५६।

मिटठन लाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५२ पर)

२ जनवरी, १९५५ से ५ फरवरी, १९५६ तक इलाहाबाद शहर और जिले में हुये कत्ल, डकैती तथा चोरी के मामलों का विवरण

अपराध	विवरण	रिपोर्ट हुई	चालान हुये
कत्ल	शहर में	८	७
	सम्पूर्ण जिले में	५३	३८
डकैती	शहर में	१	१
	सम्पूर्ण जिले में	१०	५
चोरी	शहर में	८२७	१६५
	सम्पूर्ण जिले में	१,७४७	४२६

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५५ पर)

श्री राम सुभग वर्मा जी द्वारा पूछे गये प्रश्न सं० ३८ के उत्तर में वर्णित सूची

जिला देवरिया

क्रम सं०	तहसील	परगना	ग्राम	क्षेत्रफल एकड़ में
१	पड़रौना	सिधुआजोवना	अरनहवा	१०१.८६
२	,,	,,	सिस्वा	४०.३८
३	,,	,,	दुशाहवा	११७.५६
४	हाता	,,	नौतर	२५८.००
५	पड़रौना	,,	कुडवां उर्फ दलीप नगर	११६.१६
६	हाता	,,	रामपुर गोनाहा	६३४.६३
७	हाता	,,	शिवपुर	६८.००
८	पड़रौना	,,	बेल्वा	१७२.४४
९	,,	,,	शाहपुर	७८.१३
१०	,,	,,	बरवा	८८.३२
११	,,	,,	बांस गांव	१८१.०५
१२	,,	,,	अहरौली	४३.५४
१३	,,	,,	सेमरा लक्ष्मीपुर	६५.४५
१४	हाता	,,	मदनपुर सुकरौली	२३२.९९
१५	हाता	,,	बुड़वा	३७३.९०
१६	हाता	,,	गैन्डी	१३६.२९
१७	हाता	,,	नरायनपुर	२३४.००

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६१–६२ के उत्तर पीछे पृष्ठ ३६१ पर)

जिला हमीरपुर में सन् १९५४, १९५५ व १९५६ (३१ मार्च तक) में हुये कत्ल के मामलों का विवरण

क्रम-सं०	कत्ल के मामलों की संख्या जिनकी रिपोर्ट हुई		जिनमें सजा हुई	जो छूट गये	न्याया-लय में विचारा-धीन	जांच हो रही है	लापता रहे	विशेष
	वर्ष	संख्या						
१	१९५४	३०	८	१३	--	--	८	बाकी एक मामले में अभियुक्त की मृत्यु हो गई।
२	१९५५	२१	२	६	९	--	४	
३	१९५६ (३१ मार्च तक)	११	--	--	१	९	१	इनमें से १ मामला धारा ३९६ के अन्तर्गत था।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६३ पर।)

अलीगढ़ जिले में १९५२, १९५३ व १९५४ में हुई डकैतियों व कत्लों का विवरण

	डकैतियां		कत्ल	
	रिपोर्ट हुई	लापता रहे	रिपोर्ट हुई	लापता रहे
१९५२	२७	८	५५	२५
१९५३	३२	८	५०	१९
१९५४	३९	७	५०	२३

नत्थी 'ङ'

(देखिए पीछे पृष्ठ ३७२ पर)

उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर विधेयक, १९५६

फैक्टरियों में प्रयोग, उपभोग अथवा उनकी बिक्री के निमित्त अभिप्रेत गन्ने पर उपकर (cess) लगाने के सम्बद्ध विधि को संशोधित तथा संगृहीत (consolidate) करने का

विधेयक

यह इष्टकर है कि फैक्टरियों में प्रयोग, उपभोग तथा उनको विक्रय के निमित्त अभिप्रेत गन्ने पर उपकर लगाने से सम्बद्ध विधि को संशोधित तथा संगृहीत किया जाये ।

अतएव भारतीय गणतंत्र के सातवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर अधिनियम, १९५६ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह धारा तुरन्त प्रवृत्त होगी तथा धारा २ और ३ तथा ५ से ८ तक के उपबन्ध २६ जनवरी, १९५० को तथा से प्रवृत्त हुये समझे जायेंगे ।

परिभाषायें ।

२—विषय अथवा प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में, शब्द तथा पद—

(क) "निश्चित दिनांक" (appointed date) से तात्पर्य है वह दिनांक जब यह अधिनियम पहले पहल सरकारी गजट में प्रकाशित हो ।

(ख) शब्द "गन्ना", "गन्ना आयुक्त" (cane commissioner), "फैक्टरी", "फैक्टरी का अध्यासी" (occupie of factory), तथा राज्य सरकार के अर्थ वही होंगे जो उन्हें उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ में दिये गये हैं ।

(ग) "फैक्टरी के स्वामी" (owner of the factory) के अन्तर्गत फैक्ट्री का अध्यासी तथा वह व्यक्ति—उसका नाम चाहे कुछ भी है—हो, जिसका फैक्ट्री के मामलों पर अंतिम नियंत्रण हो ।

उपकरों का लगाया जाना ।

३—(१) राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके फैक्ट्री में प्रयोग, उपभोग अथवा बिक्री के निमित्त लाये गये गन्ने पर ४ आने प्रति मन से अधिक उपकर (cess) लगा सकती है ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इसी प्रकार राज्य सरकार विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किसी परिमित प्रयोजन के निमित्त फैक्ट्री में प्रयुक्त किये गये अथवा प्रयुक्त किये जाने वाले गन्ने के संबंध में उपकर की पूर्णतः अथवा अंशतः छूट भी दे सकती है ।

स्पष्टीकरण—यदि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित किसी फैक्ट्री के संबंध में इस प्रकार की घोषणा करे तो उस फैक्ट्री में प्रयोग, उपभोग अथवा विक्रय किये जाने के लिये अभिप्रेत अथवा उपेक्षित माल की खरीदारी के लिये निर्दिष्ट (set apart) उत्तर प्रदेश में स्थित कोई स्थान उस फैक्ट्री का भूगृहादि (premises) समझा जायगा ।

(२) उपधारा (१) के अधीन लगाया गया उपकर फैक्ट्री के स्वामी द्वारा देय होगा तथा वह ऐसे विनांक और ऐसे स्थान पर दिया जायगा जो विहित किया जाय ।

(३) उपधारा (२) के अधीन विहित विनांक को अदत्त उपकर की प्रत्येक बकाया पर ऐसे विनांक से भुगतान के विनांक तक ६ प्रतिशत के हिसाब से ब्याज लगेगा ।

(४) राज्य सरकार उपकर के अवधारण तथा उसकी वसूली के प्रयोजनार्थ अधिकारियों तथा प्राधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है तथा ऐसी रीति भी विहित कर सकती है, जिसके अनुसार उपकर अवधारित और वसूल किया जायेगा ।

(५) जब किसी व्यक्ति पर उपकर की अदायगी बाकी हो तो उपकर वसूल करने के लिये अधिकृत कोई भी अधिकारी अथवा प्राधिकारी यह आदेश दे सकता है कि बकाया धनराशि तथा ब्याज के साथ-साथ उसके १० प्रतिशत से अनधिक धनराशि अर्थ-दंड के रूप में उपकर के देनदार व्यक्ति से वसूल की जाय ।

(६) उपकर की वसूली के लिये अधिकृत कोई भी अधिकारी या प्राधिकारी कलेक्टर के पास प्रमाण-पत्र, जिस पर उसके हस्ताक्षर होंगे, अग्रसारित करेगा जिसमें वह किसी भी व्यक्ति द्वारा देय बकाये और उस पर ब्याज की धनराशि निर्दिष्ट करेगा । प्रमाण-पत्र की प्राप्ति पर कलेक्टर उस व्यक्ति से निर्दिष्ट धनराशि की वसूली के निमित्त ऐसी कार्यवाही करेगा मानो वह मालगुजारी की बकाया हो ।

(७) उपधारा (५) के अधीन अर्थदंड के रूप में आरोपित कोई भी धनराशि उसी रीति से वसूली जा सकेगी जिसकी व्यवस्था उपकर की बकाया वसूल करने के संबंध में उपधारा (६) में की गई है ।

अर्थदंड

४—यदि कोई व्यक्ति धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन लगाया गया उपकर अदा न करे, अथवा इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित किसी नियम का उल्लंघन करे तो धारा ३ की उपधारा (५) के अधीन उसकी अदायगी की उत्तरदायिता (liability) पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े हुये वह ६ महीने तक के कारावास या पांच हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों ही दंड का भागी होगा और यदि उल्लंघन निरन्तर होता रहे तो उसे प्रत्येक उस दिन के लिये, जब तक उल्लंघन जारी रहे, एक हजार रुपये से अनधिक का अतिरिक्त अर्थदंड दिया जा सकता है ।

कार्यवाहियों का संस्थिति (Institution)

५—(१) गन्ना आयुक्त या जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा, अथवा उनके प्राधिकार के अधीन किये गये किसी परिवाद (complaint) के बिना इस अधिनियम के अधीन कोई भी अभियोजन संस्थित नहीं किया जायगा ।

(२) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति (person accvsed) के प्रार्थना-पत्र पर गन्ना आयुक्त अथवा आयुक्त की पूर्व सहमति से जिला मैजिस्ट्रेट राजीनामे के शुल्क के रूप में अधिक से अधिक

पांच हजार रुपये लेकर उक्त अपराध के संबंध में किसी भी स्तर पर राजीनामा कर सकता है।

(३) द्वितीय श्रेणी के मैजिस्ट्रेट से निरन्तर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम अथवा तदन्तर्गत निर्मित किसी नियम के विरुद्ध किसी अपराध का परीक्षण नहीं करेगा।

मैजिस्ट्रेट के विशेषाधिकार।

६—कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ की धारा ३२ में किसी बात के होते हुये भी प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के लिये, जिसे राज्य सरकार ने एतदर्थ विशेषरूप से अधिकृत किया हो इस अधिनियम या तदन्तर्गत निर्मित किसी नियम के अधीन किसी वाद (case) का परीक्षण करते समय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के संबंध में अभिशस्त (convicted) किसी भी व्यक्ति पर पांच हजार रुपये से अनधिक जुर्माना का दंडादेश देना वैध होगा।

इस अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाही के लिये संरक्षण।

७—(१) इस अधिनियम के अधीन दी गई किसी आज्ञा या निर्मित किसी नियम के अनुसरण में सद्भाव से किये गये या सद्भाव से किये जाने के लिये अभिप्रेत या सद्भाव से किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी भी कार्य के लिये किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या मान्य विधिक कार्यवाही न की जायगी।

(२) इस अधिनियम के अधीन निर्मित किसी नियम के अनुसरण में सद्भाव से किये गये अथवा सद्भाव से किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य से हुई, अथवा सम्भाव्य, किसी क्षति के निमित्त राज्य सरकार के विरुद्ध कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही न की जायगी।

इस अधिनियम के प्रयोजन के निमित्त अध्यासों का अवधारण।

८—(१) जब किसी फैक्ट्री का स्वामी कोई फर्म (firm) अथवा अन्य व्यक्तियों की संस्था (Association) हो तो उसके भागीदारों अथवा सदस्यों में से कोई एक या एकाधिक व्यक्ति इस अधिनियम के प्रयोजन के निमित्त स्वामी माने जायेंगे तथा उन्हें इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध के लिये अभियोजित तथा दंडित किया जा सकेगा।

(२) जब फैक्ट्री का स्वामी कोई पब्लिक कम्पनी हो तो उसके एक या एकाधिक डाइरेक्टर अथवा प्राइवेट कम्पनी की दशा में उसका एक या एकाधिक हिस्सेदार (shareholder) इस अधिनियम के अधीन किसी भी ऐसे अपराध के लिये अभियोजित तथा दंडित किया जा सकेगा जिसके निमित्त फैक्ट्री का स्वामी दंडेय हो।

९—(१) उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ की धारा २० एतद्द्वारा निरसित की जाती है।

(२) यू० पी० जेनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा २४ की साधारण प्रयुक्ति (general application) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपकर लगाने के लिये प्रचारित प्रत्येक विज्ञप्ति तथा ऐसे विज्ञप्ति के अनुसार अथवा अधीन किया गया, प्रत्येक अवधारण जिसके अन्तर्गत वसूल किये गये उपकर की धनराशि भी है। इस अधिनियम के अधीन उसी प्रकार प्रचारित विज्ञप्ति तथा किया गया अवधारण तथा वसूल किया गया उपकर समझा जायेगा मानो धारा २ और ३ तथा ५ से ८ तक की धारायें सभी सारवान दिनांकों पर प्रवृत्त रही हों।

(३) भारत के संविधान के अनुच्छेद २० के खंड (१) में की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुये, यू० पी० शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल ऐक्ट, १९३८ की धारा २९ के अधीन उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ की धारा २० के अधीन किसी अधिकार का प्रयोग अथवा अभिप्रेत २६ जनवरी, १९५० तथा निश्चित दिनांक के बीच प्रचारित प्रत्येक विज्ञप्ति, लगाया गया उपकर तथा किया गया अथवा करने से छोड़ दिया गया कार्य जो वैध तथा सम्यक् रूप से प्रचारित, लगाया गया, किया गया अथवा करने से छोड़ दिया गया होता यदि उक्त धारायें इस अधिनियम की धारा ३ के समरूप होतीं—किसी भी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आज्ञा के होते हुये भी विधि की दृष्टि से वैध तथा सम्यक् रूप से, प्रचारित, लगाया गया, किया गया अथवा करने छोड़ दिया गया, समझा जायगा और यह भी समझा जायगा कि वह वैध तथा सम्यक् रूप से प्रचारित हुआ है, लगाया गया है, किया गया है अथवा करने से छोड़ दिया गया है।

१०—(१) इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार नियम बना सकती है।

(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले इन नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है:

(क) रीति तथा आकार जिसमें धारा ३ की उपधारा (५) के अधीन कलेक्टर को प्रमाण-पत्र अग्रसारित किया जायगा,

(ख) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सूचना या आंकड़े एकत्र करना,

(ग) आकार तथा रीति जिसमें कोई भी विवरण-पत्र तैयार तथा प्रस्तुत किया जायगा,

(घ) विषय, जो नियत किये जाने वाले हों या नियत किये जायं।

(३) उपधारा (१) तथा (२) के अधीन नियम बनाने के अधिकारों के अन्तर्गत ऐसे नियमों के बनाने का अधिकार भी है, जिनकी प्रयुक्ति भूतलक्षी (retrospective application) होगी किन्तु इस प्रकार बनाये गये नियम २६ जनवरी, १९५० से पूर्व के लिये प्रभावी न हो सकेंगे।

(४) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम बनने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष रक्खे जायेंगे तथा ऐसे प्रकरणों, परिष्कारों तथा परिवर्द्धनों (ommissions. alterations and additions) के अधीन रहेंगे जिन्हें राज्य विधान मंडल उस सत्र में करे जिसमें वे इस प्रकार प्रस्तुत किये जायं:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि भूतलक्षी प्रयुक्ति (retrospective application) वाला कोई भी नियम तब तक प्रवृत्त नहीं होगा जब तक कि विधान सभा के समक्ष इस की प्रति रखने के पश्चात् १४ दिन व्यतीत न हो गये हों।

उद्देश्य और कारण

फैक्टरी में उपभोग अथवा प्रयोग तथा उसको बेंचने के लिये अभिप्रेत गन्ने पर उपकर लगाने से संबद्ध विधि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ की धारा २० में समाविष्ट है। इसके पूर्व यह उपबन्ध शुगर फैक्ट्री कंट्रोल, ऐक्ट, १९३८ की धारा २९ में समाविष्ट था। किन्तु इसकी वैधता पर शंका प्रकट की गयी है। यह उपकर १७ वर्ष से अधिक से लगता चला आ रहा है और यह इष्टकर समझा गया है कि इसके आरोपण से संबंधित विधि ऐसे परिष्कारों सहित, जिन्हें आवश्यक समझा गया है, एक पृथक् अधिनियम में संगृहीत कर दी जाय और उसकी वैधता के संबंध में सारी शंकायें दूर कर दी जायं।

तदनुसार विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है।

चन्द्रभानु गुप्त,
उद्योग मंत्री।

अदर प्रदेश

पी० एस० यू० पी० ए० पा०—३९ ५७० ए०—१९५६—७९६।